हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 09 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

09/03/2017/1100/ns/ag/1

प्रश्न संख्याः - 3591

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सूचना का बस्ता ऊपर उठा करके दिखा रहे थे कि सूचना सभापटल पर रख दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के अन्दर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जो आपने सूचना दी है उस सूचना के मुताबिक अगर मैं एक-एक कंपोनैंट वाईज पढ़ूंगा तो मुझे लगता है कि समय ज्यादा लगेगा। लेकिन पूरी सूचना को पढ़ने के उपरांत लगभग 10,091 पद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंदर रिक्त पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने 10,091 का आंकड़ा दिया है इसके अलावा आपके पास ऐसे कितने पद हैं जो इन 10,091 में कैटेगिरी फाल नहीं करते हैं? उदाहरण के रूप में आपके पास क्लास-IV, पार्ट टाईम वर्कर्ज़ हैं । क्या आप बतलाने की कृपा करेंगे कि इन 10,091 के अलावा और कितने रिक्त पद हैं जो कि आपने इस सूचना में नहीं दर्शाये हैं? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कितने पद डॉक्टरों, पैरा-मेडिकल स्टॉफ और क्लर्कों व अन्य स्टॉफ के रिक्त हैं, क्या आप इसका ब्रेकअप देने की कृपा करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि स्वास्थ्य विभाग में काफी पद खाली हैं। लेकिन ये पद चार वर्षों में खाली नहीं हुए हैं, यह पिछले 20-25 वर्षों से खाली पड़े हुए हैं। यह अच्छा हुआ कि आपने प्रश्न पूछा है। कम-से-कम इस सदन को पता लगना चाहिए कि आपने पांच साल में कितने पद सृज़ित किए और हमने अभी चार सालों में कितने पद स्वास्थ्य विभाग में सृज़ित किए हैं? (व्यवधान) Now try to listen. मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं, आप फिक्र मत करो। I will satisfy you. मैं आपकी पूरी सेटिस्फैक्शन करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, इनके समय में सिर्फ 473 पद स्वीकृत हुए थे और हमारे समय में 3248 पद हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार ने कितने पद स्वीकृत किए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने पूछा कि किस-किस कैटेगिरी के कितने पद खाली हैं? वह सूचना इसमें दे दी गई है।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

09.03.2017/1105/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 3591...जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ...जारी

जहां तक इन्होंने पूछा कि किस-किस कैटेगिरी के कितने-कितने पद खाली हैं वे पद प्रश्न के उत्तर में दर्शाए गए हैं। इनका ब्योरा संस्थानवार दिया गया है कि कितने डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सिज़, लैब टैक्निशियन, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थियेटर असिसटैन्ट और कितने चपरासी के पद खाली हैं। यह सारी सूचना प्रश्न के उत्तर में दे दी गई है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस उत्तर को पढ़ें। यदि एक-एक संस्थान के बारे में दी गई सूचना को पढ़ना है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। दूसरा, जहां तक स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने की बात है, मैं माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में 3 वर्ष में हैल्थ सब-सैंटर कोई नहीं खोला गया। प्राइमरी हैल्थ सैंटर 19 खोले गए। कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर 5 खोले गए। सिविल हॉस्पिटल 2 खोले गए। ई.एस.आई. डिस्पैंसरी एक और एक मैडिकल ब्लॉक बनाया गया। इनकी कुल संख्या 28 बनती है। जबकि हमारी सरकार ने चार वर्षों में 30 सब-सैंटर, 96 प्राइमरी हैल्थ सैंटर, 35कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर, 21 सिविल हॉस्पिटल और 3 मैडिकल ब्लॉक्स खोले हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पद क्यों सृजित हुए इसके बारे में भी मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगा। ये पद इसलिए सृजित हुए क्योंकि इन्होंने जितने भी, जो ये 28 संस्थान खोले हैं, इन संस्थानों के लिए एक भी पद सृजित नहीं किया, वह चीज़ भी इसमें कम्पाइल हुई है। अभी हमने कुछ पोस्टें स्टाफ सलैक्शन कमीशन, हमीरपुर को भरने के लिए कहा है। मैंने इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर भी बात की है। इन पदों में हम जल्द-से-जल्द रिक्रूटमेंट करेंगे ताकि जो खाली पोस्टें हैं उन्हें भरा जा सके।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी बड़ा पिटारा खोल दिया है। जो मेरा प्रश्न था, मैं उस प्रश्न तक अपने आप को सीमित रखना चाहता था। माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं उनको भी मैं इसी उत्तर तक सीमित रखना चाहता था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपने इतने संस्थान खोले और हमने इतने

09.03.2017/1105/RKS/AG-2

संस्थान खोले। लेकिन प्रश्न संस्थान खोलने का नहीं है। प्रश्न उन संस्थानों को चलाने का है। क्या खोलने मात्र से ही कोई संस्थान चल पड़ता है? जब आप किसी संस्थान की घोषणा करते हैं, जैसे आपने सिविल हॉस्पिटल, सी.एच.सीज., पी.एच.सीज., हैल्थ सब-सैंटर खोलने की घोषणा की। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार घोषणा करती है और किसी भी सी.एच.सीज., पी.एच.सीज. व सिविल हौस्पिटल को नोटिफाई करती है तो नोटिफाई करती बार यह कौन सा पैमाना है कि कई जगह सिविल हौस्पिटल में 118 पद स्वीकृत करते हैं और कई जगह 25 पद स्वीकृत करते हैं। कहने को तो वे दोनों ही सिविल हॉस्पिटल हैं, एक हॉस्पिटल संदौल है और दूसरा फलां है। दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे आप कोई सी.एच.सीज. खोलते हैं, एक सी.एच.सीज. में तो आप 9 डॉक्टरों की पोस्टें सैंक्शन कर देते हैं और दूसरी सी.एच.सीज. में दो पोस्टें सैंक्शन करते हैं। पी.एच.सीज. में भी आप ऐसा ही करते हैं। किसी पी.एच.सीज. में आप 4 डॉक्टरों की पोस्टें सैंक्शन कर देते हैं और किसी पी.एच.सीज. में 1 ही पोस्ट सैंक्शन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कौन सा मापदण्ड है जिस मापदण्ड को लेकर आप इसकी नोटिफिकेशन करते हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम जितने भी संस्थान खोलते हैं जैसे स्वास्थ्य उप-केन्द्र हैं, स्वास्थ्य उप-केन्द्र के लिए एक मेल हैल्थ वर्कर, एक फीमेले हैल्थ वर्कर की पोस्टें सैक्शन करते हैं। जितने भी संस्थान हम कैबिनेट में ले जाते हैं उसके लिए

हमने एक फार्मूला बनाया है। पहले जितने पुरान पी.एच.सीज. थे उनमें दो-दो डॉक्टर होते थे। Keeping in view the shortage of Doctors in the State अब हमने फैसला किया है जो नए पी.एच.सीज. खुल रहे हैं उनमें एक डॉक्टर, एक फार्मास्सिट और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद सैंक्शन हों। जो पी.एच.सीज. से सी.एच.सीज. बनता है उसमें चार डॉक्टरों की पोस्टें और एक डैंटल डॉक्टर की पोस्ट सैंक्शन होती है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

09.03.2017/1110/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या :3591 ...क्रमागत

माननीय स्वास्थ्य मंत्री ...जारी

जो सिविल अस्पताल 50 बिस्तरों का होता है, उसमें हम 8 डाक्टरों की पोस्टें, keeping in view the word load in O.P.D as well as in I.P.D, उसके मुताबिक हम उसमें पोस्टें सैंक्शन करते हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जितने भी PHCs खोले, स्वास्थ्य उप-केंद्र खोले, जितने भी PHCs 30 बिस्तरों से 50 बिस्तरों में CHCs अपग्रेड किए हैं, और सिविल अस्पताल 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों वाले बनाए हैं, उनमें हम कैबिनेट मैमोरंडम में ही पोस्टें सैंक्शन करने की परमिशन भी ले लेते हैं न कि आपकी तरह करते हैं। आपके टाईम में PHCs की नोटिफिकेशन हो जाती थी और स्टॉफ के लिए कहते थे कि इंटर्नालाइेशन से करो। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक और बात बताते हुए खुशी हो रही है, इनके वक्त में 2007-08 में 1597 डॉक्टर्ज़ थे और इन्होंने डॉक्टरों की एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं की। अभी हमने 4 सालों में हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों की नई 500पोस्टें क्रिएट की हैं जो कि अपने आपमें एक रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, आप पिछले 25 सालों में देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 25 सालों के इतिहास में 4 सालों में 500 डॉक्टर एक साथ कभी क्रिएट नहीं हुए। अभी मुख्य मंत्री महोदय बजट प्रस्तुत करेंगे जिसमें हमने और पदों

के लिए निवेदन किया है क्योंकि हमने संस्थान खोले हैं जिनके लिए पोस्टें भी सैंक्शन करवाई हैं। यह मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं।

अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। बिंदल जी, आप कहिए।

डॉ0 राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की आदत है कि ये हर बात में राजनीति करते हैं। अध्यक्ष जी, जो उत्तर इन्होंने दिया है वह अपने आपमें सैल्फ स्पीकिंग है। जो उत्तर इन्होंने दिया है उसके अनुसार 22212 पद प्रदेश के सभी संस्थानों में सैंक्शंड हैं। उनमें से 9087 पद खाली हैं। 22212 में से 9087 पद खाली हैं और उसके बाद भी आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने डॉक्टरों के 500 पद के सृजित कर दिए हैं। 1600

09.03.2017/1110/SLS-AG-2

पद पहले ही सृजित थे जबकि आज भी...(व्यवधान)... आपका ही आंकड़ा मान लेते हैं। आपके प्रश्न के उत्तर के हिसाब से 1597 से कम डॉक्टर इस समय आपके पास, इन-पोजिशन हैं। आप चाहे 100, 200 या 500 संस्थान खोल दो, आपके संस्थानों में डॉक्टर ही नहीं हैं और ये सारे संस्थान खाली पड़े हैं। आपका उत्तर यह बता रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके मैडिकल कॉलेजिज की व्यवस्था क्या है? IGMC में 2278 पोस्टें सैंक्शन हैं जिनमें से 1193 इन पोजिशन हैं, 1085 खाली हैं। टाण्डा में 1351 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 524 खाली हैं। नाहन में 1759 पद सैंक्शंड हैं, केवल 47 इन पोजिशन हैं और 1712 खाली हैं। आपने मैडिकल कॉलेजिज की बहुत चर्चा की। हमीरपुर में 201 पद स्वीकृत हैं, जीरो भरे हुए हैं और 201 ही खाली हैं। चम्बा में 201 पोस्टें सैंक्शंड हैं, एक भरी हुई है और 200 खाली हैं। नेर चौक, जो आपका अपना मैडिकल कॉलेज है वहां के लिए 828 स्वीकृत हैं, 55 भरी हुई हैं, 773 खाली हैं। हम मानते हैं कि शॉर्टेज है। मैं जानना चाहता हूं कि इन मैडिकल कॉलेजिज में इस कमी को पूरा करने के लिए माननीय मंत्री जी क्या प्रयास करेंगे। इसके साथ ही, आप जो भी संस्थान

खोल रहे हैं, आप खोलें क्योंकि हो सकता है कि अगले महीनों में चुनावों को देखते हुए आप 100-200 और घोषणा कर दें; डॉक्टर तो कहीं जाएगा नहीं, उन डॉक्टरों को लगाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। आपने कहा कि पिछली सरकार ने यह किया। मैं चर्चा लगवा देता हूं जिसमें आमना-सामना हो जाएगा। पता लग जाएगा कि आपने क्या किया? हमारी सरकार ने 12 नई स्कीमें शुरू की, आपने वह सारी स्कीमें बंद कर दीं और

जारी ...श्री गर्ग जी

09/03/2017/1115/RG/AS/1

प्रश्न सं. 3591----क्रमागत

डॉ. राजीव बिन्दल----क्रमागत

जो बेहतरीन स्कीम्ज थीं, केवल और केवल इन्स्टीटियूशन्ज खोल करके आप राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इतना उत्तर दीजिए कि 22,212 पद में से 9,087 पद खाली है। कितने पद भरने की प्रक्रिया जारी है और कितने दिनों में भर जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में कहा कि ये पद चार सालों में खाली नहीं हुए हैं, इनकी संख्या पिछले 25 सालों से निरन्तर बढ़ रही है और हमने यह भी कहा कि हमने पिछले चार वर्षों में कितने नए पद सृजित किए और कितने भरे, उसकी भी पूरी डिटेल दे दी है। वैकेन्सी पोजीशन भी इनको हमने विस्तृत तौर पर इसमें दी है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जहां तक मैडिकल कॉलेज की बात की है, तो मैडिकल कॉलेज में एम.सी.आई. ने अब अपने नॉर्म्ज बदले हैं और जो इन्होंने इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज में पोस्ट्ज खाली बताई हैं और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज, टांडा में इन्होंने कम बताई हैं, मैं इस बारे में यह बता देना चाहता हूं कि जितनी पोस्ट्ज हमने भरी हैं, मैडिकल कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया ने उनको सर्टिफाईड किया। उसके मुताबिक उन्होंने इसकी हमें परमीशन भी दे दी है। कई पोस्ट्ज ऐसी होती हैं जो फंक्शनल नहीं होतीं और फाइनैन्शियल बर्डन को कम करने के लिए उन पोस्ट्ज को भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे न फंक्शनल पोस्ट्ज हैं और न ही इम्पॉरटेंट हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक नाहन की बात है, तो वहां हमने अभी सौ एम.बी.एस.एस. की सीटों के लिए फर्स्ट बैच बैठाया है। सौ के लिए जितनी पोस्ट्ज की जरूरत थी उतनी पोस्ट्ज हमने भरी हैं और एम.सी.आई. ने माना भी है, लेकिन अब जो सैकण्ड ईयर होगा या फर्स्ट ईयर वाले सैकण्ड ईयर में जाएंगे, तब हम सौ पोस्ट्ज और वहां भरेंगे। तो निश्चित तौर पर उसकी पोस्ट्ज भी हम भरने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऊना, हमीरपुर और चम्बा की बात की है। पता नहीं इन्होंने यह सूचना कहां से लाई है? हमीरपुर में भी मैडिकल कॉलेज में इन्टरव्यू हुए हैं और प्रिंसीपल ने इन्टरव्यू करके कुछ पोस्ट्ज भरी हैं, लेकिन अभी उसकी अप्रूवल नहीं हुई है। जहां तक चम्बा की बात है, तो उसके लिए भी दिल्ली,

09/03/2017/1115/RG/AS/2

अमृतसर एवं जालन्धर में इन्टरव्यू हुए, लेकिन हमें डॉक्टर्ज कम मिले हैं। वैसे भी अभी तक क्लासेज नहीं लगी हैं। जब क्लासेज लगेंगी, तो एम.सी.आई. की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष : बस अब काफी सप्लीमेंट्री हो गए, कितने सप्लीमेंट्री करेंगे? अनलिमिटेड सप्लीमेंट्री थोड़े ही होंगे। अब मैं सिर्फ एक को ही अलॉऊ करुंगा।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां जो सूचना दी हुई है, हिमाचल प्रदेश में इस समय दो सबसे बड़े मैडिकल कॉलेज हैं जिसमें आई.जी.एम.सी. जो सबसे पुराना एवं पहला मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है निश्चित तौर पर वहां जो स्टाफ होना चाहिए और जो वहां डॉक्टर्ज की पोस्ट्ज होनी चाहिए, वहां इन्होंने पोस्ट्ज क्रियेट भी की हैं। 2278 में से 1193 पोस्ट्ज भरी हैं और 1085 उसमें से खाली पद हैं। जबकि राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज, टांडा में जो प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कॉलेज है वहां पर अभी तक आपने 1,351 पद सृजित किए हैं उनमें से 827 ही भरे हैं और 524 पद खाली हैं। जबकि नाहन में अभी-अभी आपने कॉलेज खोला ही है वहां पर 1,759 पोस्ट्ज दे दीं। जो पहले ही टांडा में कॉलेज चल रहा है वहां पर आप पोस्ट्ज नहीं दे रहे हैं। वहां इस समय क्या स्थिति है

माननीय मंत्री जी आप जाकर देखें। तो वहां जो कमी रखी गई है क्या उसको माननीय मंत्री जी पूरा करेंगे?इसके अतिरिक्त जो पूरे प्रदेश में 59 सिविल अस्पताल हैं इनमें क्या पूरे प्रदेश का क्राइटेरिया है और सिविल अस्पताल में जनसंख्या के अनुसार कितनी ओ.पी.डी. होती हैं उसके अनुसार क्या इन सारी पोस्ट्ज को रेशनलाईज करेंगे? कई जगह पर तो आपने 22-22 और कहीं पर 28-28 डॉक्टर की पोस्ट्ज दे दी हैं, लेकिन हमारे देहरा में आपने सिर्फ 9 पोस्ट्ज दी हुई हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

09/03/2017/1120/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3591 क्रमागत---श्री रविन्द्र सिंह जारी-------

उनमें से भी 5 पद खाली हैं और वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक डॉक्टर तो वहां हर समय मेडिकल करने में लगा रहता है। इसके लिए मैं चार साल से बार-बार आपको रिक्वैस्ट कर रहा हूं। बाकी का क्या है, वह स्थिति आपने दे दी है लेकिन देहरा अस्पताल या दूसरे अस्पताल जो वहां पर इतनी ज्यादा जनसंख्या को सर्व करते हैं, क्या यह सारी सूचनाएं आप यहां पर उपलब्ध करवाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो मेडिकल कॉलेजिज में खाली पदों की बात कही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जितने फंक्शनल पदों की हमें जरूरत होती है, we take the matter to the Cabinet and I am thankful to the Chief Minister, he is kind enough to the Health Department और बहुत सारे पद हमें सैंक्शन किए हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी पिछले चार सालों में 3248 पद हिमाचल प्रदेश में क्रिएट हुए हैं और उनको भरने के प्रयास जारी हैं। -(व्यवधान)-मैं उसके बारे में भी बता दूंगा कि कितने भरे हैं। तो 500 डॉक्टर्ज के पद भरे गए हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मंत्री जी हर बार कहते हैं कि इतने पद क्रिएट किए हैं। हम जानना चाहते हैं कि पद क्रिएट तो किए हैं लेकिन भरे कितने हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, लगभग 550 पद हमने एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर्ज और स्पैशलिस्ट्स पी0जी0 डॉक्टर्ज के हिमाचल प्रदेश में इन चार सालों में भरे हैं। इसी तरह से लगभग 1250 स्टाफ नर्सिज की पोस्टें हमने हिमाचल प्रदेश में भरी हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट्स के पद भी भरे हैं। विस्तृत रूप से सूचना इसमें (पूरी फाइल दिखाते हुए) दी हुई है कि कितने पद हमने भरे हैं और कितने क्रिएट हुए हैं। जो माननीय सदस्य ने देहरा की बात कही है, यह बात ठीक है कि देहरा सिविल अस्पताल 100 बिस्तर वाला अस्पताल है और डॉक्टर्ज की वहां कमी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही डॉक्टर्ज का बैच आएगा निश्चित तौर पर आपके देहरा में डॉक्टर्ज

09/03/2017/1120/MS/DC/2

लगा दिए जाएंगे। यह ठीक है कि ओ0पी0डी0/आई0पी0डी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्ज के पद क्रिएट किए जाते हैं। जो आपने कहा था कि डैपुटेशन पर कुछ स्टाफ देहरा से बदला गया था, वह डैपुटेशन फोर्थविद कैंसिल कर दिया गया है and they have joined back जो आपके चुनाव क्षेत्र से बाहर डैपुटेशन पर गए थे उनका डैपुटेशन दुबारा नहीं होगा। जो आपके ही चुनाव क्षेत्र में डैपुटेशन पर थे उनको हमने वहीं रखा है जहां आपने चाहा था। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है और मुझे इस बात का फख़्र है कि हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में इन चार सालों में बहुत सुधार हुआ है which has been adjust by Government of India. और मैं केन्द्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और नड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग बोलते हैं कि हम उनका धन्यवाद नहीं करते हैं। ट्रॉमा सेंटर तब सैंक्शन होंगे जब प्रदेश सरकार यहां से प्रस्ताव भेजेगी This is federal system of Government. जब तक हम प्रस्ताव नहीं भेजेंगे तब तक केन्द्र सरकार नहीं देगी। हमने पांच ट्रॉमा सेंटर के लिए प्रस्ताव भेजा और एप्रूव करवाए। इसके अलावा 9 ट्रॉमा सेंटर की एप्रूवल के लिए केन्द्र सरकार को और प्रस्ताव भेजा है। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे0पी0 नड्डा जी उसको सैंक्शन करेंगे और हम निश्चित तौर पर ट्रॉमा सेंटर्ज खोलेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, "ग" भाग के बारे में मुझे कुछ पूछना है।

Speaker: Next Question Sh. BK Chauhan.---(interruption)---No, we have been dealing this question for last 25 minutes. It is very wrong, half of the time of Question Hour is not for this question. ---(interruption)--- No, not allowed. ---(interruption)--- No, I will not allow. You have been dealing with this question for last 25 minutes.

प्रश्न समाप्त/

09/03/2017/1120/MS/DC/3

प्रश्न संख्याः 3772

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके "क" भाग में इन्होंने 6-7 मोहल्लों के नाम दिए हैं कि इनमें काम जारी है लेकिन जो मैंने "क" भाग में प्रश्न किया था उसमें मैंने पूछा था कि चम्बा में सीवरेज के पहले से चले हुए काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वे कब तक पूरे हो जाएंगे? शायद इन्होंने इसको समझा नहीं है। अभी भी मोहल्ला ओबड़ी और सुल्तानपुर में दो-तीन सालों से लगातार सीवरेज का काम चला हुआ है लेकिन अभी तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तक किसी को कनैक्शन नहीं मिला है। इसके साथ जो "ख" भाग में इन्होंने व्यय की सूचना दी है कि कितना पैसा व्यय हो चुका है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

09.03.2017/1125/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 3772-----**जारी**------

श्री बी0के0 चौहानः-----**जारी**--------

यह पैसा जो नए मुहल्ले इन्होंने दिए हैं हरदासपुरा, मुगला करियां, जुलाखड़ी बगैरह-बगैरह, इनमें से एक मुहल्ले में मैं भी रहता हूं। मेरी नज़र में कोई काम नहीं हुआ न ही आज तक कोई कनैक्शन मिले। इनके हिसाब से करोड़ो रु0 खर्च किए जा चुके है। वह किस काम के लिए खर्च किया? वह पैसा सीवरेज में तो लगा नहीं ।मैं तो रात-दिन वहीं रहता हूं। मुझे भी पता होना चाहिए था कि मेरे मुहल्ले में वाकई काम हो रहा है। यह सूचना जो आपने दी है उसको क्या आप करैक्ट करना चाहेंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो चम्बा की सीवरेज स्कीम है, शहरी विकास मंत्रालय इसमें धनराशि देता है और आई0पी0एच0 विभाग निर्माण करता है। आपने कहा कि कुछ मुहल्लों की सूचना दी है, आपके चम्बा में 11 वार्ड हैं, जिसमें सुल्तानपुरा, कसाकड़ा, चौगान, हटनाला, अंसाली, चौंतड़ा, सुराहड़ा, सपारी, ढलोग,जुखाड़ी और अदरासपुरा। इनमें कुछ जगहों पर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर निजी भूमि लोग सीवरेज लाईन डालने के लिए नहीं दे रहे हैं। जो हटनाला है वहां पर जो सीवर लाईन डाली गई तो उसके नीचे कुछ मकान हैं जो कि लैफ्ट आऊट हैं। उनके लिए भी हमने निर्देश दिए हैं कि उनका ऑल्टरनेट देखा जाए क्योंकि फिर वह कवर ही नहीं हो पाएंगे।

दूसरे, उस जगह पर जहां पर लोग निजी भूमि नहीं दे रहे हैं उस बारे में मेरा माननीय सदस्य से भी निवेदन रहेगा, इनका चुनाव क्षेत्र है और हम आई0पी0एच0 के जो अधिकारी हैं, उनको भी निर्देश देंगे कि आपके साथ एक मीटिंग करके उनको प्रेरित करें कि वे लोग सीवर लाईन को जाने दें। जो सुल्तानपुरा है, उसके लिए अभी एक अतिरिक्त डी0पी0आर0 विभाग ने भेजी है और उसको अतिरिक्त

09.03.2017/1125/जेके/डीसी/2

धनराशि की जरूरत है, वह धनराशि जैसे ही रिलीज हो जाएगी तो सुल्तानपुर मुहल्ला को भी कवर करने का कार्य शुरू होगा। विलम्ब सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब विभाग काम कर रहा है तो उनको सीवर लाइन डालने में स्थानीय स्तर पर समस्या इसलिए आ रही है

क्योंकि निजी भूमि वहां पर आती है। जहां पर आप कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है और काम नहीं हो रहा है तो उसके बारे में आप अलग से लिख कर दें। हम आई0पी0एच0 और डिप्टी कमिशनर से एक कमेटी बना करके इस सारी स्कीम को दोबारा से रिव्यू करवा लेंगे।

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भी सूचना दे कर खुद ही कन्ट्राडिक्ट कर दिया है कि सही नहीं है। ये हरदासपुरा, पवना ओबड़ी और सुल्तानपुरा योजना पिछले 5-6 सालों से चली आ रही है। जो जमीन की समस्या थी वह सॉटआऊट हो गई है। वहां पर दो ही मुहल्ले हैं उन दोनों जगह के लिए वहां पर सीवरेज टैंक आदि बनना था उसके लिए तय हो चुका है। उसके बावजूद भी वहां पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो 6 मुहल्ले ऐड किए हैं, वह काम हाल ही में आपने शुरू करवाया है लेकिन यह काम भी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। आपने जो व्यय इसके लिए किया, आपने आज तक जितना व्यय किया, 8 करोड़ 45 लाख के करीब खर्च किया। इसके बारे में पूछना चाहता हूं कि यह चम्बा में कहां खर्च हुआ और किस एरिया में खर्च हुआ? क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि काम कहीं भी नहीं हो रहा है तो फिर इतना पैसा लाखों के हिसाब से कैसे खर्च हो गया? I would like to know about it.

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने माननीय सदस्य को कहा कि जो चम्बा शहर में 11 वार्ड हैं, उसमें आपका अभी जो ओबरी, माईका बाग और सुल्तानपुर मुहल्ला है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

09.03.2017/1130/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3772 क्रमागत

शहरी विकास मंत्री क्रमागतः

उसमें अभी कोई काम नहीं हुआ है, वह कवर होना है। उसके लिए अतिरिक्त धनराशि जायेगी। बाकी जगह पर जो सीवर लाइन है वह कशांकड़ा में कम्प्लीट है। चौगान, खतनाला, जनसाली, चौंतड़ा, सुरारा, सपारी, थड़ोग और चलखाड़ी में कम्प्लीट है। हरदासपुरा में अभी तक इसका काम अधूरा है। आपने कहा कि जो आपको उत्तर में सूचना दी गई है वह कंट्राडिक्टरी है। ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न शहरी विकास मंत्रालय को आया था, हम लोग फंडिंग एजैंसी हैं तो दो विभागों से सूचना आती है। एक जो आपकी सूचना गई है वह शहरी विकास विभाग की दी है और जो दूसरी एग्जिक्यूटिंग एजैंसी आई0पी0एच0 है उनके माध्यम से जो अलग से सूचना आई है वह भी मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि वहां पर किन्हीं कारणों से ठीक से काम नहीं हो रहा तो जिस-जिस मुहल्ले में लैफ्ट आउट एरियाज़ हैं और विभाग कार्य ठीक से नहीं कर रहा है उसके बारे में अगर आप मुझे अलग से बतायेंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हम यह प्रयास करेंगे कि जल्द-से-जल्द इन लैफ्ट आउट एरियाज़ को कवर करें। अभी पीछे एक और वहां से प्रॅपोजल आई थी उसके अन्तर्गत अभी हमने एक करोड़ रुपया और सैंक्शन करना है ताकि जो छूटा हुआ कार्य है वह शुरू हो जाए।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह ठीक कहा कि अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट फंडिंग एजैंसी है। मगर फंडिंग एजैंसी आगे आई0पी0एच0 को दे रही है। यह इश्यु ग्रिवैंसिज़ कमेटी में बार-बार उठता है and the fact of the matter is that the IPH Department is doing nothing in Chamba on this issue. Many times all the Hon'ble Members have raised this issue. क्या आप आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट के साथ कुछ इस तरह की कमेटी बिठायेंगे या उसको मोनिटर करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस करेंगे ताकि काम पूरा हो सके? आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट के पास पैसा

09.03.2017/1130/SS-AG/2

पड़ा हुआ है but they are not doing anything. ये सारे इश्यु सॉर्ट आउट हो चुके हैं, चाहे वह लैंड का है या कहीं से लाइन जानी थी, उसमें रोड का इश्यु था, ये सब सॉर्ट आउट हो

चुके हैं। In every meeting of the Grievances Committee this issue is raised and the Xen IPH is unable to execute the work. इसके बारे में आपका विभाग क्या करेगा? क्योंकि पैसा आपका है, सरकार का है, सरकार के इन दो डिफरैंट डिपार्टमैंटस के बीच में कॉर्डिनेशन नहीं है। क्या आप आई0पी0एच0 के साथ मामला टेक अप करेंगे that they execute the work. There is nothing to be done anymore by the local people.

शहरी विकास मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्या ने कहा है, मैंने 2015 में दोनों विभागों की अपनी अध्यक्षता में मीटिंग की थी और उसके बाद बहुत सारी जगह पर जो फंडस की यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी, उसमें गति आई थी। अभी पीछे भी दोनों विभागों के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उनकी मीटिंग भी इस बारे में हुई है। लेकिन फिर भी जितनी प्रगति होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाई है। हम इसको रेगुलरली मोनिटर कर रहे हैं। यह केवल चम्बा की बात नहीं है अन्य सीवरेज स्कीम्ज़ भी प्रदेश में हैं जैसे आपके वहां डलहौजी की है उनका भी कार्य जिस गति से होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। कई जगह पर 20-20 वर्षों से पैसा गया हुआ है लेकिन स्कीम्ज़ कम्प्लीट नहीं हुईं। उसके बारे में हम पहले रिव्यू कर चुके हैं और एक बार फिर से इसके लिए मैंने मुख्य सचिव से कहा है कि अपनी अध्यक्षता में दोनों विभागों के अधिकारियों को बुला करके इसका रिव्यू करें और कितना अनस्पैंट अमाउंट आई0पी0एच0 विभाग के पास पड़ा है उसको देखते हुए जल्दी-से-जल्दी यूटिलाइज करने के हम लोग निर्देश देंगे।

09.03.2017/1130/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 3773

अध्यक्षः अगला प्रश्न, श्री बम्बर ठाकुर। अनुपस्थित।

प्र0सं0 3774 जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2017/1135/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 3774

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसकी स्थिति न केवल दयनीय है बल्कि "ख" भाग का उत्तर तो हास्यास्पद है। उत्तर में कहा गया है कि 12 में से केवल 3 जिलों में इस वक्त मनोचिकित्सक डॉक्टर उपलब्ध हैं । इसका मतलब सीधा है कि 9 पद तो अभी तक सृजित भी नहीं हुए और एक पद आपने वर्ष 2015 में सृजित किया। उसके विरुद्ध भी किसी की कोई अप्वाइंटमैंट नहीं हुई। फिर "ख"भाग के उत्तर में आप कहते हैं कि रिक्त पदों को भरा जाना निरन्तर प्रक्रिया है। जब आपने पद क्रिएट ही नहीं किए तो भरना क्या? मुझे लगता है कि विभाग यह घिसा-पिटा जवाब हर प्रश्न के साथ लिख देता है कि निरन्तर प्रक्रिया है। अरे, जब पद ही नहीं है तो भरा कैसे जाएगा? पद क्रिएट ही नहीं हुआ है। जो मनोरोगी हैं, वे दर-दर भटकते हैं। जब शिमला आते हैं तो आई.जी.एम.सी. में भी मनोचिकित्सक नहीं है, जो कि हमारा प्रमुख हॉस्पिटल है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक और पद सृजित होंगें और जो 2015 से सृजित किया गया पद है, उसको न भरने के क्या कारण है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य ने जवाब ठीक तरीके से नहीं पढ़ा। हमने "क" भाग के उत्तर के आखिर में कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक जिला में एक-एक मनोचिकित्सक का पद दिनांक 10.11.2015 को सृजित किया गया है। हमने इसके रिक्रूटमैंट रूल्ज़ भी अब फ्रेम कर दिए हैं। अभी जो हमारे पास पांच चिकित्सक उपलब्ध थे, उनको हमने भर दिया है। आप शिमला की बात करते हैं, जो हिमाचल का बालुगंज में मैंटल हॉस्पिटल है, वहां हमने दो डॉक्टरों के पद सृजित किए हैं, और दोनों पद भर भी दिए हैं । इस स्टेट मैंटल हॉस्पिटल में जितने भी डिप्रैशन के लोग होते हैं या मैंटल लोग होते हैं, उनका यहां ईलाज भी हो रहा है और उसके बाद रिहेब्लिटेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी आपने कहा कि विभाग लिख देता है कि पदों को

भरने की निरन्तर प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर हमारी कोशिश होगी। अगर वॉक इन इंटरव्यू से ये

09.03.2017/1135/केएस/एजी/2

मनोचिकित्सक उपलब्ध हुए तो हर मंगलवार को हम वॉक इन इंटरव्यू करते हैं और जो भी डॉक्टर आ रहे हैं उनको भर्ती किया जा रहा है। अगर हमारे पास मनोचिकित्सक भी उपलब्ध हुए तो निश्चित तौर पर जो हमारे 9 हॉस्पिटल बचे हैं, उनमें भी हम चिकित्सक लगाने का हर सम्भव प्रयास करेंगें provided we get the Psychiatrist Doctor for our department.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मंत्री महोदय ने कहा कि बालूगंज में स्टेट लैवल का आपका मैंटल हॉस्पिटल है और यह भी सही है कि दो डॉक्टर वहां है लेकिन वस्तुस्थिति से शायद मंत्री जी अवगत नहीं है। जितने भी यहां इस प्रकार के मरीज लाए जाते हैं, केवल औपचारिकताएं की जाती है। कुछ दिन यहां रखने के बाद उनको घर भेज दिया जाता है , भले ही वे ठीक हो या न हो। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या स्वयं समय निकाल कर आप उस हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगें ताकि वस्तुस्थिति माननीय सदन के सामने आए और उस व्यवस्था को ठीक करेंगें, सुनिश्चित करेंगें कि बिना ईलाज के लोगों को वापिस न भेजा जाए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य को पता नहीं है कि मैं जब से मंत्री बना हूं, तीन बार व्यक्तिगत तौर पर मैंटल हॉस्पिटल जा कर आया हूं। मैं अभी दो महीने पहले भी गया था और मैंने एक-एक मरीज से बात की।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

9.3.2017/1140/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3774---------- क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री :---------- जारी

मरीज जब बिल्कुल ठीक हो जाता है, लगभग 15 दिन के पीरियड में वह बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगता है और तब उसको छुट्टी दे दी जाती है। उसके बाद उसको ट्रैक किया जाताहै कि वह नॉर्मल है या नही है। कई मरीज दो-दो बार भी भर्ती होते हैं। घर जाकर 5-6 महीने के बाद डिप्रैशन या किसी दूसरी वजह से अगर वह मैंटल केस बनते हैं तो वह दोबारा होस्पिटल में आ जाते हैं और उनका ठीक तरीके से उपचार किया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप उस हास्पिटल में व्यक्तिगत तौर पर भी जाएं, दाखिल होने के लिए नहीं बल्कि वहां जिन मरीजों की ट्रीटमैंट चल रही है उनके पास जाएं तथा बातचीत करें। उनसे पूछे कि खाना और दवाइयां ठीक मिल रही है। वहां पर पेशैंट के अनुसार डॉक्टर पहले ही उपलब्ध है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी मैंटल डिजीज के पेशैंट हैं उनका उपचार ठीक तरीके से हो। हमारे डॉक्टर लोग मरीजों के टेलीफोन नम्बर नोट करते हैं और उपचार के बाद भी उनका फीडबैक लिया जाता है। कई बार वह दोबारा मैंटल होने से वायलैंट हो जाते हैं फिर पुलिस के माध्यम से उनको मैंटल हास्पिटल लाया जाता है। वहां पर कई मरीज 2-2, 3-3 साल से दाखिल है। मैंने वहां सबसे पूछा और बात की है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में जितने भी बड़े-बड़े हास्पिटल है मैं वहां पर व्यक्तिगत तौर पर गया हूं। हमारे माननीय सदस्य बिन्दल साहब भी पिछली टर्म में पांच साल स्वास्थ्य मंत्री रहे। मन्दोधार में हमारा स्टेट स्तर का लैपरोसी हास्पिटल है मगर ये वहां पर एक बार भी नहीं गये। मैं वहां भी दो बार जाकर आया हूं। हमारी स्टेट का टी0बी0 हास्पिटल धर्मपुर में है (---व्यवधान---)

डॉ0 राजीव बिन्दल : आपने क्या किया? वह तो डिग्री कालेज के लिए जा रहा है।

9.3.2017/1140/av/as/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : आप उसकी फिक्र न करें। वह डिग्री कालेज के लिए जा रहा है मगर वहां स्टेट हास्पिटल उससे भी सुंदर बन रहा है। मैं आपको यह विश्वास भी

दिलाना चाहता हूं। वहां पेशैंट ने कहा कि बिन्दल साहब हमारे सोलन के हैं मगर वे इस हास्पिटल में कभी कमियां देखने नहीं आए। वहां पर जो कमियां थी मैंने उनको मौके पर दूर करने की कोशिश की है। हमारा जो स्टेट का मैंटल हास्पिटल है हम उसको पूरी तरह इक्विप कर रहे हैं। उसमें जिन कमियों को पूरा करने की जरुरत पड़ती है हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं।

9.3.2017/1140/av/as/3

<u>प्रश्न संख्या : 3775</u>

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि आपके बैजनाथ शहर के लिए भट्टु नाला से कोई भी पेयजल परियोजना नहीं बनाई गई है। वर्तमान में बैजनाथ शहर को बिनवा पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह योजना सनसनाई खड्ड स्त्रोत पर आधारित है तथा इस योजना में जल संशोधन यन्त्र बनाया गया है।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। बरसात के दिनों में सारा मटमैला पानी आता है जिसके कारण वहां पर कभी भी भयंकर बीमारी फैल सकती है। हमारे पास दूसरे कई स्त्रोत भी हैं विभाग हमें उनसे पानी क्यों नहीं देता?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात करना चाह रही थी कि भट्टु नाला में बहुत गंदा पानी है और पीने लायक नहीं है<u>। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको बिनवा पेयजल योजना से पानी उपलब्ध कराने बारे कोशिश करेंगे। यह परियोजना सनसनाई खड्ड पर आधारित है।</u>

माननीय सदस्य श्री वर्मा द्वारा जारी

09/03/2017/1145/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

प्रश्न संख्याः 3775___जारी...

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां से हमें पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहां साथ में ही भट्टू वालो का शमशानघाट है। उससे सारा गन्दा पानी उस स्त्रोत में जाता है। इसके साथ ही कथौग नामक चश्मा है जिसका सारा पानी बिनवा में जा रहा है। वहां का पानी बैजनाथ को दिया जाये। क्या माननीय मंत्री महोदया इस बारे में आश्वासन देंगी कि वहां से एक नई पेयजल योजना चलाई जायेगी?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः इस पानी की जो टैस्टिंग रिपोर्ट 28-1-2017 को आई है, उसके अनुसार 'बिनवा' पेयजल योजना का पानी पीने के लिए ठीक नहीं। वहां पर पानी है, लेकिन वह साफ नहीं है।

09/03/2017/1145/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

प्रश्न संख्याः 3776

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना दी है, उसमें 'अमृत' (Atal Mission For Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत शिमला नगर और कुल्लू दो की स्वीकृति भारत सरकार से आई है। धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, नगरोटा, ज्वालामुखी, देहरा ऐसे कुछ टाऊन इन्होंने केन्द्र सरकार को भेजे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दो नगरों की स्वीकृत आई है, उनके लिए आने वाले समय में कुल कितनी धनराशि विकास कार्यों के लिए प्राप्त होगी?
दूसरा, धर्मशाला, पहले ही केन्द्र सरकार ने स्मार्ट सिटी में दे दिया है, तो स्मार्ट सिटी में कितनी धनराशि केन्द्र से आने वाले समय में मिलेगी और जब वह स्मार्ट सिटी में है, तो धर्मशाला को 'अमृत' के लिए क्यों भेजा गया?

तीसरा, आपने कहा कि नाहन को आने वाले समय में भेजेंगे। जो गाइडलाईन्ज़ आपने हमें दी हैं, उन गाइडलाईन्ज़ में 2.1.3 हैरिटेज़
क्लासिफिकेशन्ज़ के अन्तर्गत कितने दिनों में आप मसौदा केन्द्र सरकार को नाहन टाउन को 'अमृत' के अन्तर्गत लाने के लिए भेज देंगे?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये जो 'अमृत' है, इसके अंतर्गत जो केन्द्र की गाइडलाईन्ज़ हैं, उसमें पूरे देश के प्रदेशों की राजधानी और एक लाख की आबादी वाले शहरी निकाय हैं उसके अलावा हैरिटेज टाऊन जो केन्द्र की 'ह्दय स्कीम' में आते हैं तथा 10 महत्वपूर्ण शहर हैं। इसमें शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, उसका चयन हुआ है और इसके अलावा धर्मशाला कलस्टर, जिसमें धर्मशाला, कांगड़ा पालमपुर, नगरोटा, ज्वालामुखी, देहरा आते हैं। दूसरा, मण्डी कलस्टर जिसमें मण्डी, सुन्दरनगर, नेरचौक, रिवालसर, कुल्लू, मनाली भुन्तर प्रस्तावित किये हैं। उस समय तक धर्मशाला का चयन 'स्मार्ट सिटी' में नहीं हुआ था, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ प्रदेशों के अन्दर ऐसे शहरों का भी चयन हुआ है, जिसमें ये दोनों 'स्मार्ट सिटी' और 'अमृत' को भी दिया गया है। जहां तक इनमें जो धनराशि व्यय होनी है, उसका प्रश्न है। स्मार्ट सिटी में जो प्रपोजल गई थी,

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ..... जारी ।

30/11/2015/1150/ एन0एस0/डी0सी0 /1

प्रश्न संख्याः 3776 -- क्रमागत

शहरी विकास मंत्री ----- जारी

उसके अनुसार धनराशि व्यय होगी जोकि 2,156 करोड़ के लगभग है और इसमें अभी 185 करोड़ रूपये की राशि केंद्र से आ गई है। अमृत मिशन में जो शहरी निकाय अपने प्रस्ताव बना करके भेजेंगे और उसके अनुसार लगभग 31 करोड़ रूपये की धनराशि शिमला और कुल्लू शहर के लिए आई है। माननीय सदस्य ने जो हैरिटेज़ टाउन के लिए नाहन का प्रस्ताव भेजने की बात कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने केन्द्रीय मंत्री (शहरी

विकास विभाग) श्री वैंकेया नायडू जी से स्वयं मुलाकात करके कहा था कि हमारे शहर आबादी के हिसाब से छोटे हैं क्योंकि धनराशि जितनी ज्यादा केंद्र से आ रही है इसलिए पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए हमारी जितनी भी अर्बन लोकल बॉडिज़ हैं, तो इसमें अगर आप कलस्टर अप्रोच को और बढ़ाने दें और सभी शहरों को इसमें शामिल कर दें तब उनकी जो छोटी-छोटी स्कीमज़ हैं वे सारे शहरों की पूरी बन जाएंगी। हो सकता है कि उसके ऊपर भी विचार चल रहा हो। आपने जहां तक नाहन का प्रस्ताव बना करके भेजने की बात कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। हम नाहन ही नहीं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण शहर जो इन कलस्टर से बचे हैं, उनका प्रस्ताव भी बना करके भेज देंगे ताकि भविष्य में उनके लिए भी धन राशि आ सके।

डॉ0 राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2,156 करोड़ रूपये की स्वीकृति धर्मशाला के लिए प्राप्त हुई है। 'अमृत मिशन' में जैसे-जैसे प्रोजैक्ट जाएगा और नाहन का भी आप प्रोजैक्ट भेजेंगे, आप जब तक नाहन का प्रोजैक्ट नहीं भेजते हैं तब तक वहां की बहुत ही महत्वपर्ण कमियां हैं जिनको ले करके आप खुद मिले भी हैं और आपने प्रोजैक्ट भी भेजा है। क्या आप वह धनराशि अर्बन डिवेलपमैंट नाहन की दृष्टि से शीघ्र प्रेषित करेंगे?

30/11/2015/1150/ एन0एस0/डी0सी0 /2

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वहां पर लिख कर भेजा था और इन्होंने स्वयं मुझसे सीवरेज़ के लिए कहा है। उसके लिए हम धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं और वहां पर जो अन्य कार्य होने हैं उसके लिए विभाग स्वयं अपने ही स्तर पर अगले वित्तीय वर्ष में धनराशि का प्रावधान कर देगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसकी प्रपोज़ल हैरिटेज़ सिटी के नाते हम इसी माह केंद्र को भेज देंगे।

30/11/2015/1150/ एन0एस0/डी0सी0 /3

प्रश्न संख्या : 3777

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में यहां पर लिखा है कि सिविल हास्पिटल, गौहर में चिकित्सा अधिकारी के 8 पद सृज़ित हैं जिसमें से केवल दो ही डॉक्टर्ज़ वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है कि यहां पर लैब टैक्निशयन के तीन पद सृज़ित हैं और तीनों पद खाली हैं। यहां पर रेडियोग्राफर का एक पद सृज़ित है और एक पद ही खाली है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डॉक्टर, रेडियाग्राफर और लैब टैक्निशियन के पद कितने समय से खाली चल रहे हैं? दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि दो साल से ऊपर का समय इस सी0एच0सी0 को सिविल हास्पिटल बने हुए हो चुका है, क्या कारण है कि यहां पर नये डॉक्टरों के पद सृज़ित नहीं किए गए हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा वह ठीक है। दो साल पहल ही यह कम्युनिटी हैल्थ सैंटर से सिविल हास्पिटल बना था और मैं वहां पर व्यक्तिगत तौर पर गया था तथा भवन का उद्घाटन भी हुआ था, माननीय सदस्य भी उस समय वहां पर मौजूद थे। उसके बाद हमने डॉक्टरों को लगाने की कोशिश भी की।

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

09.03.2017/1155/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 3777...जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः ....जारी

जब सिविल हॉस्पिटल 50 बिस्तरीय बनाया गया तभी तो वहां 8 डॉक्टर हुए। पहले वहां दो ही पद थे और तब से लेकर अभी तक यह पद खाली चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रेडियोग्राफर के 30 पद हमने कई महीने पहले स्टाफ सलैक्शन कमीशन, हमीरपुर को भर्ती करने के लिए भेजे हैं। जैसे ही वहां से सलैक्शन लिस्ट हमारे पास आएगी, प्राथिमकता के आधार पर एक रेडियोग्राफर आपके क्षेत्र में भर दिया जाएगा। जहां तक लैब टैक्निशियन की बात है, इस समय काफी पद लैब टैक्निशियन के प्रदेश में खाली हैं। लगभग 567 पद खाली पड़े हुए हैं। 491 पद भरने के लिए हम वित्त विभाग से मामला उठा रहे हैं। जैसे ही वित्त विभाग की तरफ से रिसपौंस आएगा we will take the matter to the Cabinet. In the meantime रेशनालाइजेशन पॉलिसी के तहत अगर किसी सी.एच.सीज. में दो लैब टैक्निशियन हुए तो एक लैब टैक्निशियन आपके निर्वाचन क्षेत्र में भर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक डॉक्टरों की बात है मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक या दो डॉक्टर एक सप्ताह के भीतर आपके सिविल हॉस्पिटल गोहर में लगा दिए जाएंगे।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आज यहां पर आश्वासन दिया गया इस तरह का आश्वासन वर्ष 2013 के बजट सैशन में भी मुझे मिला था। उसके बाद वर्ष 2014, 2015, 2016 और अब वर्ष 2017 में भी मुझे मिला है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने इतने डॉक्टरों को नियुक्त किया लेकिन जहां पर आवश्यकता है वहां पर कुछ नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 60 पंचायतों व लगभग डेढ़ लाख से भी ऊपर की जनसंख्या को वह अस्पताल फीड करता है। यदि किसी को अपना X-ray या टैस्ट कराना होता है तो उसे मंडी या सुन्दरनगर अस्पताल में जाना पड़ता है। पिछले चार वर्षों से इसी तरह के आश्वासन

09.03.2017/1155/RKS/DC-2

हमें मिल रहे हैं। क्या आप बी.जे.पी. का विधायक होने के कारण वहां पर डॉक्टर नहीं भेज रहे हैं? आप लैब टैक्निशियन नहीं दे रहे हो। जब उस हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल बनाया गया था तब वहां चार डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। रेडियोग्राफर वहां पर था। लैब टैक्निशियन भी वहां पर था। क्या बी.जे.पी. विधायक होने के कारण वहां पर अनदेखी की जा रही है? जिला मंडी से मंत्री होने के नाते हमें माननीय मंत्री जी से बहुत आशाएं थीं। जिस दिन इन्होंने सिविल हॉस्पिटल बनाया था मैंने इनका धन्यवाद किया था।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप सप्लीमैंटरी पूछ रहें हैं कि या भाषण द रहे हैं। Not to be recorded.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनके सारे आरोप निराधार हैं। माननीय सदस्य हमेशा ही भेदभाव की बात करते हैं। कांग्रेस सरकार के शब्दकोष में भेदभाव शब्द नहीं है। अगर आप विधायक बी.जे.पी. के हैं तो क्या हुआ? हम तो जनता की सेवा करने वाले हैं। जब स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात होती है तो आपने कई बार मुझे व्यक्तिगत तौर पर टेलिफोन किया और मैंने आपके टेलिफोन को अटैंड करके समस्या को दूर करने की कोशिश की है। मैंने आपको कहा कि हफ्ते या दस दिन के अंदर एक या दो डॉक्टर आपके चुनाव क्षेत्र में लगा दिए जाएंगे। मैं यह भी कह रहा हूं कि अगर कहीं दो लैब टैक्निशियन होंगे तो एक को ट्रांसफर करके आपके क्षेत्र में लगा दिया जाएगा। रेडियोग्राफर के इस समय काफी पद खाली पड़े हैं। हमारी X-ray मशीनें खड़ी पड़ी हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इनकी परमीशन के बिना कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां भेदभाव की कोई बात नहीं है। हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करनी है। हम यह नहीं पूछते कि मरीज़ बी.जे.पी., कांग्रेस, कम्युनिस्ट या किसी दूसरी पार्टी का है। डॉक्टर सबका इलाज़ करते हैं and it is our duty to provide qualitative medical facility to the people of Himachal Pradesh and Himachal Pradesh is doing its best to give medical facility to the people.

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

09.03.2017/1200/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 3778

श्री बलबीर सिंह वर्मा :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में 384 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें से 43 केंद्र विभागीय भवनों में हैं जबकि 175 निजी भवनों में तथा 166 अन्य सरकारी भवनों में हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि चौपाल में भी आप क्या आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों के निर्माण के लिए लिए पैसे की उपलब्धता कराएंगे। साथ-ही-साथ मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि क्योंकि मेरा चुनाव क्षेत्र बहुत दूर-दराज़ का क्षेत्र है। क्या वहां और आंगनबाड़ी और मिनि-आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान करेंगे?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं वह बिल्कुल ठीक हैं। मैं माननीय सदन को भी बता देना चाहता हूं कि over the years there have been a very good wisdom of all the Governments कि 1975 से अभी तक, बेशक हमें 1761 आंगनबाड़ी केंद्रों की ही स्वीकृति मिली हो, परंतु इस समय 18925 आंगनबाड़ी होने के बावजूद हमारी सभी सरकारों ने अभी तक इन आंगनबाड़ियों को आगे चलाया है। खासकर जैसे चौपाल क्षेत्र और दूसरे दूर-दराज़ के क्षेत्र हैं, उनकी ओर श्री वीरभद्र सिंह जी के सशक्त नेतृत्व में हमारा ध्यान रहा है कि वहां आंगनबाड़ी केंद्र हमेशा संचालित किए जाएं। **आपके क्षेत्र में भी, जो मेरे पास आंकड़े हैं, 38 में से 32 केंद्रों के भवन बन चुके हैं और 6 शेष हैं। उनके लिए भी पूरा धन उपलब्ध करवाया जा रहा है और शीघ्र ही आपको इन केंद्रों के लिए भवन मिल जाएंगे।**

प्रश्न काल समाप्त

09.03.2017/1200/SLS-AG-2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे।
अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-2017 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-2017 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर की 35वीं वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

09.03.2017/1200/SLS-AG-3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपःस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं :-

1. समिति का 163वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 143वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और
2. समिति का 164वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 144वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उप:स्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री खूब राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के 34वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 26वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

09.03.2017/1200/SLS-AG-4

<u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष : अब कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

अब श्रीमती सरवीन चौधरी कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करेंगी और प्रस्ताव करेंगी कि उसे अंगीकार किया जाए।

श्रीमती सरवीन चौधरी...श्री गर्ग जी

09/03/2017/1205/RG/AG/1

अध्यक्ष महोदय के पश्चात

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करती हूं तथा प्रस्ताव करती हूं कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य-सलाहकार समिति द्वारा अपने 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकार

09/03/2017/1205/RG/AG/2

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मानवता से जुड़ा हुआ मामला यहां उठाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है और उसी के पार्ट के अन्तर्गत कमला नेहरू अस्पताल नाम से एक अस्पताल है। उसमें कुछ दिन पहले दो शिशु पैदा हुए, लेकिन वे दोनों बदल

गए। उस मामले में डी.एन.ए. टैस्ट करवाने पड़े तब जाकर बड़ी मुश्किल से वे अपने-अपने मॉ-बाप के पास वापस दिए गए।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार अभी दो दिन पूर्व इस अस्पताल में एक रोगी नीलम कुमारी नाम की गई। उनका नवां महीना था और डिलीवरी होनी थी। वहां देखने के बाद, उनको एक टैस्ट करवाने के लिए कहा गया। इस टैस्ट के लिए उनको आई.जी.एम.सी. जाना था, लेकिन उन्हें उसके लिए कोई ऐम्बूलेंस नहीं दी गई। वे वहां गईं, उनका वहां टैस्ट हुआ और वह वापस के.एन.एच. गईं। क्योंकि वहां उनसे कहा गया था कि यह बच्चा मर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी के.एन.एच. में डॉक्टर्ज ने उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए इंजेक्शन लगा दिया और फिर दुबारा से सुबह एक और इंजेक्शन लगा दिया कि डिलीवरी हो। सिजेरियन नहीं किया। वैसे जल्दी से सिजेरियन कर देते हैं। जब पहले ही उनको बता दिया था कि मरा हुआ बच्चा है, लेकिन उसको दुबारा से अस्पताल भेजा कि आई.जी.एम.सी. में जाकर टैस्ट कराओ। फिर भी उनको कोई गाड़ी नहीं दी गई, उनको टैक्सी में जाना पड़ा और वहां मरा हुआ बच्चा डिक्लेयर हुआ। जबकि प्रोसीजर यह है कि इमरजैंसी में डॉक्टर को कॉल पर बुलाया जाता है और रेडियोलॉजिस्ट को के.एन.एच. में बुलाया जा सकता था, लेकिन न उसको बुलाया गया और न ही पेशेन्ट के लिए कोई गाड़ी दी गई। अगर सिजेरियन पहले ही हो जाता, तो बच्चा जीवित होता। लेकिन वह बच्चा मर गया। तो सरकार बहुत असंवेदशील है। फिर ये कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत सारे पद सृजित कर रहा है, बहुत सारे अस्पताल खोल रहा है, पी.एच.सी. से सी.एच.सी. बन रही हैं और यहां से राजधानी बदलकर धर्मशाला जा रही है। सब कुछ बदल रहे हैं। एक शिशु को पैदा होने से पहले ही आपने अपने अस्पताल में मार दिया। इसके विपरीत माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इस बात को सुनने के लिए यहां बैठने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो इस प्रकार के अस्पताल इन्होंने यहां तैयार कर रखे हैं।

09/03/2017/1205/RG/AG/3

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग को सेन्श्योर किया जाना चाहिए और इस कार्रवाई के लिए जिन लोगों की कोताही हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वे कहते हैं कि हम डॉक्टर्ज के साथ बद्तमीजी करते हैं और उसके कारण एक कानून बनना चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार की कोताही करते हैं क्योंकि

गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर्ज के खिलाफ कोई भी कंज्युमर कोर्ट में नहीं जा सकता। उनके खिलाफ कोई भी ऐक्शन नहीं होता और विभागीय कार्यवाही भी इस प्रकार के मामलों में नहीं होगी। एम.एस. ने भी कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा। मुझे तो यह अभी बताया गया, लेकिन एम.एस. ग्रेड में उन डॉक्टर्ज से नीचे का है। वह कुछ नहीं कर सकता और सरकार कुछ करना नहीं चाहती। इसलिए इस विषय पर आपसे निवेदन है कि सदन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जाएं कि इस पर उच्च स्तर पर जांच हो और जिन लोगों ने इस मामले में कोताही बरती है उनको सख्त-से-सख्त सजा दिलाई जाए। माननीय मंत्री महोदय को इस विषय पर छानबीन करके आज ही वक्तव्य देना चाहिए और इसके लिए उनको निर्देश दिए जाने चाहिए।

Speaker: I will get the report from the Government and take appropriate action immediately.

एम.एस. द्वारा जारी

09/03/2017/1210/MS/DC/1

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। अब श्री सतपाल सिंह सत्ती जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगी।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का ऊना जिला के दौलतपुर चौक नगर पंचायत में दिनांक 28 फरवरी, 2017 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक "खाली पेयजल टैंक में मिला कंकाल, सनसनी", से उत्पन्न स्थिति की ओर ध्यान दिला रहा हूं।

अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। इस विभाग के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को पेयजल उपलब्ध करवाया

जाता है लेकिन वहीं पर कुछ समय से यह देखने को मिला है कि इस विभाग के टैंक्स अवैध गतिविधियों के संचालन के लिए भी उपयोग किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक युग हत्याकांड शिमला में भी उजागर हुआ था जिसमें दोषियों ने एक छोटे से बच्चे को मारकर टैंक में फेंक दिया था। हालांकि इन टैंकों की सफाई समय-समय पर होती रहती है। विभाग उसकी पेमैंट भी करता है और विभाग के अधिकारी उसकी रिपोर्ट भी लेते हैं। युग हत्याकांड में भी प्रयोग किए गए उस टैंक की उससे पहले दो बार सफाई हो चुकी थी लेकिन जब तीसरी बार उसकी सफाई हो रही थी तो उस समय उस टैंक में उस बच्चे का कंकाल मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए

इसी तरह की घटना दौलतपुर चौक में भी हुई है। वहां पर नगर पंचायत में तीन वाटर टैंक हैं। उनमें से दो टैकों को विभाग एट-ए-टाइम पेयजल देने के लिए उपयोग करता है। वहां पर तीसरा टैंक इसलिए बनाया गया है कि अगर वहां पर कोई दिक्कत आ जाए तो तीसरे टैंक का उपयोग पेयजल के लिए कर लिया जाए। जब

09/03/2017/1210/MS/DC/2

विभाग के कर्मचारी उसकी सफाई के लिए गए तो उनको वहां पर एक व्यक्ति का कंकाल मिला और उस नर कंकाल ने भी यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या विभाग को इसकी जानकारी है कि उस टैंक की पहले भी सफाई की गई थी या कब से उसको उपयोग नहीं किया जा रहा था? अब यह नर कंकाल फॉरैंसिक लैब धर्मशाला के लिए भेजा गया है। समाचार पत्र के माध्यम से यह विषय उठाया गया है और उस नर कंकाल का पूरा चित्र अखबार में छपा है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस तरह के कितने टैंक्स हिमाचल प्रदेश में हैं और उनमें से कितने नियमित रूप से उपयोग में लाए जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो हमने रिजर्व में रखे हुए हैं या उपयोग में नहीं लाए जाते हैं? उनका इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रयोग न हो, उसके लिए विभाग क्या आने वाले समय में ऐसा कदम उठाएगा कि उन टैंकों के ऊपर जो ढक्कन हैं उनको बन्द करके ताला लगाया जाएगा ताकि जो टैंक खाली पड़े हैं वे ऐसी गतिविधियों के लिए उपयोग न हों?

इसके अलावा समय-समय पर उनकी जांच होती रहे और विभाग के ध्यान में लाया जाता रहे। यह विषय बड़ा सनसनीखेज है। हमारे बॉर्डर एरिया में एक-दो जगह पहले भी ऐसे नर-कंकाल कुंओं या टैंकों में मिले हैं। यह नर कंकाल किसका है इसका फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आने पर पता चलेगा क्योंकि शव बिल्कुल सड़ चुका था और कब से वहां गिरा है, उसका किसी को पता नहीं है। उस शव में मात्र हड्डियां ही मिली हैं और बाकी सारा शव सड़ चुका था। इस करके मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग पूरे प्रदेश में अपने जो टैंक हैं उन पर क्या कार्रवाई करेगा और इसकी रिपोर्ट कब तक आने वाली है? इसकी जानकारी क्या माननीय मंत्री जी सदन के सामने रखेंगी?

09/03/2017/1210/MS/DC/3

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने जिस तरीके से यहां बात कही, उसको सुनकर मुझे हैरानी हुई। दिनांक 28 फरवरी, 2017 को अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार "खाली पेयजल टैंक में मिले कंकाल से सनसनी" पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पर अविलम्ब चर्चा की जाए, बारे वस्तुस्थिति इस प्रकार है। पेयजल योजना दौलतपुर चौक के संवर्द्धन के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति दिनांक 27/2/1996 को 74.33 लाख रुपये की प्रदान की गई थी।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

09.03.2017/1215/जेके/एएस/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री------**जारी**--------

इस योजना का निर्माण वर्ष 1998-99 में पूर्ण हुआ तथा यह योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इस योजना को तीन जोनों में विभाजित किया गया है जिसके लिए चार भण्डारण

टैंकों का निर्माण किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। आपको मैं सारा कुछ बताती हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए और तसल्ली होना भी आवश्यक है। वहां पर मुख्य भंडारण टैंक (नजदीक कुहा देवी मन्दिर) नम्बर 1. 3.00 लीटर, नम्बर 2. 3.00 लाख लीटर सेक्टर भडारण टैंक, नम्बर-1. 2.25 लाख लीटर (मोहल्ला बाड़ी), नम्बर-2. 25000 लीटर(मोहल्ला ठाकुर)।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1998-99 में अग्निशमन के लिए एक अलग से 2.00 लाख लीटर क्षमता का भण्डारण टैंक बनाया गया था जिसका कभी भी पेयजल वितरण उपयोग हेतु नहीं हुआ। यह भण्डारण टैंक लगभग 8-10 वर्षों से रिसाव के चलते बन्द (abandoned) पड़ा है। दिनांक 27.02.2017 को स्थानीय लोगों के कहने पर विभागीय कर्मचारी ने मौके पर पाया कि इस बन्द पड़े टैंक में एक छोटा कंकाल पड़ा है, जिसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दे दी गई। यह मानव कंकाल प्रतीत नहीं हो रहा था फिर भी पुलिस ने अग्रिम जांच के लिए इसे फोरैंसिक लैब, धर्मशाला को भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक, ऊना से प्राप्त सुचना अनुसार इसका पोस्टमॉर्टम डा0 राजेन्द्र प्रसाउ गवर्नमैंट मैडिकल कॉलेज, टांडा जिला कांगड़ा से करवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट पुलिस विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार the skeleton may be of human, God knows. हम सभी लोग कंकाल ही बोलते हैं इसलिए मैं कह सकती हूं कि कंकाल नर का सूचक नहीं है। पुलिस रिपोर्ट अनुबन्ध-"क" पर है।

09.03.2017/1215/जेके/एएस/2

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बन्द पड़े टैंक जिसमें कंकाल पाया गया वह केवल अग्निशमन कार्य हेतु ही निर्मित किया गया था व वर्तमान में बन्द पड़ा है तथा विभाग द्वारा कभी भी पेयजल की आपूर्ति हेतु उपयोग में नहीं लाया गया। पेयजल की आपूर्ति अन्य जल भण्डारण टैंकों से ही की जा रही है। आप समझ सकते हैं और आपने देख भी लिया कि क्या समस्याएं है? अब मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है। मैं आशा करती हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। पुलिस वालों ने किस तरीके से कहा और देखा। उन्होंने

ईमानदारी से अपना काम किया। किसी ने देखा नहीं और कहीं से भी इसमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिली। हम आपसे यही बताना चाहते थे इसलिए मैंने अपनी तरफ से आपको ये सारी बातें बता दी। मैं आशा करती हूं कि आपने इसे समझ लिया है और समझने की कोशिश भी की है। धन्यवाद।

09.03.2017/1215/जेके/एएस/3

श्री सतपाल सिंह सत्तीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट डॉक्टर के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से आई है, उसके मुताबिक जानकारी दी है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने तो कोई ऐसा टैंक नहीं देखा जहां से केवलमात्र अग्निशमन विभाग को ही पानी दिया जाता है। ऐसा कोई भी टैंक आज तक हमने नहीं देखा। ये नई उपलब्धि कब से सरकार ने प्राप्त की है जिसमें 74 लाख रूपये का टैंक सिर्फ अग्निशमन विभाग को पानी देने के लिए ही बनाया गया और आई0पी0एच0 उसका उपयोग नहीं करता ऐसा आपने कहा है? तीन टैंक इकट्ठे बने हैं, जैसा कि अखबार में दिया गया है और हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि पेयजल सप्लाई के लिए तीन टैंक बनाए गए हैं इसमें दो टैंकों से लोगों को पानी की सप्लाई दी जाती है और तीसरे टैंक से जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह अखबार बोल रही है और आपका विभाग बोल रहा है कि हम इसका उपयोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि अग्निशमन विभाग को पानी देने के लिए टैंक बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे टैंक हैं जो केवलमात्र अग्निशमन विभाग को पानी देने के लिए आई0पी0एच0 ने बनाए हैं? यह स्कीम कब से लागू हुई है और यह कौन सा नया करिश्मा आ गया, अविष्कार हो गया? हमने तो आज तक सुना नहीं और किसी ने भी नहीं सुना होगा?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

09.03.2017/1220/SS-DC/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती क्रमागतः

दूसरा विषय यह है कि आप बोल रहे हैं कि जो नर कंकाल मिला है यह किसका है, कहां से है। टैंक में इतनी ऊपर चढ़कर कोई जानवर तो घुस नहीं सकता। सरेआम जो अखबारों में फोटो लगी है उसको आप देख सकते हैं कि यह इंसान का ही नर कंकाल है। आप इसको भी गोल-मोल घुमा रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या इसको जानवर का कंकाल बोला है या इंसान का कंकाल बोला है, आप कम-से-कम इतना तो बताएं। इस माननीय सदन में इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दें।

दूसरा, आप हर शब्द में बोलती हैं कि तसल्ली हो जायेगी, तसल्ली हो जायेगी, आप यहां पर बहुत सीनियर मंत्री हैं, यह कोई तसल्ली का विषय नहीं है। मैं आपसे कोई पॉलिटिकल स्कोर सैटल नहीं कर रहा हूं। ऐसा कोई मामला नहीं है। मेरा निवेदन है कि जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसको टू दी प्वाइंट और ठीक उत्तर दें। यहां पर हर बात में राजनीति करना मुझे अच्छा नहीं लगता और न ही मैं यह बात राजनीति के कारण कर रहा हूं। मेरे ध्यान में यह विषय आया है इसलिए मैंने आपके ध्यान में यह विषय लाया है। तो क्या ऐसे टैंकस और भी बनाए गए हैं?

दूसरा, जब वह पानी आप फायर ब्रिगेड को देने के लिए कहते थे तो उसकी सफाई करने के लिए आई0पी0एच0 विभाग वाले क्यों जाते हैं? जो पानी पीने के लिए नहीं है उस टैंक की सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है।

तीसरा, जो यह कंकाल मिला है क्या यह व्यक्ति का है या जानवर का है?

09.03.2017/1220/SS-DC/2

उपाध्यक्षः माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय सदस्य, आपकी बात सही है। आपने जो कुछ कहा, वह अपने हिसाब से कहा। परन्तु मैं जो अभी तक समझ सकी और सच्चाई की बात समझ सकी, वही बात मैंने आपसे कही। हो सकता है, कंकाल कौन होगा, यह तो हमने भी नहीं कहा। परन्तु सब कहते हैं कि कंकाल था। वह कब का था, जानवर का था या इंसान का था, यह किसी को पता नहीं और न ही मैंने उसे देखा। --(व्यवधान)-- किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। --(व्यवधान)-- देखिये, बात सुन लीजिये। वहां पानी कई सालों से पड़ा होगा या खाली पड़ा होगा, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं परन्तु आपको सच्चाई बोलेंगे कि किसी के साथ ऐसा करना तो बहुत शर्म की बात होती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम उसके लिए आपको दोष दे रहे हैं। हम अपने आपको भी दोष नहीं दे रहे हैं। परन्तु हम यह कहे रहे है कि टैंक नट में है, वह यूज़ में है, कोई पुराने जमाने का होगा। मेरे ख्याल में उसे किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किया, ऐसा मुझे लग रहा है। न वहां पानी था और सिर्फ टैंक ही था। वह ऐसे ही पड़ा था। वह कैसे मरा था, इसके बारे में पुलिस वालों से पूछिये। मैंने तो उसे नहीं देखा। शायद आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि आपने किसी तरह देखने की कोशिश की होगी। परन्तु उसमें हमारी कोई शिकायत नहीं है। मैं यह ज़रूर कहूंगी कि जो मेडिकल ऑफिसर था, उन्होंने भी पता किया। उसकी हड्डी इत्यादि देखी। वह सब उन्होंने कर लिया। बोन्स की हड्डी भी देख ली। कैसा है? जानवर है या इंसान है, यह सब बातें हमें पता लगी हैं और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें फिर भी आपको कोई शिकायत है तो आप बोल सकते हैं, आप बोलते जाईये। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। परन्तु मैं यह ज़रूर कहना चाहती हूं कि कभी किसी से गलतफ़हमी हो सकती है। वहां पर पानी है ही नहीं। वहां पर जानवर ही था। पुलिस वालों ने भी देखा। इसको मेडिकल ऑफिसर्ज़ ने भी देखा कि यह जानवर ही है। पता नहीं, कब का वहां पड़ा होगा। आप लोग इसको मज़ाक नहीं समझिये। मज़ाक समझना तो आसान है। बहुत अच्छी चीज़ है, सभी बोल सकते हैं। परन्तु मैं यह कह रही हूं कि वह आपका अपना इलाका है।

09.03.2017/1220/SS-DC/3

मैंने नहीं देखा और आपने देखा है शायद इसीलिए आपको चिन्ता हो रही होगी। यह कुदरती बात है। जितने भी डिपार्टमैंट के टैंकस हैं अभी शायद ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। टोटल 20750 के करीब टैंकस हैं उनमें से 17500 टैंकस लॉक नहीं हुए। क्यों लॉक नहीं हुए, यह पूछना पड़ेगा। यह भी देखने की ज़रूरत है। उस वक्त से किसी ने इस बात को क्यों नहीं देखा, इसके बारे में आप लोगों को पूछना चाहिए था क्योंकि आप लोग वहीं के रहने वाले हैं। मैं तो उसे देखने के लिए नहीं गई और शायद आप लोग वहां देखने के लिए चले गए हों। हमें उसके बारे में कोई ऐतराज नहीं है। इस बात को सोचने की कोशिश मत कीजिए। हमें झूठा काम करने की आदत नहीं है। कहीं पर किसी को कभी गलती हो जाती है। मैं यह नहीं कह सकती कि उसको किसने मारा, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। आप वहां किसी मेडिकल आदमी से पूछ लो या किसी को पूछ लो। आप जो प्रोग्रैस की बात कर रहे हैं। That have been locked. आपको पता लग जायेगा कि वह क्या है। क्या वह इंसान है या क्या है? अभी उसको ताले के बीच में रखा हुआ है। आप उसको देख लीजिए। अगर आपको उससे तसल्ली होती है तो उसको देखो। हमें झूठी बात करने की आदत नहीं है। आप लोगों को मज़ाक की बात नहीं करनी चाहिए। जब किसी के साथ ऐसी ज्यादती होती है तो आपको मज़ाक करने की आदत नहीं होनी चाहिए।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2017/1225/केएस/डीसी/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी----

आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। मज़ाक करने से क्या फायदा है? मैं रवि जी, आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आपके विभाग में सभी टैंकों पर लॉक लगा रखा था? (व्यवधान) मज़ाक करने की बात नहीं होनी चाहिए। आप जो पूछ रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं। अगर मैंने देखा होता तो मैं बोल सकती थी। (व्यवधान) आप लोग शान्ति से बात

सुन सकते हैं? आप लोग हर वक्त शोर मचाते रहते हैं। आप शान्ति से बात करिए। बात करने से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वह जानवर है या इन्सान है, किसी को पता नहीं है। फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जो गल्तियां टैंकों में हुई हैं, हमें क्या पता? जब हमें पता लगा तो उसका इन्तज़ाम भी हो गया। काम किया जा रहा है। डॉक्टर्ज़ गए हैं, पुलिस ने देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, 17,750 लॉक पूरे प्रदेश में टैंकों में लगाए गए हैं। झूठी बात करने की हमें आदत नहीं है। हमारे सामने अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो हमें दुख होता है। टैंक को लॉक कर दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, I am talking about my tenure only. I PH department is locking all the tanks now. Out of total 20750, 17750 tanks have been locked. बिना आवश्यकता के किसी के साथ बेहूदगी बात करना, बिना मतलब का झंझट करना गलत है। कहीं गल्ती हुई है, जिसके साथ यह हुआ है। वह जानवर है या इन्सान का कंकाल है, उसको किसने मारा, कैसे मारा, जो भी हुआ है, गल्तियां तो हुई है। उसके लिए आप कितना हल्ला मचा रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा। पता नहीं वह कंकाल कितने सालों से वहां पर पड़ा होगा? किसका होगा, जानवर का होगा या इन्सान का होगा, कोई पता नहीं है। मैंने आपको सच्चाई बता दी है। आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप जानें।

09.03.2017/1225/केएस/डीसी/2

श्री सतपाल सिंह सत्ती: उपाध्यक्ष महोदय, मीडिया भी सुन रहा होगा कि क्या जवाब आ रहा है तो थोड़ा इसको डिटेल में छाप देंगें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि सरकार की पूरी जानकारी जनता को मिल जाए। मैं तो मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि हिमाचल में आई.पी.एच. विभाग के क्या कोई ऐसे टैंक बने हुए हैं जो सिर्फ उस समय खोले जाते हैं, जब फायर ब्रिगेड को पानी देना होता है? अगर ऐसा है तो अगर आग लगती है तो पहले तो उस टैंक में पानी डालना पड़ता है फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को देंगें फिर आग बुझाएंगें। क्या ऐसा हैं? आपके विभाग के सैक्रेटरी यहां बैंठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि

क्या ऐसे टैंक हैं? आपने कहा कि वह टैंक फायर ब्रिगेड को पानी देने के लिए बनाया गया था। दूसरे, फायर ब्रिगेड को जब पानी की जरूरत पड़ती है तो वह तो किसी भी टैंक से पानी ले लेता है। हिमाचल में तो आपने ऐसी कोई स्पैशल व्यवस्था नहीं की है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पुराना टैंक बना है, मैं इसका जवाब चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो नर कंकाल मिला है, अखबार ने जिसको नर कंकाल कहा है, इसको मैडम ऐसे उलझा रहीं हैं। अगर हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है और अखबार ने भी ऐसे ही लिखा है कि हो सकता है कि नर कंकाल हो और यह भी हो सकता है कि वह जानवर का कंकाल हो लेकिन फोटो को देखने से बिल्कुल व्यक्ति का ही कंकाल लग रहा है। आपने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, पुलिस ने रिपोर्ट ले ली है। टांडा हॉस्पिटल में उसका पोस्टमॉर्टम हुआ। तो उसमें क्या वह जानवर का कंकाल पाया गया या नर कंकाल है? मैं तो आपसे सीधे दो प्रश्न पूछ रहा हूं जिनका उत्तर आपको स्वास्थ्य विभाग से मिल जाएगा और आई.पी.एच. विभाग से यह उत्तर मिल जाएगा कि क्या कोई ऐसे टैंक भी हैं जो फायर वालों को पानी देने के लिए बनाए हुए हैं? दो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मुझसे ही पूछ रही हैं कि आपने देखा होगा, आप गए होंगें, मैं तो वहां पर नहीं गई। अगर आप सीधा-सीधा उत्तर देंगीं तो शायद इस मामले को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे काफी हो गया।

मंत्री जी, अ0व0 की बारी में---

9.3.2017/1230/av/ag/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : उपाध्यक्ष जी, मैं वर्ष 1998 की बात कर रही हूं कि ये टैंक फायर हाईड्रैंट के लिए बने थे। बाकी की सूचना यह है कि उसके अंदर कंकाल तो पाया गया है मगर वह कंकाल पता नहीं किस चीज़ का है। वैसे इस बारे में पता किया जा रहा है। हमारे चार साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

9.3.2017/1230/av/ag/2

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

उपाध्यक्ष : अब माननीय वन मंत्री दिनांक 26 अगस्त, 2016 को सभा द्वारा पारित गैर सरकारी सदस्य संकल्प 'प्रदेश में जंगली जानवरों/आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बना कर वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को भेजी जाए' प्रस्ताव पर कृत कार्रवाई बारे सदन को अवगत करवायेंगे।

वन मंत्री : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव प्रदेश में जंगली जानवरों, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिए एक वृहद योजना बनाकर वित्तीय सहायता हेतु केंद्र सरकार को भेजने बारे था जो कि दिनांक 26 अगस्त, 2016 को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया था। मैं इस बारे में मान्य सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि विभाग ने 2000 करोड़ रुपये की एक वृहद योजना तैयार करके दिनांक 19.12.2016 को केंद्र सरकार को भेजी है जिस पर अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में दिनांक 4 मार्च, 2017 को फिर से रीमाइंडर दिया गया है। उसका इंतजार करने के बाद अगर उस पर भी अमल नहीं होगा तो फिर मैं व्यक्तिगत तौर पर वहां जाकर रिक्वैस्ट करूंगा कि इस वृहद योजना को स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान का सही तरीके से जायजा लेकर उसके लिए विधिवत उपाय किए जाएं।

9.3.2017/1230/av/ag/3

गैर सरकारी सदस्य कार्य

उपाध्यक्ष : आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। पिछले सत्र में माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष जी, नियम 101 के अंतर्गत यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय गैर सरकारी सदस्य दिवस के तौर पर यहां पहले ही इन्ट्रोड्यूस हो चुका है। मैं यहां इस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने समय दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं तो चाहता था कि यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित होते और इस विषय का जवाब वे खुद देते तो बहुत अच्छा होता। यह विषय केवलमात्र एक विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि यह दो विभागों से जुड़ा हुआ विषय है। राजस्व विभाग कहता है कि हमने कर दिया और वन विभाग कुछ और ही कहता है। इन दोनों विभागों का तालमेल करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसका जवाब देते तो बहुत अच्छा रहता। आपसी तालमेल की कमी के कारण यह विषय कि खुदरों दरखतान-तहजमीन मालिकान मलकियत सरकार का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को दिया जाए।

श्री वर्मा द्वारा जारी

09/03/2017/1235/टी0सी0वी0/ए0जी0/1
श्री रविन्द्र सिंह.....जारी।

हमारे इस प्रदेश में और प्रदेश के 3 जिलों, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और उसमें से भी जिला कांगड़ा की तहसील पालमपुर, नुरपूर, देहरा, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर और बैजनाथ के कुछ इलाकों में यह लागू हैं। ऊना जिला के बंगाणा और हमीरपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में ''खुदरो दरख्तान-मलकियत सरकार'' का विषय किसानों को प्रभावित करता रहा है। ये काला कानून अंग्रेजों के समय का है, जिसका कोई आधार नहीं, जिसके बारे में कई वर्षों

से यहां इस माननीय सदन में भी चर्चा होती रही हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में ये 4 अप्रैल, 2013 को यहां पर चर्चा के लिए आया और माननीय मंत्री महोदय ने उस समय भी इसके बारे में जवाब दिया था। लेकिन जवाब देने के बाद क्या कुछ इसमें करना था, वह नहीं किया गया, जिसके कारण उसके सुखद परिणाम अभी तक किसानों को नहीं मिले हैं। आज यह फिर चर्चा हेतु नियम-101 के तहत यहां पर आया हैं। उस पर चर्चा हो रही है। आज देश का किसान त्रस्त है। उस पर प्रकृति की मार हमेशा पड़ती है। अब फसल पकने को हैं, मौसम ने करवट बदली है, महीने के अंतराल में गेहूं की फसल तैयार हो जायेगी। प्रकृति क्या करेगी, किसी को पता नहीं है। अच्छी फसल है, लेकिन जब फसल काटने का समय होगा, उस समय प्रकृति अगर आपदा पैदा कर देगी, तो किसानों को नुकसान होगा। चाहे भूकम्प, बाढ़ या बेमौसमी बरसातें हों, किसान हमेशा प्रभावित होता है। किसानों को केवल-मात्र यही नहीं, आवारा पुश जो पूरे प्रदेश में, आप कहीं भी जायें, सड़कों पर मिलेंगे। ये दिन को सड़कों पर आ जाते हैं और रात को सारे खेतों को खाली कर जाते हैं, इसके बारे में आपने अभी स्टेटमैंट दी है। ऐसे ही जंगली जानवर, पशु-पक्षी सभी किसानों की फसलों को प्रभावित करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। किसान कृषि के साथ-साथ जो मेढ़ होती है, जिसको बीड़ भी कहते हैं, उस पर वह अपने पेड़ लगाता/पालता आया है। इन क्षेत्रों में कई जगह ऐसी भी है, जहां पर "खुदरो दरख्तान-मलकियत सरकार" का क्षेत्र है और वहां फसलें पैदा की जाती हैं। इसके साथ ही किसान वहां पेड़ों को भी पालता हैं, लेकिन जब उसकी (किसान) आर्थिकी को सुदृढ़ करना होता है, तो सरकार का वन विभाग उस पर कोई काम नहीं करने देता। इसी विषय पर हम आज यहां पर चर्चा को लेकर आये हैं। किसान ने इस प्रदेश/देश/विश्व की आवो-हवा को पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई हैं। सरकार तो इसमें बाद में शामिल होती है।

09/03/2017/1235/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

सरकारी कानूनों को बनाने से किसानों को नुकसान हुआ है। किसान पेड़ क्या पालेगा या लगायेगा? क्योंकि उसने सोचा होता है कि मैंने तुन्नी का पेड़ लगाया या और किसी किस्म का पेड़ लगाया है, जब इसकी आयु 10 साल होगी और जब वह कटान के लिए आएगा, उस समय किसानों को उसके कटान की अनुमति न मिले तो निश्चित तौर पर किसान क्यों उन पेड़ों को पालेगा। ऐसा मैं यहां इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह काला कानून अंग्रेजों के समय से यहां चला आ रहा है। लगभग 1855 में एक फॉरेस्ट चार्टर बना और उसको यहां पर लागू कर दिया गया था, उस समय से लेकर यह कानून चला आ रहा है। इसकी नेचर क्या होनी थी? वह इसमें दर्शा नहीं पाये थे। 1878 में जो पुराना 1855 का विषय था, उसको उन्होंने बहाल कर दिया। उसके बाद 1884 में इस वन की परिभाषा को फिर से इंटरोड्यूस किया और भू-मालिकों को निजी भूमि पर पेड़ लगाने की अनुमति दे दी गई। इसमें समय-समय पर बदलाव होते रहे।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ..... जारी ।

09/03/2017/1240/ **एन0एस0/ए0एस0 /1**

श्री रविन्द्र सिंह ----- जारी

उसके उपरान्त ब्रिटिश सरकार ने 1913 से 1919 के बीच में मिल्टन नाम के एक अधिकारी को यहां पर भेजा और उन्होंने हिमाचल जो उस समय पंजाब में पड़ता था और हमारा जो मर्ज़र एरिया है उसका सर्वे किया और उसमें लगभग 6 साल का समय लगा था तथा 1919 में मिल्टन की सैटलमेंट रिपोर्ट आई और उसको लागू किया गया। इसमें मेरा यह कहना है कि इस रिपोर्ट के कारण किसानों को बहुत नुकसान होता रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बीच का समय छोड़ रहा हूं। जब देश आज़ाद हुआ और सरकार बनी तथा हमारे नेता समय-समय पर यह विषय उठाते भी रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तब आई जब वर्ष 1980 में एफ0सी0ए0 लगा। उसके उपरान्त किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ। मैं यह मानता हूं कि उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी होंगे। उन्होंने वर्ष 1986 में उस समय के राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया और प्रदेश का दौरा करते हुए जो ऐसी भूमि "खुदरो दरख्तान -तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार" के अधीन क्षेत्र में आती थी उसके

अंतर्गत उन्होंने वापिस आ करके जो रिपोर्ट सबमिट करवाई उसके अनुसार 1802 हैक्टेयर भूमि पर कोई पेड़ नहीं है। यह बड़ा सोचने वाल विषय है। यह भूमि आज भी वैसी है। उपाध्यक्ष महोदय, 1802 हैक्टेयर भूमि ऐसी है जिस पर कोई पेड़ नहीं है, यह सिर्फ भूमि है। उसको खुदरो दरख्तान में डाल दिया गया। हालांकि "खुदरो दरख्तान -तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार" खुदरो दरख्तान का मतलब दरख्त खुद उगे हुए, मलकियत सरकार, उस भूमि के मालिक सरकार हैं। जब पेड़ उगे ही नहीं हैं तो उस भूमि पर भी इनको काम नहीं करने दिया जाता है। आज हमारे तीन जिलों में यह एक बड़ा पेचीदा मसला है। हम इसको मूर्खों वाला काम कह सकते हैं। इसमें कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें खुदरो दरख्तान की 2,973 हैक्टेयर भूमि कल्टीवेटिड लैंड पाई गई है और उसमें किसान फसल पैदा करते हैं और वे पेड़ भी लगाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब पेड़ों को

काटने की बारी आती है तब उनको अनुमति नहीं मिलती है। उसका कारण यह है कि इस प्रदेश में अभी तक इतना काला कानून चला हुआ है। इसमें जो तीसरी किस्म आई है उसमें 1934 हैक्टेयर भूमि में पेड़ लगे हुए हैं। जो "खुदरो दरख्तान -तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार" के दायरे में आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो हमारा मर्ज़र एरिया/ पुराना पंजाब है, उसमें पंजाब के क्षेत्र में खुदरो दरख्तान वाली परमिशन मिल गई थी और भारत सरकार ने पंजाब को जिसका नोटिफिकेशन नम्बर : B-25/2006 दिनांक 24-07-2008 के अंतर्गत स्वीकृति दे दी गई थी। जिसके अंतर्गत पंजाब सरकार को 65,670 हैक्टेयर भूमि की परमिशन मिल गई लेकिन हिमाचल प्रदेश को परमिशन नहीं मिली। जब हिमाचल में हमारी (विपक्ष) की सरकार थी और माननीय धूमल जी उस समय मुख्य मंत्री थे तब हम इस विषय को ले करके आए थे, इस पर डिस्कशन हुई और चर्चा करने के उपरांत प्रदेश सरकार ने भी इसकी नोटिफिकेशन 11-03-1999 को कर दी थी जिसकी कॉपी मेरे पास है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that existing record of rights with respect to Private Lands in this State of Himachal Pradesh requires special revision by deleting the entry "Khudrao

Drakhten Malkiyat Sarkar" appearing in Khanna Kafiat (Remarks Column) of Jamabandi.Now, therefore, in supersession of all previous notifications, if any, issued in this behalf, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 33 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No. 6 of 1954) the Governor of Himachal Pradesh is pleased to direct the special revision of record of rights by deleting the entry "Khudro Darkhtan Malkiyat Sarkar" appearing in Khanna Kafiat (Remarks Column) of Jamabandies with respect of Private Lands in the State of Himachal Pradesh.

Governor of Himachal Pradesh is further pleased to direct that notwithstanding the deletion of the entry " Khudro Darkhtan Malkiat Sarkar" forthwith, the felling of trees shall continue to be regulated under the prevailing Forest Laws.

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

09.03.2017/1245/RKS/AS-1

श्री रविन्द्र सिंह....जारी

यह नोटिफिकेशन वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और उनको कटान का अधिकार भी हमने दे दिया। उन्हें मालिक बना दिया गया। रेवन्यू में उनकी एंट्री हो गई। वन विभाग ने भी उनकी एंट्री कर दी। जो पेड़ वहां पर उगे थे उनका लाभ हजारों किसानों को हुआ। कोई व्यक्तिगत विशेष कोर्ट में चला गया होगा। शायद उनको as it is परमिशन दी गई होगी। उसके उपरान्त सरकार दूसरी बन गई और यह कानून जैसा था वैसे ही आगे चलता रहा। जो रिपोर्ट वर्ष 1986 वाली समिति ने दी उसी आधार पर प्रदेश सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन की और इसका रिकॉर्ड आपके पास भी होगा। किसानों को उसी आधार पर मालिकाना हक देने की जरूरत है। यह भी सही है कि सी.ई.सी. के द्वारा समय-समय पर मीटिंग्स की गई। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख का विषय है कि दिनांक 14.12.2004 से लेकर 27.12.2011 तक सी.ई.सी. की मीटिंग हुई परन्तु प्रदेश के अधिकारी वहां पर नहीं गए। रिप्लाई फाइल करने के लिए अधिकारी शामिल नहीं हुए। जो स्टैप समय-समय पर उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। श्री संजय रतन जी के मझीण

क्षेत्र में खुदरो दरख्तान का मसला गंभीर है। वहां के किसान श्री फतेह सिंह जी ने माननीय उच्च न्यायालय में केस कर दिया था और उच्च न्यायालय ने वर्ष 1999 के आधार पर फैसला दिया, जिसकी कॉपी मेरे पास है। मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूं। Fateh Singh & Others Versus State of H.P. & Others

The Writ petitioners pray for the following reliefs:

(a) That impugned acts of the respondents above stated which have resulted into miscarriage of justice to the petitioners, may very kindly be quashed and set aside thereby issuing directions to the respondents to treat the land of the petitioners in a similar manner and not separately and allow the felling of tees in accordance with the 10 years Felling Programme of the Government:

(b) that notification dated 19.1.199 and 11.3.1999 supra may very kindly be summoned from the Government and if the same run contrary to the interests of the petitioners, may very kindly be quashed and set aside thereby issuing resultantly favorable directions inasmuch as to make entries accordingly in the revenue record, in the interest of law and justice.

09.03.2017/1245/RKS/AS-2

2. The learned counsel appearing for the petitioners submits that the writ petitioners have been dissimilarly and unequally treated by the respondents. Inasmuch as qua other land holders in the Mohal concerned, the respondents have carried out the mandate of Annexure P-6, yet have qua the land held by the petitioner herein, the respondents have omitted to carry out the mandate of Annexure P-6. He further submits that even when the deletion of the entry 'khudro Drakhtan Malikat Sarkar' existing in the apposite jamabandi of the landholders of the Mohal concerned has been effected, yet there is an entry there in portraying the fact that in case the land holders aspire to fell trees growing thereupon, they shall on being accorded permission by the Government proceed to do so. Accepting the submission of the learned

counsel appearing for the petitioners herein, it is appropriate at this stage to direct the respondents to bring the petitioners at par with the other landholders of the Mohal concerned, inasmuch as, if in the respective jamabandis of the latter, deletion of the entry 'Khudro Drakhtan Malkjat Sarkar' stand effectuated yet when therein too there is an entry portraying the fact that on permission having been obtained by the landowners concerned for felling of the trees growing thereupon, they would be permitted to do so, the respondents shall also qua the jamabandis of the petitioners herein do likewise, if otherwise permitted by law.

Continue by DC in Eng....

09.03.2017/1250/SLS-DC-1

श्री रविन्द्र सिंह...जारी

3. Accordingly, the present writ petition is disposed of with a direction to the respondents/ state to consider the case of the petitioner in terms of the notification of 11.3.1999. जो मैंने पहले पढ़कर सुनाया, उसके अनुसार वहां जो भी निर्णय पर हुआ, according to that within two months from today. All the pending applications, if any, also stands disposed of. यह दिसम्बर 9, 2014 को हुआ हाई कोर्ट का निर्णय मैंने यहां पर आपके सामने रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बहुत पुराना अंग्रेजों के समय का काला कानून है, जिससे हमारे किसान त्रस्त हैं; उन्होंने पेड़ लगाने बंद कर दिए है जबकि आप चाहते हैं कि पेड़ लगाए जाएं। शाम को मंत्री जी का रेड़ियो पर संदेश आता है कि एक पेड़ लगाएं या 10 पेड़ लगाएं। लेकिन आप स्वयं सोचें कि किसानों ने पहले ही जो पेड़ अपनी ज़मीन पर पाले हैं, जब ज़रूरत पड़ने पर उनको उन्हें काटने की अनुमति नहीं

मिलेगी तो पेड़ कौन लगाएगा? उनको आशा होती है कि जब उनमें से किसी की बेटी की शादी हो, किसी ने घर बनाना हो या लकड़ी की कहीं आवश्यकता पड़ गई , अगर ज़रूरत के उस समय पर उसको वह पेड़ न मिले तो कौन पेड़ लगाएगा? आप चाहे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट लेकर आएं; जब तक वह प्रोजैक्ट होगा, सब उस पैसे को हड़पेंगे। उसका रिजल्ट जनता की फेवर में नहीं आएगा। बड़े-बड़े प्रोजैक्ट आए। मिड हिमालयन प्रोजैक्ट अभी चला हुआ है। के.एफ. डब्ल्यू . का प्रोजैक्ट आ गया है, इंडो-जर्मन का आ गया और धौलाधार प्रोजैक्ट आ गया। कई ऐसे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट चले लेकिन उनके रिजल्ट वर्तमान में देखने को नहीं मिलते। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए ही मेरा कहना है कि यह जो खुदरों दरखतान-तहजमीन मालिकान-मलकियत, इसका जो 11 मार्च, 1999 को प्रदेश की धूमल सरकार ने किसानों के हक में निर्णय कर दिया था और अभी 4 दिसम्बर, 2014 को प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया; उन्होंने कहा कि 1999 के निर्णय को लागू किया जाए, हम वही चाहते हैं कि किसानों के हक में इसका निर्णय किया जाए। मेरा निवेदन है कि पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है लेकिन अब चर्चा

09.03.2017/1250/SLS-DC-2

नहीं, मंत्री महोदय, अब निर्णय करने का समय आ गया है। मेरा अधिकारियों से भी निवेदन है कि इस निर्णय को जनता के हित में लिया जाए। कानून की बात हर बार नहीं होनी चाहिए कि हमने कानून ही थोपना है। कई बार हमें कड़ुवा घूंट पीकर भी जनता को राहत देने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं। इसमें भी वही किया जाए। अंग्रेजों के समय के इस काले कानून को हटाने का आज समय आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो मुझे नियम 101 के अंतर्गत यहां पर गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर अपना संकल्प रखने का समय दिया है, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय जब इसका जवाब देंगे, जवाब देते समय यह न हो कि केवल मेरे जवाब से आप संतुष्ट हो गए। किसान संतुष्ट होने चाहिए, हमारी संतुष्टि की बात नहीं है। किसान संतुष्ट हैं तो हम संतुष्ट हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह संकल्प

तब वापिस होगा जब आप सीधा कहेंगे कि हम इसे विदिन दिस मच पीरियड़ इंपलीमैंट करेंगे या इससे पहले करेंगे। तभी मैं मानूंगा कि सही में ही मंत्री जी काम कर रहे हैं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09.03.2017/1250/SLS-DC-3

उपाध्यक्ष : अब श्री वीरेन्द्र कंवर जी चर्चा में भाग लेंगे। केवल 5 मिनट आपके लिए हैं। या तो आप अभी बोल लीजिए या फिर लंच के बाद बोलिए।...(व्यवधान)...ठीक है। आप अभी अपनी चर्चा शुरू करें।

श्री वीरेन्द्र कंवर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने नियम-101 के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखा है। यह विषय किसानों से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 6-7 विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर यह समस्या है। वहां ज़मीन किसान की है, वह उसका लगान भी देता है, ज़मीन को बेच भी सकता है, खरीद भी सकते हैं लेकिन उसमें जो पौधा लगा हुआ है, जब वह पेड़ बनता है तो किसान उसको काट नहीं सकता। यह कानून अंग्रेजों के समय में बना था लेकिन यह अभी तक भी हमारे लिए समस्या का कारण बना हुआ है। किसान के पेड़ है, लेकिन वह उनकी रखवाली नहीं कर सकता। असामाजिक तत्वों द्वारा वह समय-समय पर वैसे ही काटे जा रहे हैं। सरकार को उनसे जो आमदनी होनी चाहिए, न तो वह हो रही है और न हो किसानों को उनका लाभ मिल रहा है। किसानों को इस बात का दुःख होता है।

जारी ...श्री गर्ग जी

09/03/2017/1255/RG/DC/1

श्री वीरेन्द्र कंवर----जारी

यह एक ऐसा कानून है और मेरा अपना जो कुटलैहड़ विधान सभा चुनाव क्षेत्र है वहां पर आजकल यह बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी यहां विद्यमान हैं। मैं इनको कहता हूं कि आजकल वहां जाइए, वहां खैर का कटान चला हुआ है। वहां आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा चोरी यदि ठेकेदार किसी संपदा की कर रहे हैं, तो इसी की कर रहे हैं। न तो किसानों को उनका अपना हक़ मिल रहा है और न ही सरकार की संपदा सुरक्षित हो पा रही है। यह सारा धन्धा वन विभाग की मिलीभगत से चला हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, जमीन हमारी है और पौधे हमारे हैं। वैसे भी खैर बहुत कीमती है। जैसे अपर हिमाचल में सेब है जितनी महत्वपूर्ण सेब की कैश क्रॉप है उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे लिए खैर की फसल है। इसको क्यों नहीं कृषि के अन्तर्गत डाल दिया जाता? उससे राजस्व और वन विभाग का का धंधा भी खत्म हो जाएगा और जो चोर-बाजारी हो रही है, वह भी खत्म हो जाएगी। किसान को जब लगेगा कि उसकी फसल तैयार है तब वह जाकर अपनी फसल को मार्केट में बेच दे। लेकिन सरकार इस प्रकार के कदम किसान के हित के लिए क्यों नहीं उठाती है?

उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण फैसला पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था और इसके इन्द्राज़ किसानों के नाम हो गए थे। लेकिन इसके ऊपर जो यू.पी.एफ. लगा है इसको हटाने के लिए आप क्या कर रहे है? क्योंकि पिछली बार भी यह विषय आया था। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली बार जब सदन में इस विषय को लाया गया था उस समय से लेकर अब तक के समय में सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है? हम बहुत वर्षों से आजादी के बाद इस बात का इन्तजार कर रहे हैं। हमारी स्वयं अपनी जमीन भी ऐसी है जहां पर हम पौधे तो लगाते हैं, लेकिन बाद में हम उसकी किसी भी फसल को काट नहीं सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि किसानों के हित के लिए इस मामले पर जल्दी-से-जल्दी निर्णय लें। आपने मुझे बोलने का समय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

उपाध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

09/03/2017/1405/MS/ag/1

सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.05 बजे (अपराह्न) पुनः आरम्भ हुई।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जी संकल्प पर अपने विचार रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय, "खुदरों दरख्तान-तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार" का मालिकाना हक प्रदेश के किसानों को दिया जाए, यह जो संकल्प माननीय रविन्द्र सिंह जी ने यहां लाया है और आपने उस पर मुझे बोलने का समय दिया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1998 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था। आज वर्ष 2017 आ गया है। 19 वर्ष तो हमें खुदरों दरख्तान-तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार के ऊपर भाषण देते हुए हो गए हैं और कोई ऐसा सत्र नहीं जाता जिसके अंदर यह खुदरों दरख्तान-तहजमीन मालिकान-मलकियत सरकार की बात नहीं होती है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

09.03.2017/1410/जेके/एजी/1

श्री बिक्रम सिंहः-------**जारी**------

अब तो यह स्थिति आ गई है कि जहां पर खुदरों, दरख्तान, मलकीयत सरकार की समस्या नहीं है, हमारे जितने भी यहां पर पर साथी बैठे हुए हैं ये मज़ाक करते हैं कि आप रोज़ क्या खुदरो, खुदरो करते रहते हैं? लेकिन हमारे क्षेत्र के किसानों का यह दर्द है और यह एक ऐसा काला कानून है जिसके कारण जो निचले क्षेत्र के किसान हैं, उनकी जमीन अपनी है लेकिन उसमें उगने वाला वृक्ष उनका नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति का मुंह अपना है और उसके ऊपर उगने वाली दाढ़ी और मूंछें उसकी अपनी नहीं है। यह स्थिति है और यह दुर्भाग्यपूण है। हर बार यहां पर इस विषय को रखते हैं। इस विषय के ऊपर कई बातें आती हैं और बोला जाता है कि इसको ठीक किया जाएगा लेकिन कभी हाई कोर्ट और कभी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर यह बात वहीं की वहीं दब जाती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या हम सभी मसलों के अन्दर जो हमारे मसले, चाहे वे व्यक्तिगत तौर पर हों या सरकार के तौर पर हों, किसानों के हितैषी हों या किसानों के साथ जुड़ी हुई बातें हों या बागवानों के साथ जुड़ी हुई बातें हों, अगर कोई ऐसा मसला कोर्ट के अन्दर चलता है तो हम कितने सीरियस है? हर स्टेज पर सभी नेतागण और सरकार बोलती है कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं। एक लम्बे समय से यानि अंग्रेजों के समय से यह काला कानून चला हुआ है और हमारी सरकारें इसको ठीक करने में असमर्थ हैं। हमारी सरकार ने, पूर्व मुख्य मंत्री, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने वर्ष 1999 में एक बार इसके ऊपर अटैम्पट किया। वर्ष 1999 में जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें लिखा थी कि इस एन्ट्री को डिलीट किया जाता है। उस एन्ट्री को डिलीट करने के बाद हजारों किसानों को इसका फायदा हुआ। बहुत से किसानों ने जो वहां पर वृक्ष लगे थे, खास करके जो खैर लगे थे, जिस प्रकार से ऊपर सेब हैं उसी प्रकार निचले क्षेत्रों में खैर हैं। खैर का बहुत अच्छा मोल किसानों को मिलता है। अगर यह एन्ट्री खत्म हो जाए और यह काला कानून खत्म हो जाए तो निश्चित तौर से मैं

09.03.2017/1410/जेके/एजी/2

कह सकता हूं कि निचले क्षेत्र के किसान जिस प्रकार से ऊपर के क्षेत्र के किसान, बागवान समृद्ध हैं, उसी प्रकार से जो निचले क्षेत्र के किसान हैं, वे भी समृद्ध होंगे। यहां पर कोर्ट का एक विषय आया और मैं आदरणीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और जो आदरणीय रवि जी ने भी बोला है, दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को जो इसका फैसला आया है, यह हाई कोर्ट का फैसला है और इस फैसले में उन्होंने बिल्कुल क्लीयर लिखा है कि जो नोटिफिकेशन 11.3.1999 को हुई थी उस नोटिफिकेशन को वैसे ही रखा जाए और दो महीने में सरकार इसके ऊपर फैसला दें। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है और उसके कारण हो क्या रहा है? उसके कारण हो यह रहा है कि गरीब किसान को अपना हक नहीं मिल रहा है। जो पौधें वहां पर ऊगे हैं, अगर खैर वहां पर उगा है, आप जानते हैं कि खैर की कटाई 10 साल बाद होती है। 10 साल के बाद उसको काट दिया जाता है, लेकिन आपके इस काले कानून के कारण से

वहां पर जो ऊगा हुआ वृक्ष है, खैर है वह सड़ के जा रहा है। उसका किसी को फायदा नहीं हो रहा है। उस जमीन का पैसा किसान दे रहा है। उल्टा हो क्या रहा है कि जैसे भाई वीरेन्द्र जी भी बता रहे थे, हो यह रहा है कि खुदरो में पैदा होने वाला वृक्ष उसके आस-पास कोई ठेकेदार खैर खरीदता है तो वह खुदरो में वह आपके खैर को चोरी से काटता है। आप अपने कानून के कारण से किसान को तो उसका हक नहीं दे रहे, लेकिन उल्टा जो ठेकेदार है वह वहां के किसान को जो मिलना चाहिए और कई जगह उसने ऐसा भी किया हुआ है कि किसान को पता है कि ये खुदरो में आता है। ठेकेदार किसान को बोलता है कि 200 रूपया दे देंगे ले लो। और इस तरह से 2000 रूपए की चीज 200 रूपए में जा रही है। आपका विभाग ठेकेदार के साथ मिला हुआ है। अब आधा-आधा करते हैं और वह कट जाता है। मैं तो यह चाहूंगा कि आपको इस बात का सर्वेक्षण भी करवाना चाहिए कि इस काले कानून के कारण से कितने किसानों के जो पौधे हैं वह इलिगली कटे हैं, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मुझे मालूम है कि आदरणीय मंत्री जी जब ज़वाब देंगे तो कहेंगे कि हाई कोर्ट में है। इससे पहले यहां पर श्री वीरभद्र सिंह जी ने ही एक कमेटी का गठन किया हुआ है और उस कमेटी के गठन में यह विधान सभा में पास भी किया और उसके बाद इसको दिया गया फोरैस्ट मिनिस्टर, अडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसीपल सी0सी0एफ0।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी...

09.03.2017/1415/SS-AS/1

श्री बिक्रम सिंह क्रमागतः

यह 4.5.2013 को दिया था कि सी0ई0सी0 की मीटिंग नई दिल्ली में की जाए। लेकिन इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है जोकि मैं महसूस करता हूं कि न तो सरकार इसके बारे में सीरियस है और जिस प्रकार से सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसानों का पक्ष रखना चाहिए था जिससे किसानों को उनका हक मिल सके, मुझे लगता है कि सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखने में सफल नहीं हुई है। ज्यादा क्लैरिटी तो मंत्री महोदय देंगे लेकिन मेरा बार-बार यह निवेदन है कि सरकारें जो किसान हितैषी बनती हैं

और इन किसानों को पिछले 70-70 वर्षों से उनका हक नहीं मिला है मेरा निवेदन है कि प्रस्ताव के माध्यम से जो सरकार को सिफारिश की गई है कि इस काले कानून की समाप्ति की जाए ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09.03.2017/1415/SS-AS/2

अध्यक्षः अब मैं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका उत्तर दें।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई रविन्द्र सिंह जी द्वारा जो यहां खुदरो दरख्तान के बारे में संकल्प रखा गया, इसके बारे में सारा हाउस चिन्तित है। समय-समय पर जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इस पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इनको मालिकाना हक के साथ ये जो दरख्त कॉमर्शियल प्वाइंट ऑफ व्यू से पैदा करते हैं उसका भी बेनिफिट मिले। लेकिन खुदरो दरख्तान मलकियात सरकार जो भूमि में एंटरी है, यह ठीक है कि लैंड तो किसान के नाम से है लेकिन दरख्त को काटने का हक उनको नहीं है। वह एफ0सी0ए0 केस क्लीयरैंस के बाद ही किया जाता है। इसमें दिनांक 11.3.1999 में निर्णय लिया कि ऐसी जमीनों पर उगे पेड़ों का मालिकाना हक भी भूमि मालिकों को दे दिया जाए। परन्तु यह भी स्पष्ट किया कि एंटरी समाप्त होने के बाद संबंधित भूमि से वृक्षों का कटान वन नियमों के अनुसार ही होगा। ऐसी जमीनें अधिसूचना संख्या 992 दिनांक 11.1.1919 के अन्तर्गत संक्षिप्त वन प्रोटैक्शन फॉरैस्ट घोषित किये गए हैं। इसलिए 12.12.1996 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 1996, 1997 एवं 2000 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किये गये शपथ पत्र एवं भारत सरकार द्वारा अनंत राम एवं सुखदेव सिंह, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा के रहने वाले थे, केस में दी गई क्लैरिफिकेशन के अनुसार इन क्षेत्रों से हरे पेड़ कटान की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2017/1420/केएस/एएस/1

वन मंत्री जारी----

इस भूमि से हरे वृक्षों का कटान तभी सम्भव है जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को निरस्त करके वनों में हरे वृक्षों के कटान में लगाया प्रतिबन्ध समाप्त हो। प्रतिबन्ध समाप्त करवाने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार मंत्रिमण्डल ने एक निर्णय लिया । मई 2014 के निणर्यानुसार प्रदेश में 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर जो भी दरख्त पाए जाते हैं, वर्किंग प्लान के अनुसार हरे वृक्षों के कटान पर से प्रतिबन्ध हटाने बारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया है। प्रदेश सरकार ने आवेदन पर शीघ्र निर्णय करवाने हेतु निजी अधिवक्ता भी नियुक्त किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 15.12.2016 व 10.02.2017 को सुनवाई हो चुकी है तथा चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई निश्चित हुई है। जैसे ही इस केस में माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त होती है वैसे ही इस जमीन से हरे पेड़ों का कटान सम्भव हो पाएगा। this is the factual position. हमने इसको बार-बार परस्यू किया है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला करें। जैसे कांगड़ा वाले और दूसरे एप्लीकांट भी हाईकोर्ट में गए थे, इनको भी यही कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां से फैसला होगा क्योंकि जो इसमें एंट्री है, वह हरे दरख्त जो हैं, इसमें एफ.सी.ए. केस लगेगा। सरकारी तौर पर इनको सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बिना नहीं काटा जा सकता । यह बहुत पुराना मसला है। हम भी इस हक में है कि जमींदारों को यह हक मिलना चाहिए। सरकार भी इस मत की है और हम सब चाहते हैं कि इनको इनका हक कमर्शियल तौर पर मिलना चाहिए। जैसे बाकी प्राईवेट दरख्तों को काटने के लिए टैन ईयर फैलिंग के तहत खैर और दूसरी ईमारती लकड़ी को मिलता है, वैसे ही यह मिलना चाहिए। हम बड़ी जद्दोज़हद करके इसको परस्यू कर रहे हैं और इसमें जो भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से आएगी उसके मुताबिक उनकी एंट्री कर दी जाएगी और उनको इजाज़त दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे इस उत्तर के मध्यनज़र भाई रवि और अन्य मैम्बर्ज़ से मैं रिक्वैस्ट करता हूं कि आपको पूरी तसल्ली हो गई होगी और प्रस्ताव को कृपया वापिस लें।

09.03.2017/1420/केएस/एएस/2

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था कि कई बार इस माननीय सदन में यह विषय चर्चा में आ चुका है और जो माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर जवाब दिया, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आपस में ही आपकी हो गई है। इसको आप एफ.सी.ए. के साथ जोड़ रहे हैं। यह कतई सही नहीं है। यह जो आप टैन ईयर फैलिंग प्लान के अंतर्गत इसको डाल रहे हैं, ये दोनों विषय अलग-अलग हैं। आप इसका इतिहास पढ़ें, मैंने आपको ईयर वाईज़ 1858 से लेकर अब तक जो-जो हुआ, कैसा-कैसा कानून बना, मैंने सारी चर्चा यहां पर की थी। जो कानून में बीच-बीच में संशोधन होते रहे, उनके कारण ही तो यह सारी विसंगति हुई है। मेरा तो यह है कि सी.ई.सी. आपकी यहां पर आकर 2014 में इंतजार करती रही, आप एक सप्ताह तक रिप्लाई ही फाईल नहीं कर पाए। उसके बाद आपने उच्च न्यायालय में जा कर बात रखी है । अब दो-तीन पेशियां आपकी वहां पर रखी है। दो पेशियां आपकी हो भी गई है। 15.12.2016 और 10.02.2017 को और चार सप्ताह में फिर आप वैसे ही इसका उत्तर फाईल करेंगें। लेकिन मूलतः उत्तर फाईल करने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वैसे ही कह दिया1

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.3.2017/1425/av/DC/1

श्री रविन्द्र सिंह------- जारी

सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत पहले जजमैंट आई थी कि " land owners are to be tree owners" यही था न जो उसमें उगे हुए खुदरो, उनकी जो जजमैंट थी वह ऐसी थी कि जो

भूमि है और उस भूमि के मालिक किसान या जो कोई भी है उन पर उगे हुए पेड़ों के मालिक वही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इस प्रकार का आदेश किया था। अब आप फिर कह रहे हैं कि हमारी वहां पर दो पेशियां पड़ चुकी है और उन्होंने हमें रिप्लाई करने के लिए फिर चार सप्ताह का समय दिया है। यह विषय इस मान्य सदन में इसी विधान सभा में दिनांक 4 अप्रैल, 2013 को भी चर्चा में आया था और आपने यही आश्वासन उस समय भी दिया था। उस आश्वासन के प्रति कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई है। मई, 2014 में जो आपने रिप्लाई फायल किया है उसमें आपने कहा है कि 1500 मीटर की ऊंचाई वाले या उससे ऊपर परमिशन होगी बाकियों को परमिशन नहीं होगी। नूरपुर का क्षेत्र है, इन्दौरा का क्षेत्र है, नूरपुर का हमारा जो पुराना सब डिविजन है, फतेहपुर का इलाका है या देहरा का इलाका है; इनकी हाइट तो सी लैवल से मुश्किल से 600-700 मीटर बनती है। मुख्य प्रभावित क्षेत्र के लिए तो आप सैटिसफाई जवाब नहीं दे पाये। यह विषय मुख्य तौर से उन इलाकों से जुड़ा हुआ है, यह विषय 1500 मीटर हाइट वालों का नहीं है। इस पर ज्यादातर चीड़ के पौधे हैं। चीड़ के पौधे तो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते भी नहीं है वहां तो आप देवदार के लगायेंगे या अन्य पेड़ लगेंगे। हमारी उसमें सरकार से यही मांग है कि इस विषय को पहले कैबिनेट अप्रूवल दे जैसे हमने वर्ष 1999 में इसको कैबिनेट से अप्रूवल देकर 11 मार्च, 1999 को महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से इसकी नोटिफिकेशन करवा दी। उसके बाद हमारे एक भाई जिसका आपने अभी जिक्र भी किया; श्री फतेह सिंह एण्ड अदर्स हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने कहा कि दो महीने के अंतराल में वर्ष 1999 के आदेशों को लागू करे। दो महीने का अंतराल तो छोड़ो यह तो वर्ष 2014 से चलकर वर्ष 2017 आ गया और सरकार अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई पाई। अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है क्योंकि ये बहुत ही

9.3.2017/1425/av/DC/2

प्रभावित किसान है। आपकी विधान सभा क्षेत्र में भी है मगर वहां थोड़े ही हैं। कनवाड़ी के क्षेत्र में है, बैजनाथ का थोड़ा सा क्षेत्र ऊपर पड़ता है चढ़यार का इलाका, वहां भी है। आप

इस विषय को बार-बार उलझाने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में एक बार ही निर्णय लेकर कहें कि सरकार किसानों के हित में यह निर्णय लेगी। यह विषय दूसरी-तीसरी बार तो इस सरकार के बनने के उपरांत ही इस मान्य सदन में आ गया है। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा पंजाब सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में भी बताना चाहता हूं कि इसमें "Shri Prakash Singh Badal, Chief Minister of Punjab, with his efforts in thus EC and Ministry of Forest , Government of India, has been able to get exclude, जो मैंने कहा 6670 hectare area from forest vide Government of India notification number, as I have mentioned above, fulfilled long cheeriest demand of the poor farmers. जब पंजाब दे सकता है और सीधा सा यह है कि 24.7.2008 को पंजाब गवर्नमैंट को भारत सरकार ने इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत छूट दे दी। हमारा तो क्षेत्र ही कुल 7000 हैक्टेयर बनता है जबकि पंजाब का लगभग 65-66000 हैक्टेयर बनता है और उनको छूट है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा और शांतिप्रिय प्रदेश है, यहां पर कोई भी कानून सख्ती से लागू कर देते हैं। इस तरह के निर्णय जो हमारे शांतिप्रिय राज्य को प्रभावित करते हैं इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारी मांग यह है कि आप इस बारे में तुरंत आश्वासन दें कि किसी भी सूरत में जैसे पंजाब सरकार ने अपने राज्य में इसको लागू करवाया उसी तर्ज के ऊपर हम इसको हिमाचल में लागू करवायेंगे।

9.3.2017/1425/av/DC/3

वन मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने जो 1500 मीटर हाइट की बात की है इसमें कोई कनफ्युजन वाली बात नहीं है। प्रदेश सरकार ने आवेदन पत्र शीघ्रतिशीघ्र निर्णय करवाने के लिए निजी अधिवक्ता को भी नियुक्त किया है जैसे मैंने पहले फरमाया। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश में अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार, आप यह न समझो कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक, मेरा मतलब यह है कि उससे लोअर बैल्ट में फैलिंग मिल सकती है। There is no problem . मतलब हमने हाइट ज्यादा-से-ज्यादा 1500 मीटर तक रखी है और उससे ऊपर देवदार के दरख्त है। (---व्यवधान---) नहीं, आपने क्लेरिफिकेशन पूछी है तो

श्री वर्मा द्वारा जारी

09/03/2017/1430/टी0सी0वी0/डी0सी0/1
वन मंत्री --- जारी

लोअर हाइट में जितने दरख्त हैं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से परमिशन आती है, वैसे ही हम भी इसको कर देंगे। दूसरा, इसमें या तो एफ0सी0ए0 केस के अन्तर्गत पूरा हक दिया जा सकता है या क्लीयर फॉलिंग बैन को हटाने की परमिशन से ये किया जा सकता है। ये दोनों तरह से किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -(व्यवधान)- मैं यही तो बोल रहा हूं कि इसके बारे में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पैंडिंग रखा है जैसे ही फैसला देंगे, हम अगली कार्रवाई करेंगे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और आपकी तरफ से भी पूरे इफर्टस हुए हैं। हम 100 प्रतिशत कोशिश करेंगे कि ये मालिकाना हक इनको मिलें।

अध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के जवाब के मुताबिक मैं अपने इस संकल्प को वापिस लेता हूं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार है।
तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस किया जाये।

(**संकल्प वापिस हुआ**)

अब श्री इन्द्र सिंह जी अपना संकल्प रखेंगे। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हर संकल्प पर 45 मिनट बी0ए0सी0 ने निर्धारित किए हैं और अभी 3 संकल्प हैं। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि इन तीनों की संकल्पों पर आज ही चर्चा हो जानी चाहिए। 5 बज़े के बाद इसमें कोई एक्सटैंशन नहीं मिलेगी ।

09/03/2017/1430/टी0सी0वी0/डी0सी0/2

श्री इंद्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं , जो इस प्रकार से हैंः

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी विद्यालयों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने हेतु ठोस नीति बनाई जाये।

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि :

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी विद्यालयों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने हेतु ठोस नीति बनाई जाये।

इसके लिए 45 मिनट का समय निर्धारित है। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि चर्चा को शुरू किया जाये।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, शिक्षा हमेशा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित और चिन्तामय विषय रहा है। यह अक्सर कहा जाता है कि शिक्षा समाज की आत्मा हेाती है और यह दूषित न हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होती है। सरकार से अपेक्षा है कि राज्य के सभी शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई का वातावरण पैदा करें। राजनीति को शिक्षा संस्थानों से दूर रखें। ताकि हम एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकें, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हों। मानसिक और शारीरिक तौर पर मज़बूत हों और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकसित हों। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मतलब रोज़ी-रोटी कमाना ही नहीं हैं। जीवन कैसे जीया जाये, यह भी हम शिक्षा से सिखते हैं। सर, आज स्कूलों की हालत कैसी हैं, ये सबको पता है। इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं हैं। सरकारी स्कूलों की विश्वसनीयता बनाये रखना तथा शिक्षा में गुणवत्ता लाना ये समाज के लिए बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ..... जारी ।

09/03/2017/1435/ एन0एस0/ए0जी0 /1

श्री इन्द्र सिंह ----- जारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ स्कूलों में इन्फरास्ट्रक्चर की कमी है। कई स्कूलों में टीचर्ज़, बिल्डिगंज़, टॉयलैट्स की कमी है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। इन कमियों के होते हुए वहां शिक्षा का वातावरण ठीक नहीं बनता है। इसलिए जनता का विश्वास सरकारी स्कूलों से हट गया है। आज मज़दूर और किसान लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालें या न डालें। अगर हम इस सरकार का पिछले पांच सालों का डाटा देखें तो सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है लेकिन गुणवत्ता का स्तर नीचे जा रहा है और विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार घट रही है। मैं कुछ आंकड़े इस मान्य सदन में रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्ष 2011-12 में तकरीबन 14,996 स्कूल थे, जो बढ़ करके वर्ष 2015-16 में 15,433 हो गए। इसके विपरीत प्रदेश में वर्ष 2003-04 में स्टूडैंट्स की संख्या तकरीबन 9,17,323 थी जो वर्ष 2016-17 में घट करके 5,42,604 हो गई है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। 10-12 सालों में सरकारी स्कूलों से 45 प्रतिशत बच्चे प्राईवेट स्कूलों में चले गए हैं। यह एक सोचने का विषय है। निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं इसके भी कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। वर्ष 2010 में प्राईवेट स्कूलों में कक्षा पांचवीं तक 28 प्रतिशत बच्चे थे जो वर्ष 2016 में 43 प्रतिशत हो गए हैं। It is an alarming situation. वर्ष 2010 में आंठवीं कक्षा के बच्चे 18 प्रतिशत थे जो कि वर्ष 2016 में बढ़ करके 32 प्रतिशत हो गए। अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं और बच्चों की संख्या कम हो रही है। इसके अतिरिक्त प्राईवेट स्कूलों में फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों से प्राईवेट स्कूलों में पलायन क्यों हो रहा है? सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ ज्यादा हैं जबकि प्राईवेट स्कूलों में नाम की फैसिलिटीज़ हैं। फिर भी स्टूडैंटस सरकारी स्कूलों से प्राईवेट स्कूलों में जा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो पढ़ाई की गुणवत्ता नहीं है और दूसरा, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का वातावरण नहीं है। इन दोनों कामों के लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार इसमें सुधार ला सकती है अगर इच्छाशक्ति हो। मैं इस मान्य सदन में एक सर्वेक्षण और बताना चाहता हूं कि गुणवत्ता में कितना स्लाईड हुआ है। पांचवी कक्षा के तकरीबन 25 प्रतिशत बच्चे और सातवीं कक्षा के 14 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा का टैक्सट

09/03/2017/1435/ एन0एस0/ए0जी0 /2

नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप खुद अन्दाज़ा लगाईए। वैसे ही तीसरी कक्षा के 52 प्रतिशत बच्चे प्लस-माईनस के प्रश्न सोल्व नहीं कर सकते। यह एक कड़वा सच है और आपको यह मानना पड़ेगा। आठवीं कक्षा तक तो इग्ज़ाम ही नहीं होते हैं, बिना इग्ज़ाम के ही पास हो जाते हैं तब फेल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए यह सोचने की बात है कि हम अपने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार बनाए रखें? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सिस्टम में सबसे कमज़ोर चेन प्राईमरी ऐजुकेशन है। जिसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं अपनी बात को स्पोर्ट करने के लिए थोड़े-से आंकड़े यहां बताना चाहूंगा। प्रदेश में लगभग 10,766 प्राईमरी स्कूल हैं। यह आंकड़े थोड़े पुराने हैं परन्तु रेलेवैंट हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इनमें से 200 स्कूलों में लगभग कोई टीचर ही नहीं है और 100 स्कूलों में एक या दो स्टूडैंट्स हैं। 923 स्कूल ऐसे हैं जहां सिंगल टीचर है। आप किस गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। फिर क्या लोग आपके सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील खाने के लिए भेजें? जब तक आप प्राईमरी शिक्षा को इम्प्रूव/सुदृढ़ नहीं करते तब तक ये सार ढांचा जो आपने खड़ा किया है निरर्थक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने प्राईमरी स्कूलों में स्टूडैंटस के अनुपात में टीचर्ज़ दिए हैं। अगर पांच छात्र होंगे तो एक टीचर और 10 छात्र होंगे तो 2 टीचर्ज़ होंगे। विषय तो पूरे पांच हैं। क्या एक टीचर पांच विषय पांच कक्षाओं को पढ़ा सकता है? Why are you playing with the system? इसलिए प्राईमरी ऐजुकेशन की तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी है। हम प्राईमरी ऐजुकेशन को हल्के में नहीं ले सकते हैं।

श्री आर0के0एस0-----जारी

श्री इन्द्र सिंह...जारी

यह मेरी सरकार से प्रार्थना है। विकसित देशों में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको यू.एस.ए. का उदाहरण देता हूं। यू.एस.ए. में बच्चों को सरकारी स्कलों में जाने की होड़ लगी होती है। वहां पर यदि सरकारी स्कूलों में 5 करोड़ बच्चे हैं तो प्राइवेट स्कूलों में केवल 50 लाख ही बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरह यू.के. में भी 93 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। केवल 7 प्रतिशत बच्चे ही वहां पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। चीन के सरकारी स्कूलों की हालत और भी बेहतर है। आपके सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? कहीं-न-कहीं व्यवस्था में गड़बड़ है। बार-बार यह सब्जैक्ट यहां पर डिस्कस होता है। सब गर्दन हिलाते रहते हैं लेकिन अंत में रिजल्ट ज़ीरो रहता है। मैं समझता हूं कि प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में ज्यादा सहूलियतें हैं। सरकारी स्कूलों में कमरे, बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक है। बच्चों को पढ़ने के लिए फ्री बुक्स मिल रही हैं। मिड-डे-मील, मिल रहा है। वर्दियां फ्री मिल रही हैं। टॉयलेट सुविधा है। स्कोलरशिप मिल रही है। शिक्षा बिल्कुल फ्री है। कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों में quality of work life is much better than private schools. इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नही जाते हैं? क्या प्रॉब्लम है? इसकी प्रॉब्लम यह है कि सरकार के पास एजुकेशन की कोई पॉलिसी नहीं है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। There is no policy. दूसरी जो आपकी ट्रांसफर पॉलिसी है, यह बिल्कुल गलत है। सरकार के पास कोई कम्पोजिट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं कब किसी अध्यापक को बदल दिया जाएगा। किस अध्यापक की मिड सैशन में बदली हो जाएगी। वहां पर कांटिन्यूटी होनी चाहिए। आप कनसिस्टैंट ट्रांसफर पॉलिसी फॉलो करें। टीचर्ज़ रिक्रूटमैंट पॉलिस भी आपकी बिल्कुल गलत है। यदि आपकी कोई पॉलिसी है तो उसे आप फॉलों ही नहीं कर रहे हैं। Adhocism is superseding the recruitment policy. कभी पी.टी.ए., कभी कॉंट्रैक्ट और कभी आउटसोर्स करते हैं The quality is totally compromised in all aspects of your recruitment. तो फिर क्यों लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डालें? क्यों इतना बड़ा रिस्क लें। Mr. Speaker, Sir, let alone move in the right direction. This department is not even facing the right direction. माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि शिक्षा की

गुणवत्ता में सुधार आएगा यह बात महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 4 में लिखी है। 'विस्तार करने से

09.03.2017/1440/RKS/AG-2

गुणवत्ता में सुधार आएगा।' I think this is the biggest joke on earth. You have limited resources. You are overstretching those resources. You are totally shifting one teacher from here to another school on deputation. इस स्कूल का भी बेड़ा गरक हो रहा है और उस स्कूल का भी बेड़ा गरक हो रहा है। जब आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज़ ही नहीं है, टीचर्ज़ ही नहीं है तो why are you opening and upgrading so many schools? It is beyond anybody's comprehension. आपने पिछले दो वर्षों में कितने स्कूल अपग्रेड किए हैं? मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि आपने 609 नए स्कूल दो वर्षों में खोले हैं। लकिली मेरे निर्वाचन क्षेत्र में न कोई नया स्कूल खोला गया और न ही कोई स्कूल अपग्रेड हुआ है। I am lucky that way. गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल 54 खोले गए। प्राइमरी स्कूल से मिडल स्कूल 152 कर दिए गए। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल 246 किए गए। हाई स्कूल से सीनियर सकेंडरी स्कूल 167 कर दिए गए। लेकिन स्टाफ का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इन्फ्रास्ट्रक्चर्ज का कोई प्रावधान नहीं किया गया। फिर आप इन स्कूलों को किस लिए अपग्रेड कर रहे हैं? आपने केवल 1700 टीचर्ज़ की भर्ती की है। इन 2 वर्षों के पीरियड में इतने टीचर्ज़ तो रिटायर भी हो गए होंगे। स्कूलों को खोलना और उनको बूस्ट करना एक बात है परन्तु स्कूलों को चलाना दूसरी बात है। बिना स्टाफ व इन्फ्रास्टक्चर्ज़ के आप स्कूली सिस्टम में कैसे गुणवत्ता लाएंगे? इसलिए you wish to produce results out of nothing. आपके पास ग्राउंड में कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह माननीय सदन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसी कोई ठोस शिक्षा नीति बनाए ताकि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाए और साथ में विद्यार्थियों का पलायन भी रूके।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

09.03.2017/1445/SLS-AS-1

श्री इन्द्र सिंह...जारी

जिस भवन की नींव ठीक होगी, उसमें मंजिलें बनेगी। आपकी नींव कमज़ोर है और आप इसको और कमज़ोर किए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अगर हो सकता है तो हर पंचायत में कम-से-कम दो मॉडल प्राइमरी स्कूल खोलिए। Give them dedicated transport. Close all the other schools. आप वहां पर जाने की व्यवस्था कीजिए। आपने अभी भी डैडिकेडिट ट्रांसपोर्ट दी हुई है जैसी कि प्राइवेट स्कूलों में है। इससे आपका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। आज के दिन आप एक विद्यार्थी पर 30-40 हजार रुपया ख़र्च कर रहे हैं जबकि रिजल्ट पूरी तरह ज़ीरो है। इसलिए प्राइमरी शिक्षा को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है।

सर, मैं ट्राईबल एरिया की बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... No interruption please. ट्राइबल एरियाज में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर 2 बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए भी स्कूल खोलूंगा। What are you going to achieve out of that? मेरा आपको सुझाव है कि ट्राईबल एरिया में अगर आप नवोदय टाईप के स्कूल खोंले That will be more better than opening the schools here and there and having two or three students per school. उसमें कंपीटीशन भी होगा। उसमें आप सारी फैसिलिटीज दें। जितनी भी ट्राईबल एरियाज की ज़रूरत है उसके अनुसार 2-4 नवोदय टाईप विद्यालय आप खोलिए। फिर निजी स्कूल खोलने के लिए वही कानून और वही व्यवस्था होनी चाहिए जो सरकारी स्कूल के लिए है। दो सीनियर सेकैंडरी स्कूल खोलने में कम-से-कम 3 किलोमीटर का फासला होना चाहिए। इस समय छोटे-से टाऊन में भी 10-10, 5-5 निजी स्कूल खुले हैं और उनपर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। इसमें भी काम करने की ज़रूरत है। शिक्षकों की भर्ती चयन आयोग से करवाइए या बैचवाईज करिए, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा भी था। जो आप बैक डोर एंट्री करते हैं, that is more harmful to the system. इससे सारा सिस्टम क्रंबल हो गया है if you come to think of it.

09.03.2017/1445/SLS-AS-2

मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्कूलों में नर्सरी और प्री-नर्सरी क्लासिज ज़रूर चलाइए। जब बच्चा चार साल का होता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्र से उठकर सीधा प्री-नर्सरी में प्राईमरी स्कूल में चला जाना चाहिए। फिर पांच साल का हुआ तो नर्सरी में चला गया और 6 साल का होने पर पहली क्लास में बैठ गया। अगर आपने संख्या बढ़ानी है तो यह बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने निजी स्कूलों के लिए कानून बनाया, वैसा सरकारी स्कूल के लिए भी होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मानना है कि जो बच्चा पहली बार किसी निजी स्कूल में चला गया, वह हटकर सरकारी स्कूल में नहीं आएगा और आपके स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ेगी। मैं यह बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ज़ोर देते हैं कि स्कूलों का मैट्रिक और प्लस टू का रिजल्ट ठीक होना चाहिए। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहां स्टॅफ कौन-सा जाता है। जिसको कुछ भी नहीं आता, वह प्रोमोट होकर आगे निकल जाते हैं। इसलिए जब आप कहते हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए तो आप यह भी कह दीजिए कि कौपिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छा रिजल्ट मांगते हैं और रिजल्ट ठीक नहीं आता तो you take action against the teachers.

और स्टॉफ की मज़बरी है कि नीचे से कच्चा माल ठीक नहीं आ रहा है। इसलिए उनको परफौर्स नकल करवानी पड़ती है और मॉस कौपिंग होती है ताकि सी.एम. साहब को ठीक रिजल्ट दिखाया जाए। इसलिए you kindly stop the copying in the schools. There should not be and copy in the schools.

एक-दो क्लासिज में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जब बाद में यह सिस्टम स्ट्रीमलाईन हो जाएगा तो फिर कौपिंग बंद करने से लाभ होगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। मेरी आपसे एक और सबमिशन रहेगी कि kindly don't transfer the teachers in the mid session.

यह महत्वपूर्ण है। नए स्कूल खोलने के बजाये आप पुराने स्कूलों को मज़बूत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और विनती है। स्कूलों में जो SMCs बनती हैं यह बड़ा रिस्ट्रिक्टिड स्पैक्ट्रम है। जिन अभिभावकों के बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं में से आप SMC और SMC प्रधान बनाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह बड़ा

09.03.2017/1445/SLS-AS-32

लिमिटेड दायरा है। इसके लिए हमारे पास बहुत-सा रिज़रवायर है। स्कूलों के नजदीक कई टीचर्ज अच्छे पदों से रिटायर हुए हैं। अगर हम उनको SMC का प्रधान बनाएं तो मेरे ख़याल में वह इफैक्टिव SMC अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इसलिए मेरे ख़याल में यह रिस्ट्रिक्शन उठ जानी चाहिए और निरीक्षण की भी बात होनी चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण इसु है art of parenting.

जारी ...श्री गर्ग जी

09/03/2017/1450/RG/AS/1
श्री इन्द्र सिंह----क्रमागत

जब बच्चा पैदा होता है और जैसे वह ग्रो करता है, तो माता-पिता अपने-अपने तरीके से उसको सिखाना चाहते हैं और मेरे ख्याल से हमें चाहिए कि माता-पिता को किसी-न-किसी तरीके से फॉर्मल ट्रेनिंग हम दें कि बच्चे को कैसे रेज़ करना है, that is important. और इसका माध्यम आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं आशा वर्कर्ज के द्वारा हो सकता है ताकि हर माता-पिता समझे कि अपने बच्चों को आज की सिचुएशन के मुताबिक कैसे रेज़ करें। इसलिए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर भी हमको ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में इतना ही कहूंगा कि भले ही आप शिक्षा के लिए करोड़ों रुपयों का प्रावधान कर दें। कल बजट प्रस्तुत होगा, तो हो सकता है कि सात-आठ सौ करोड़ रुपये शिक्षा की तरफ आ जाए, लेकिन सब कुछ खरीदने के बावजूद भी आपकी शिक्षा गुणात्मक नहीं होगी, It is wasteful expenditure in the long run. यह मेरा मानना

है। इसलिए मात्र राजनैतिक महत्वकांक्षा के लिए आधे-अधूरे स्कूल अपग्रेड न करें, कुछ करने के बजाय जो ऐग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको आप री-इनफोर्स करिए। यही मेरी सरकार से गुजारिश है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09/03/2017/1450/RG/AS/2

अध्यक्ष : इस संकल्प के लिए अब 25 मिनट रह गए हैं और तीन माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं यही कहूंगा कि कृपया 5-5 मिनट में अपनी स्पीच समाप्त करें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें अपना जवाब भी देना है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जो अगले संकल्प हैं यदि समय हो गया, तो वे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सीमित समय में ही बोलें। अब श्री हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हंस राज : अध्यक्ष महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण संकल्प माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी यहां लेकर आए हैं कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी विद्यालयों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थियों की घटती संख्या पर रोक लगाने हेतु ठोस नीति बनाई जाए।"

माननीय अध्यक्ष जी, श्री इन्द्र सिंह जी हर बार इस तरह का संकल्प लाते हैं और मुझे लगता है कि श्री इन्द्र सिंह जी ने शिक्षा को लेकर या सरकारी स्कूलों को लेकर क्या सोच होनी चाहिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में पैदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी प्रथम एन.जी.ओ. के सर्वे का सन्दर्भ लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों से बहुत अच्छा कर रहा है। प्रथम, एन.जी.ओ. बहुत अच्छा करती है, इसमें शक नहीं है। लेकिन यदि उसमें आंकड़ों की कुछ व्यवस्था की होती कि पहली क्लास का बच्चा किस तरह का है, दूसरी क्लास का बच्चा क्या कर रहा है और इसी प्रकार तीसरी-चौथी एवं पांचवीं क्लास का बच्चा क्या कर रहा है, तो अच्छा होता। बेसिकली तो यह अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिन इलाकों से हम

लोग आते हैं, तो यहां पहाड़ी क्षेत्रों में इतना निजीकरण नहीं हुआ है या निजी स्कूल अभी नहीं खुले हैं और सरकारी स्कूलों पर ही निर्भरता है, लेकिन अब यहां भी समस्या उठनी शुरू हो गई है। इसका मूल कारण मैं यह मानता हूं कि समाज में जो परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट चला है जिससे एक-एक या दो-दो बच्चे हो रहे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे को सही शिक्षा मिले, तो सही शिक्षा का एक ही मानदण्ड रह गया है कि यदि वह निजी स्कूल में पढ़ता है तभी उसको सही शिक्षा या क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन मिलेगी। इसको तोड़ने के लिए हमें कम्पेरीजन में स्कूल खड़े करने पड़ेंगे। कर्नल साहब सही बता

09/03/2017/1450/RG/AS/3

रहे थे कि मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे परसों मेरे प्रश्न में भी था कि एक ही मॉडल स्कूल हमें मिला है, लेकिन उसकी बिल्डिंग तक नहीं बन रही है। तो शिक्षा पर इस तरह का मन्थन होना चाहिए और जोन बनाकर, जैसा इन्होंने कहा कि नवोदय टाईप का कॉन्सेप्ट डवलप करना चाहिए। इसमें 2-3 चीजें मैं जोडूंगा।

एम.एस. द्वारा जारी

09/03/2017/1455/MS/AS/1

श्री हंस राज जारी----

एक तो हम जो वी0आई0पीज0 या वी0वी0आई0पीज0 हैं, कई बार जैसे हम लोग शिमला की तरफ आ रहे होते हैं तो हमें रास्ते में पड़ने वाले स्कूलों का कभी-कभार औचक निरीक्षण कर लेना चाहिए। एक यह फॉर्मूला लग सकता है। जैसे मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में स्वयं कोशिश की है। मैंने 95 परसेंट प्राइमरी से लेकर जमा दो के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है और आधा-पौना घण्टा स्कूालों में लगाया है। तो इस तरह से कहीं-न-कहीं थोड़ा चैक रहता है। इसी तरह से हमारे जिलाधीशों को भी करना चाहिए चाहे वे किसी भी जिले में तैनात हैं। हम सबको थोड़ी-थोड़ी इस तरह की कोशिश करनी शुरू करनी चाहिए। जैसे अगर हम चम्बा और चुराह की बात करें तो एक समय ऐसा था कि हमें

पढ़ाने के लिए कांगड़ा के अध्यापक आते थे क्योंकि हमारे क्षेत्र में इतने पढ़े-लिखे लोग नहीं थे और अलग-अलग जिलों से या राज्य के बाहर से भी अध्यापक आते थे, ऐसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं। लेकिन आज तो समय ऐसा आ गया है कि जितने भी अध्यापक हैं वे अपने ही चुनाव क्षेत्र के अंदर के हैं और इसमें थोड़ा राजनीतिकरण हो जाता है। कोई अध्यापक रिजल्ट दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है इस तरह का कोई चैक नहीं है। ठीक है, कई बार कहते हैं कि रिजल्ट बड़ा कमजोर रह गया है तो उसकी हम रिपोर्ट तलब करेंगे। अब रिपोर्ट तलब हुई या नहीं हुई, उस पर क्या एक्शन हुआ, उस पर कोई भी किसी तरह की बात नहीं होती है। अब हमीरपुर और कांगड़ा ये जो विकसित जिले हैं इनमें बड़ी भयंकर समस्या हो गई है। जैसे कई बार यहां आंकड़े आते हैं कि किसी स्कूल में दो बच्चे हैं और 4-4 या 5-5 अध्यापक हैं। उसके बावजूद भी वे दो बच्चे वहां टिकना नहीं चाहते। इसी तरह से अब सरकारी स्कूलों में एक समस्या और आ गई है और वह समस्या है कि जो हम फ्री का कन्सैप्ट लेकर आए हैं यानी जो हम सबकुछ बच्चों को फ्री में दे रहे हैं जैसे वर्दी, भोजन, किताबें और फीस इत्यादि। वास्तव में यह कन्सैप्ट उन राज्यों के लिए था जिनकी आजीविका कम है और जो बच्चों को स्कूलों तक नहीं भेज सकते हैं या जहां ज्यादा ड्रॉपआउट है। लेकिन इसको हमने एक सिद्धान्त के रूप में ले लिया है और हर जगह इसे पूरी तरह से लागू कर लिया है।

09/03/2017/1455/MS/AS/2

इसीलिए हम चाहते हैं और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि यदि सरकारी स्कूलों को आपने बढ़िया तरीके से चलाना है या फिर इन स्कूलों में अगर बच्चों को लाना है तो उसके लिए ठोस नीति यह बनानी पड़ेगी कि रिजल्ट ऑरियंटिड स्कूल बनें। मतलब वहां के स्कूल रिजल्ट दें कि वहां से नवोदय के लिए कितने बच्चे निकले। जो कम्पीटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी देखा जाए कि किस स्कूल से कितने बच्चे निकले हैं। उस तरह का हमें चैक रखना पड़ेगा और उस के साथ-साथ हमें यह कोशिश करनी पड़ेगी कि जो टीचर अच्छा कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए और सोसायटी में भी वे काम करे। इस तरह का माहौल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ एन0जी0ओज0/सामाजिक संगठन जो शिक्षा पर अच्छी पकड़ रखते हैं या शिक्षा के प्रति जिनका लगाव है उनको हमें प्रोत्साहित करना

पड़ेगा। तब जाकर सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या जो कम हो रही है उसको रोका जा सकेगा। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैंने इन 3-4 सालों में स्वयं यह ऑब्जर्व किया है। इससे पहले हमने भी एन0जी0ओ0 में काम किया है। आज प्राइवेट स्कूल में जो अध्यापक 2000 रुपये तनख्वाह ले रहा है वह बढ़िया परिणाम दे रहा है क्योंकि उस पर चैक होता है। उस पर एम0डी0 और चेयरमैन चैक रखते हैं और जो स्कूल चला रहा होता है वह भी चैक रखता है। वह चैक इसलिए रखता है क्योंकि वह उसमें बिजनैस देख रह है। हमारे सरकारी स्कूलों में बढ़िया सैलरी है, बढ़िया इन्फ्रास्ट्रक्चर है और बढ़िया चीजें मिली हुई हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियां और अन्य भी सारा प्रावधान है फिर भी सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल रहे हैं। उसका केवल-मात्र एक ही कारण है और वह कारण यह है कि हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों से निकल रहे हैं हम उनमें वह क्षमता नहीं बढ़ा पा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09/03/2017/1455/MS/AS/3

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष जी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (उपाध्यक्ष महोदय): अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने यहां प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

09.03.2017/1500/जेके/डीसी/1

उपाध्यक्षः-----**जारी**------

अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश में नम्बर-1 पर आया है और इस बात के लिए भी

बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो एक पहाड़ी राज्य है छोटे से राज्य में भी 10 हजार से ज्यादा प्राईमरी स्कूल खुले हैं और 3 हजार से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर इसी तरह से हाई स्कूल, मिडल स्कूल आदि खुले हैं। अभी इतने स्कूलों के होने के बावजूद भी हमारे माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह जी ने अपने प्रस्ताव में माना कि समस्त सुविधाएं आज हमारे स्कूलों में उपलब्ध है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीमित संसाधनों के बावजूद भी अगर हमारे इतने हजारों स्कूलों में सभी समस्त सुविधाएं मौजूद हैं, इसीलिए हमें देश में नम्बर-1 का दर्ज़ा भी प्राप्त हुआ है। अब केवल इसमें गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है, जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। मैं उसमें अपने आपको भी जोड़ना चाहता हूं। यह ठीक है कि जनजातीय क्षेत्रों में कई जगह पर बच्चों की संख्या बहुत कम है, परन्तु उस स्थान से जो नज़दीक के स्कूल में जाने के लिए आज से कुछ साल पहले 20-20 किलोमीटर भी पैदल जाना पड़ता था,परन्तु जब-जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनीं और राजा साहब मुख्य मंत्री बने तो हर गांवों में एक किलोमीटर की दूरी पर भी नये प्राईमरी स्कूल खोले गए,जिससे हमारे दूर-दराज़ के विशेष करके हमारे जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा का बहुत ज्यादा मौका मिला है और उसी के फलस्वरूप आज जिला किन्नौर जो जनजातीय इलाका है, लाहौल-स्पिति, पांगी, भरमौर में साक्षरता में भी हम पूरे देश में नम्बर-1 पर हैं और हमारे बहुत सारे लोग आज आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, डॉक्टर्ज़, इंजीनियर्ज, लैक्चरर्ज और अन्य बहुत सारे संस्थानों में आज इसी कारण आगे पहुंच पाए हैं। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद अगर हमारे यहां पर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण मीडियम इंगलिश का है। हमारी मातृ भाषा हिन्दी है और इसके महत्व को मैं कम नहीं आंकता। हिन्दी का ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। परन्तु

09.03.2017/1500/जेके/डीसी/2

इंगलिश आज इन्टर नेशनल लेंग्वेज़ है। आज हमारे जितने भी साईंस को पढ़ने के लिए आगे जाते हैं, विश्व विद्यालयों में जाते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या जितने भी बड़े उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, सभी जगहों पर इंगलिश के वगैर काम नहीं है। आज अगर प्राईवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा रूझान है तो केवलमात्र इसलिए कि वहां पर अग्रेंजी मीडियम है। छोटे-छोटे गांवों में प्राईवेट स्कूल खुल रहे हैं। सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल खुल रहे हैं और वहां पर भी अंग्रेजी का माध्यम चला रखा है। इसलिए ज्यादा बच्चे इंगलिश पढ़ने के लिए प्राईवेट स्कूल में जा रहे हैं। वहां चाहे कमरे नहीं है, चाहे वहां पर अध्यापकों की योग्यता नहीं है, उनका वेतन कम है और फिर भी उस ओर जा रहे हैं। मेरा एक सुझाव है कि हमारे जितने भी स्कूल हैं, जे0बी0टी0 हमारे यहां प्लस टू के बाद लगते हैं, उसके बाद उनका एक इन्टरव्यू होता है, वे रिटन इग्जाम पास करने के बाद वे जे0बी0टी0 की ट्रेनिंग दो साल की करते हैं, फिर टैट क्वालिफाई करते हैं तब जा करके उनकी नौकरी लगती है। उनमें किसी किस्म की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस की और ट्रेनिंग की कमी नहीं है। इसी तरह से टी0जी0टी0, इसी तरह से लेक्चर्ज हैं। यदि प्राईवेट स्कूलों की भांति हमारे सरकारी स्कूलों में इंगलिश मीडियम पढ़ाया जाए तो बच्चों की संख्या बढ़ेगी और हमारे बच्चों को भी आगे कम्पिटेटिव इग्ज़ाम में, जहां पर इंगलिश मीडियम स्कूलों से शहरों के स्कूलों में ज्यादातर इंगलिश मीडियम है तो वे ही बच्चे ज्यादा आगे आ रहे हैं तो हमारे ग्रामीण स्कूलों से भी बच्चों को कम्पीटिशन में अच्छा मौका मिलेगा। जहां पर स्कूल खोलने की बात है उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि स्कूल खुलने चाहिए। स्कूल खुलेंगे और गांवों के नजदीक बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ में जो हमारे हजारों बेरोजगार नौज़वान हैं, उनको नौकरी भी तो देनी है। वे शिक्षक बने क्योंकि इतने सारे बी0एड0 कॉलेज खुले हैं, इतने सारे जे0बी0टी0 के ट्रेनिंग सेन्टर्ज खुले हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

09.03.2017/1505/SS-AG/1

उपाध्यक्ष महोदय क्रमागतः

तो इनका यह कहना कि स्कूल्ज़ अपग्रेड नहीं होने चाहिएं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह भी ठीक है कि जनजातीय क्षेत्रों में हमने कई बार सुझाव दिया है कि जहां पर +1 और +2 के विद्यार्थी हैं अगर तहसील लेवल पर लड़के-लड़कियों के लिए कॉ-एजुकेशन हो, वहां पर रैजिडैंशियल स्कूल्ज़ बनाए जाएं तो उससे हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को यह फायदा होगा कि सभी किस्म की स्ट्रीम मिलेगी। चाहे वह साइंस की स्ट्रीम है, कॉमर्स है या आर्टस है, एक ही जगह पर उनको पढ़ाया जा सकता है और ज्यादा च्वाइस वहां मिल सकती है। साथ में स्कूलों में जो निरीक्षण अंग्रेजों के समय में इंस्पैक्टर करते थे वह बहुत कम हुआ है। परन्तु अभी हाल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 12 जिलों में 12 डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के नियुक्त किये हैं जोकि वहां पर जाकर इंस्पैक्शन करेंगे। उसमें मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ये जो इंस्पैक्टर्ज़ होंगे अगर एच0ए0एस0 काडर के ऑफिसर को नियुक्त करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा डिसीप्लन हो सकता है। थोड़ा-सा अच्छा कंट्रोल और डिसीप्लन लाने की जो ज़रूरत है, एकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है उसमें सुधार हो सकता है, धन्यवाद।

09.03.2017/1505/SS-AG/2

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी जी इस चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इंद्र सिंह जी ने जो यहां संकल्प रखा है निश्चित तौर पर इनकी भावना के साथ सदन की सहमति है कि कोई भी इंस्टिच्यूशन हो, सरकारी विद्यालयों में समस्त सुविधाओं के बावजूद विद्यार्थी की घटती संख्या पर हमें विचार करना चाहिए, नीति बनानी चाहिए। इनका विचार अच्छा है। मगर इन्होंने अपने ही रैजोल्यूशन में, जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा, इस बात को रखा है कि समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं यानी कि बीमारी कहीं और है। आपने बहुत सारी बातें रखीं। पहली बात तो अध्यक्ष महोदय जब हिमाचल अस्तित्व में आया तो उस समय इसकी साक्षरता दर 7 प्रतिशत थी और आज हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर में केरल के साथ नम्बर-। के लिए कम्पीट करता है। अध्यक्ष महोदय, केरल में एक हजार साल से मिशनरी मूवमैंट चल रही है। मिशनरीज़ जो आए उन्होंने केरल में आ करके शिक्षा का प्रचार-प्रसार

किया और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने वर्षों से काम किया। मगर हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी कुल 7 प्रतिशत साक्षरता दर थी जब हिमाचल अस्तित्व में आया और आज हम सरकारी स्कूलों के दम पर केरल के साथ कम्पीट कर रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल खुले हैं, स्कूलों में बढ़ोत्तरी हुई है, हिमाचल प्रदेश को इस बात का भी गर्व है कि राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा प्रदेश था जिसने प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया। यूनिवर्सलाइजेशन किया, हिन्दी में उसको सार्वभौमिकरण बोलते हैं। In Universalization of primary education, Himachal was the second State in the country. पार्लियामैंट में उसके कई सालों बाद हुआ कि प्राईमरी एजुकेशन का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। मगर हिमाचल प्रदेश में उस वक्त माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमने लगभग 3 हजार प्राईमरी स्कूल खोले, जिसका ज़िक्र मेरे ख्याल से श्री हंस राज जी भी कर रहे थे और माननीय उपाध्यक्ष जी भी कर रहे थे कि किलोमीटर व डेढ़ किलोमीटर पर स्कूल खोले गए। अब अध्यापकों की बात रही। नेगी जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही कि सरकारी स्कूल से बच्चों के जाने का

09.03.2017/1505/SS-AG/3

एक कारण अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगी कि इन्होंने प्राईमरी स्कूल से अंग्रेज़ी को इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया है और एक फेज़ड मैनर में स्कूल्ज़ भी चुन रहे हैं जहां पर अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए। अंग्रेज़ी से ही शुरूआत की जाए। प्राइवेट स्कूल में जाना एक स्टेट्स सिम्बल भी है। टीचर जहां खुद पढ़ा रहे होते हैं वहां पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। वे अपने बच्चे को गाड़ी में बिठा करके प्राइवेट स्कूल में छोड़ करके वापिस आते हैं और अपने स्कूल में पढ़ाने जाते हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2017/1510/केएस/एजी/1

श्रीमती आशा कुमारी जारी-----

यह भी एक सीरियस कन्सर्न है कि वह टीचर जो अपने आप को दूसरों के बच्चों को पढ़ाने के काबिल समझते हैं, अपने बच्चों को दूसरी जगहों पर छोड़ कर आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की कमी का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की राजनीति है। शिक्षकों के साथ राजनीति नहीं, शिक्षकों की राजनीति। शिक्षक इतने भारी तादाद में हैं, चाहे आप हो या हम सभी को वे प्रैशराईज़ करते हैं कि हमें यहां से नहीं हटाया जाए, वहां ट्रांसफर न किया जाए। मैं किसी शिक्षक के खिलाफ नहीं हूं। माननीय विधायक श्री हंसराज जी भी किसी समय पढ़ाया करते थे। पता नहीं ये यहां विधान सभा में क्यों आ गए, ये तो एच.ए.एस. में जा रहे थे। शायद आप लोगों को पता नहीं है, इन्होंने तो एग्ज़ाम भी पास कर लिया था लेकिन विधान सभा का चुनाव आया, ये विधायक बन गए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो इस माननीय सदन में आज भी हैं, पहले भी थे मगर सभी शिक्षकों का ध्यान अगर राजनीति की तरफ ज्यादा और पढ़ाने की तरफ कम होगा तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। शिक्षक राजनीतिक तौर पर बंट रहे हैं। अगर कोई शिक्षक पढ़ाता नहीं है तो वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं वह यह कहेगा कि फ्लां पार्टी से मेरी नहीं बनती, इसलिए मेरे खिलाफ यह कहा जा रहा है। शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते। अगर किसी प्रधान ने, क्योंकि पंचायती राज एक्ट में प्रधान के पास पावर्ज़ हैं, अगर उसने लिखकर दे दिया कि यह अध्यापक स्कूल नहीं आता है तो सारे अध्यापक और उनकी यूनियन प्रधान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, आपके और हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इस ट्रैंड को रोकने के लिए भी कोई न कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा और यह दायित्व आपका और हमारा बराबर का है। यह किसी पार्टी विशेष का नहीं है अपितु चुने हुए सभी विधायकों का दायित्व है कि हम भी प्रैशर थोड़ा सहन करना सीखें। राजनीतिक तौर पर किसी की

प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए लेकिन राजनीति का सहारा ले कर पढ़ाई न कराना भी गलत है। ऐसे-ऐसे शिक्षक हैं

09.03.2017/1510/केएस/एजी/2

जो स्कूल में जाते ही नहीं। उनसे पूछो, लगे होंगें मेरे इलाके में और घूम रहे होंगें हंसराज जी के इलाके में। लगें होंगें हंस राज जी के इलाके में और घूम रहे होंगें मेरे इलाके में। इसी तरह से और हैं तो यह जो प्रवृत्ति राजनीतिकरण की शिक्षकों में आ गई है, यह शिक्षा के स्तर के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण है । निश्चित तौर पर और भी कारण हैं । बच्चे ज्यादा है, अध्यापक कम है। कहीं-कहीं बच्चे कम है टीचर्ज़ ज्यादा है। कहीं-कहीं हो सकता है, जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि टीचर्ज़ नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। परन्तु एक बात के लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को जरूर बधाई देती हूं। हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । आपके क्षेत्रों में घनी आबादी है लेकिन हमारे में नहीं है। हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खाइयां या नदियां हैं । बच्चे उनको पार करके नहीं जा सकते। हो सकता है वहां बच्चों की संख्या कम हो परन्तु जब हमने पार्लियामैंट में सार्वभौमिकरण का प्रस्ताव पारित कर दिया, हमने तो पहले ही कर दिया था तो हमने प्रत्येक बच्चे को अधिकार दिया है। अगर एक बच्चे को भी स्कूल खुलता है तो बुरी बात नहीं है लेकिन बच्चा पढ़े, यह जरूरी है। कितना अच्छा लगेगा कि अगर वह बच्चा कहीं अच्छी जगह पर पहुंचे, कितना अच्छा लगेगा कि एक बच्चा पढ़ रहा है लेकिन यह जो राजनीतिकरण है, इसके बारे में आप सोचें कि किस तरह से करना है। निश्चित तौर पर शिक्षकों की कमी है, मुख्य मंत्री जी नीति ले कर आएंगें, हमें पूरा विश्वास है । कल हमारा बजट भी पेश होना है, उसमें भी मुख्य मंत्री जी कुछ बात रखेंगें और वैसे भी ये हमेशा शिक्षकों के खाली पदों को ले कर चिन्तित रहते हैं मगर शिक्षकों के पद को भरना, शिक्षकों को यह कन्विंस करना कि तनख्वाह लेने के अलावा आपको पढ़ाना भी है, यह भी हम सभी की जिम्मेवारी है और मैं समझती हूं कि जैसे इंद्र सिंह जी ने कहा कि सुविधाओं की कमी नहीं है मगर यह भी चिन्ता का विषय है कि क्यों हमारे बच्चे प्राईवेट स्कूलों में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर प्राईवेट स्कूलों में वे अरली एज़ में चले जाते हैं और ठीक कहा श्री हंस राज जी ने कि एक बार जो प्राईवेट स्कूल में बच्चा चला गया वह वापिस सरकारी स्कूल में नहीं आता । हमारे यहां जहां प्राईवेट स्कूल नहीं है, वहां केन्द्रीय विद्यालय में चले जाएंगें। नवोदय विद्यालय की बात कही, यह अच्छा

आइडिया है परन्तु नवोदय विद्यालय स्टेट का सब्जैक्ट नहीं है। नवोदय विद्यालय तो सैंटर का सब्जैक्ट है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.3.2017/1515/av/AS/1

श्रीमती आशा कुमारी ------- जारी

आप जो कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं। मुख्य मंत्री जी का भी यही मानना है कि मोडल स्कूल होने चाहिए जिसमें इनफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाएं पूरी हो ताकि एक जगह पर हम उनको अच्छी पढ़ाई दे सकें। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, अपने तजुर्बे से भी और मैं प्राथमिक शिक्षा की मंत्री भी रही हूं। जब यह मन्त्रालय बना था तो मैं इसकी पहली मंत्री बनी थी। इसलिए भी मैं आपसे कह रही हूं कि सबसे बड़ा कारण राजनीतिकरण ऑफ अध्यापक है। मेरा पूरे सदन से निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश के बच्चों के फ्युचर के लिए हम सभी मिलकर के अपना योगदान दें। मैं समझती हूं कि यह चिन्ता का विषय जरूर है लेकिन सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है। यह सही है कि अब स्कूलों की संख्या बढ़ गई है तो स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई है। पहले डलहौजी में एक ही गवर्नमैंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था और अब वहां पर सात सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। नेचुरली पहले जिस स्कूल में 2000 बच्चे थे आज वहां पर 700 बच्चे हैं। हर स्कूल में स्प्रैड आउट हो गये हैं तो थिनिंग आउट उसकी वजह से भी हुआ है तथा सुविधा भी मिली है। इसलिए ये दोनों बातें हैं। क्या हम यह चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे स्कूल न जाएं। खासकर जब हमारी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो प्रैशर आप पर भी होता है और हम पर भी होता है। कहा जाता है कि लड़के तो ठीक है परंतु लड़कियों को कहां भेजें, कालेजिज के लिए इसी तरह से प्रैशर होता है। कल शायद पवन काजल जी अपनी स्पीच में कह रहे थे कि उनके यहां जो कालेज खुला उसमें 400 की स्ट्रैंथ है और 400 में से 350 लड़कियां हैं। इससे क्या बात सामने आती है? इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर पहले लड़कियों के लिए सुविधा नहीं थी इसीलिए लड़कियां वहां जा रही हैं। इन्होंने यह भी कहा कि वह लड़कियां जो एक या दो साल पहले स्कूल से पास आउट कर गई थी उन्होंने भी वहां पर ऐडमिशन ली और पढ़

रही हैं। ऐसा नहीं है, कुछ कमियां हैं जिनको हमें दूर करना चाहिए। सरकार के ऐफ्र्ट ऐपरिशिएबल हैं क्योंकि जो प्रदेश 7 प्रतिशत की साक्षरता दर पर था आज उसे पूरे हिन्दुस्तान में नम्बर वन अचीवर का अवार्ड मिलता है तो कनजैक्टिव सरकारें इसके लिए बधाई की पात्र हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश को एक शिक्षित प्रदेश बनाया है।

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

9.3.2017/1515/av/AS/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्द्र सिंह जी ने अपने संकल्प के माध्यम से यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाया है और मैं भी इस पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं महसूस करता हूं कि सबसे पहले तो इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि एक दौर था जब साक्षरता दर बहुत कम थी। (---व्यवधान--) मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं। अभी जैसे कि आशा कुमारी जी ने कहा कि पहले 7 प्रतिशत थी और 7 प्रतिशत से बढ़कर आज शायद लगभग 90 प्रतिशत तक पहुंच गई है। मगर विषय यह है कि क्या आज इस कम्पीटिशन के दौर में अपने बच्चों को मात्र साक्षर करना ही पर्याप्त है? मुझे लगता है कि इस पर सोचने की आवश्यकता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ही हैफेजर्ड तरीके से ऐक्सपैंशन पर तो जाते रहें। राजनीतिक क्षेत्र में हम भी काम करते हैं, आप लोग भी काम करते हैं चाहे हम यहां पर सत्ता पक्ष में हैं या विपक्ष में है। कुछ हमारी विवशताएं और मजबूरियां भी रहती हैं। मगर कम-से-कम अब इस बात पर सोचने का समय आ गया है और ऐक्सपैंशन के दौर को रोकना चाहिए। रोकने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्कूल मत खोलिए लेकिन स्कूल वहां पर खोलिए जहां उसकी सचमुच में जस्टिफिकेशन बनती है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

09/03/2017/1520/टी0सी0वी0/ए0एस0/1
श्री जयराम ठाकुर--- जारी

अध्यक्ष महोदय, जब मैं दसवीं में पढ़ता था, मेरे घर से हाई स्कूल की दूरी 9 किलोमीटर पड़ती थी। मैं अपने घर से 9 किलोमीटर जाता था और 9 किलोमीटर आता था। इस तरह से 18 किलामीटर हररोज़ सफ़र करता था और जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में एक भी अध्यापक की कमी नहीं थी। ये मैं आपको 1980 की बात सुना रहा हूं। आज मेरे गांव में हाई स्कूल हैं, एक अध्यापक के बलबूते पर चल रहा था, अब एक और अध्यापक आया है यानि कुल 2 अध्यापक हैं। मुझे लगता है कि हम अंधाधुंध एक्सपैंशन पर चले गये हैं, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमने जो संस्थान/स्कूल खोल दिए हैं, उनको चलाने के लिए वहां पर स्टॉफ और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा हम विद्यार्थियों को गुणवत्ता के साथ दे सकें । मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कारण ये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ग्रामीण विकास का महकमा रहा। मैंने देखा कि मनरेगा के मज़दूर ने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के वज़ाये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एडमिशन ली है। उसकी माता मनरेगा में मज़दूरी करती है, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में छोड़कर आती हैं। मैंने अपने क्षेत्र के ऐसे एक-दो नहीं बीसों उदहारण देखें हैं। जब हम पूछते थे कि वहां तो शिक्षा महंगी है, जबकि सरकारी स्कूल में तो शिक्षा मुफ़्त है, वर्दी मुफ़्त है, सारी सुविधाएं मुफ़्त हैं, यहां तक कि मिड-डे-मील का भी उनमें प्रावधान हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि गरीब-से-गरीब आदमी भी अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कल्पना करता है। सरकारी व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। ये इसका सबसे बड़ा कारण हैं। विद्यार्थी पढ़कर जे0बी0टी0/मास्टर बन जाता है और उसके बाद जब यह नौकरी मिल जाती है, उसके बाद उसकी सोच सरकारी बन जाती है। सरकारी सोच का मतलब तनख्वाह लेना लाज़मी है, काम करना लाज़मी नहीं है, जो सचमुच एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय हैं। जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में जाता हूं, तो हम वहां पर देखते हैं, कई जगह एक अध्यापक है और 70 विद्यार्थी हैं। इस बात पर भी सोचने की आवश्यकता है कि जो अध्यापक हमने लगाये हैं, क्या हम इस बात के लिए इनकी ट्रेनिंग करते हैं कि

तुम्हारे ऊपर इस देश का भविष्य बनाने की जिम्मेवारी हैं? इसका मतलब है कि मास्टर के नाते आपको जो डयूटी दी गई है, तुम्हें उन विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पढ़ाना है, जिस प्रकार तुम अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उसी प्रकार उस स्कूल में पढ़ने वाले आम विद्यार्थी के मां-बाप उसकी कल्पना करते

09/03/2017/1520/टी0सी0वी0/ए0एस0/2

हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमारी छूटती जा रही हैं। ये सारी चीजें मिलते-मिलते यहां तक पहुंच गई कि आज सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है। जबकि वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए मां-बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना हैं। यह ठीक है जो बात यहां पर सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने कही कि इंग्लिश that can also be one of the reason but that is not the only reason. ये कारण भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हमको सोचने की आवश्यकता है कि हमको आज के इस दौर में जहां हम पहुंच गये और हम गिन रहे हैं कि यह भी ठीक नहीं है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। आखिर गलत कहते-कहते ठीक करने की व्यवस्था कहां से शुरू होगी, कौन ठीक करेगा।

श्रीमती एन0एस0... द्वारा जारी ।

09/03/2017/1525/ एन0एस0/डी0सी0 /1

श्री जय राम ठाकुर ----- जारी

दूसरा मैं जो अध्यापकों की राजनीति का जिक्र कर रहा हूं तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी के 10 साथियों को मना कर सकता हूं लेकिन एक अध्यापक को नाराज़ करने में बड़ा खतरा होता है। मेरे क्षेत्र में एक अध्यापक पूरे चुनाव में झोला उठा करके मेरी सेवा में लगा रहा। जब परिणाम निकला और सरकार बनी मुझे यहां पर उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है और हमने उसको बदल दिया। मैंने कहा कि यह अध्यापक किस स्कूल में पढ़ाता है? यह झंडा ले करके चला रहता है, इसका यह काम

नहीं है, इसका काम पढ़ाना है। अध्यक्ष महोदय, मैंने उसको बदलने के बाद देखा कि उसने पांच आदमी मेरे क्षेत्र के ऐसे खड़े कर दिए जिनको मैं मना ही नहीं कर सकता। हमने उसको बदला था, वापिस तो नहीं किया लेकिन कहीं दूसरी जगह एड्जस्ट करना पड़ा। मैं इस सदन में इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। मैं आपको यह सच्चाई बता रहा हूं। अध्यापकों के पास जितना वक्त होता है उतना वक्त किसी आदमी के पास नहीं होता है। मैं इतना साफ भी नहीं बोल सकता हूं कि पढ़ाने नहीं जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यह आज की धारण बन चुकी है। इसलिए प्रश्न पैदा होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों भेजा जाए? हमने क्या बच्चों का भविष्य बर्वाद करना है? हमें इस बात को लोग भी बोलते हैं। आज गांव में छोटे-छोटे घरों में प्राईवेट स्कूल के फट्टे लग हुए हैं और स्कूल खोल दिये हैं और लोग बच्चों को वहां भेज रहे हैं। वहां पर कम तनख्वाह में अध्यापक लगे हैं लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों को वहां पर भेजा जा रहा है। यह बात ठीक है कि प्राईवेट स्कूल में जो स्टूडैंट्स पढ़ने जाते हैं और वहां पर जो उस स्कूल का मालिक और अध्यापक लगाये हैं उनके मन में एक बात तो है कि मेरा स्कूल ठीक चलना चाहिए और इसका रिजल्ट ठीक आना चाहिए। लेकिन सरकारी स्कूल की गारंटी कौन लेगा कि मेरे स्कूल का रिजल्ट ठीक आना चाहिए? क्या कोई अध्यापकों को पूछने वाला है? वे यहीं आ जायेंगे और मुख्य मंत्री जी के जिन्दाबाद के नारे लगा करके इनको बोलेंगे। मुख्य मंत्री महोदय को हिम्मत है कि अध्यापक को

09/03/2017/1525/ एन0एस0/डी0सी0 /2

मना कर सकें। इनको लगेगा कि ये तो मेरे आदमी हैं और इनके साथ कोई जायदती नहीं होनी चाहिए, चाहे वे गलत हैं या ठीक हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे दूर-दराज़ का क्षेत्र है और मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र में एक नहीं 20 अध्यापकों को देखा है जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वे हमारा सब कुछ बिगाड़ सकते हैं लेकिन हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वे हमारे खिलाफ जो करना हो वे कर सकते हैं। हम अगर उनके लिए

लिख कर देंगे कि इनको बदला जाए या हम अधिकारियों को बोलेंगे कि ये काम नहीं करते हैं तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें इस बात का दुःख है। वे स्कूल के कैंपस में जा करके शराब पीते हैं और ताश खेलते हैं। जब हमने उनके खिलाफ लिख करके दिया कि इनको यहां से बदला जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्हें सरकार का संरक्षण मिलता है चाहे सरकार इधर की हो या फिर उधर की हो। सबसे बड़ी समस्या तो यहां पर है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मेरी यह मान्यता है कि आज भले ही हमने साक्षर होने का लक्ष्य हासिल कर लिया हो लेकिन उसके बावजूद इस प्रतिस्पर्धा या कम्पीटीशन के दौर में जहां हमारा बच्चा खड़ा होना चाहिए वहां हम उसको खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। सुविधाओं की दृष्टि से भले ही हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन कठिन हो सकती है लेकिन उसके बावजूद यहां का माहौल/वातावरण इस प्रकार का है कि हम यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। देश को अपनी ऐजुकेशन का एक मॉडल सिस्टम दे सकते हैं। उस सिस्टम को देने की जिम्मेवारी हम लोगों के पास है और हम ही उस सिस्टम में सबसे बड़ी बाधा है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं और इस पर सरकार को सचमुच बैठ करके विचार करना चाहिए। सरकार ने इतने ज्यादा स्कूल खोल दिए हैं लेकिन फट्टे लगा करके वहां पर छात्र पढ़ाई

09/03/2017/1525/ एन0एस0/डी0सी0 /3

नहीं करेंगे और न ही उनका भविष्य बनेगा। आजकल फट्टा लगाने की हौड़ लगी है। इस हौड़ केा रोकना चाहिए। वहां जा करके धाम करना और अन्य चीज़ों को करना, आप कीजिए लेकिन शिक्षण संस्थानों को तो कम-से-कम बक्श दीजिए। मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ नीति बनाने की आवश्यकता है। जब तक इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। यह स्थिति

और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। यह बहुत चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : वक्ताओं की संख्या ज्यादा है। अब श्री विजय अग्निहोत्री जी अपनी बात रखेंगे। आप अपनी बात संक्षेप में बोलिये।

श्री विजय अग्निहोत्री श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

09.03.2017/1530/RKS/DC-1

श्री विजय अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी एक महत्वपूर्ण संकल्प सदन में लेकर आए हैं। वास्तव में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। पूर्व वक्ताओं ने भी इस संकल्प के ऊपर बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है। एक जमाना था जब प्राइवेट स्कूल शुरू हुए थे तो उस समय इन स्कूलों में वे बच्चे पढ़ने जाते थे, जो सरकारी स्कूलों में पास नहीं होते थे। श्री रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने भी एक स्कूल शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की परन्तु उनके पास सिर्फ 16 ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। ये 16 बच्चे वे थे जो सरकारी स्कूलों में पास नहीं हो रहे थे। आज स्थिति विपरीत हो गई है। आज सरकारी स्कूलों में वे बच्चे जाते हैं जिनके माता-पिता प्राइवेट स्कूलों में अफॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश सरकार के प्राइमरी स्कूलों का सर्वे करें तो इन स्कूलों में मैक्सिमम हमारे प्रवासी मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। यहां पर कहा गया कि शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ। बहुत से स्कूल खोले गए परन्तु शिक्षा में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। यह गुणवत्ता आती भी कैसे, जब वहां बच्चे ही नहीं हैं। वहां फीडिंग सैंटर ही नहीं है। आप जब एक पंचायत में 4-5 स्कूल खोल देंगे और वहां पर यदि फीडिंग सैंटर ही नहीं है तो वहां पर बच्चे कहां से आएंगे। सरकार ने एक और नीति बनाई है कि स्टूडैंट टीचर्ज रेशो 1:20 यानी 20 छात्रों के ऊपर एक अध्यापक होना चाहिए। हमारे स्कूलों में पांच

क्लासिज हैं, नौ बच्चे हैं और एक अध्यापक है। कई जगह 2 भी हैं। इस तरह कौन व्यक्ति अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएगा, जहां पर 5 क्लासिज़ हैं और एक टीचर है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि प्राइमरी स्कलों में कम-से-कम 1:1 क्लास टीचर रेसा होनी चाहिए। प्राइमरी स्कलों में जो मशरूम ग्रोइंग है, इनको क्लब करके, व्हीकल फैसिलिटी व पूरा स्टाफ देकर पढ़ाई करवाएं तो उनमें कम्पिटिशन आएगा। अन्यथा उन स्कूलों में बच्चे बहुत कम हैं। वहां पर कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं होती है। वहां पर कोई कल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। वहां पर कोई गेम नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि वहां किसी भी गेम के लिए बच्चे पर्याप्त नहीं हो पाते हैं। इस तरह से यदि एक, दो या तीन बच्चे स्कूल में होंगे और

09.03.2017/1530/RKS/DC-2

टीचर एक होगा तो उनका विकास कैसे हो पाएगा। प्राइमरी स्कूलों में एक और ड्रॉ बैक है कि इन स्कूलों में नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। आज डाक का काम भी है। ऊपर से हमें मिड-डे-मील का पूरा हिसाब-किताब लिखना पड़ता है। एक टीचर है और वह भी उसी चीज़ में लगा रहता है। जब मिड-डे-मील वाली वर्कर फ्री होती है तो उसे कहा जाता है कि आप क्लास लो। जब वह क्लास लेती है तो वह 'अ' अनार की 'द' दाड़ू पढ़ाती है। चुनावों में अध्यापकों की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। चाहे वह वोट बनाने की बात हो, चाहे कुछ और बात हो। बहुत जगह उनकी ड्यूटिज़ होती हैं। उनकी ड्यूटिज़ को भी घटाना चाहिए। दूसरा, हम प्राइमरी स्कूल में पहली क्लास में बच्चे का दाखिला लेते हैं। यदि हम प्री-प्राइमरी क्लासिज़ सरकारी स्कूलों में शुरू करेंगे तो हो सकता है वहां बच्चे आना शुरू हो जाऐं। आज बच्चा जब दो-अढाई साल का होता है तो वह एल.केजी., यू.केजी., नर्सरी और फिर पहली में पहुंचता है। वैसे तो यह बचपन के साथ खिलवाड़ है लेकिन जैसा कम्पिटिशन है, उसी के मुकाबले हमें अपने सरकारी स्कूलों को भी खड़ा करना होगा। अगर प्री-प्राइमरी क्लासिज हम शुरू करते हैं, तो भी हम थोड़ा बहुत कम्पिटिशन दे सकते हैं। हम अच्छे टीचर देंगे तो कम्पीटीशन कर सकते हैं। हम व्हीकल फैसिलिटी देंगे तब भी

हम उनके साथ कम्पिटिशन कर सकते हैं। सी.एंड वी. काडर को तो हम डाइंग कैडर बोल रहे हैं।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

09.03.2017/1535/SLS-AG-1

श्री विजय अग्निहोत्री ...जारी

कहीं पी.टी.आई नहीं है, शास्त्री नहीं है, एल.टी. नहीं है या ड्राईंग मास्टर नहीं है जबकि यह सब्जैक्ट्स हैं। जब किसी स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चलाने वाला ही नहीं होगा तो वहां बच्चे की ऑलराऊंड डवलपमैंट कैसे हो सकती है? फिर हमारी शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले द्वारा दी गई है जिससे हम एक व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढ़ने वालों की फौज खड़ी कर रहे हैं। हम बच्चे को खेल के मैदान तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। इससे न तो उसे हम पसीना बहाना सिखा पा रहे हैं न वर्क कल्चर और न मेहनत की प्रेरणा दे पा रहे हैं। इसलिए इन पोस्टों को भरने की बात भी हमें सोचनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों में स्ट्रैंथ हो, कंपीटीशन हो, एक-दूसरे के साथ इंटरैक्शन हो, तब बच्चे का विकास होगा। उसके लिए सोच बदलने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि 10वीं तक कोई इग्जाम नहीं होगा; ग्रेडिंग सिस्टम होगा और ऐसा करने से अध्यापक भी और बच्चे भी लापरवाह हो गए। इसलिए शिक्षा को ठीक करने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।

अध्यक्ष जी, मुझसे पूर्व कई सदस्यों ने कहा कि अध्यापक राजनीति करते हैं, उनके ऊपर चैक नहीं है और उनका रिजल्ट सही होना चाहिए। जो अध्यापक 2000 रुपये लेकर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, वह भी देखने की बात है। वहां क्या-क्या सुविधाएं हैं उनमें हमें उनके साथ कंपीट करना चाहिए। दूसरी बात है कि अच्छे घरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, फिर इन स्कूलों के रिजल्ट कैसे अच्छे आएंगे? पढ़ाई के अलावा जो अन्य

गतिविधियां हैं, हमें उन्हें भी सरकारी स्कूलों में करवाने पर ज्यादा-से-ज्यादा ज़ोर देना चाहिए। उन्हें महत्व देते हुए उन्हें ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके; वह जिंदगी में सफल हो सके और आगे जाकर खड़ा हो सके।

09.03.2017/1535/SLS-AG-1

हम स्कूलों को खोलने पर ज्यादा ज़ोर दे रहे हैं। हम किसी भी सिस्टम को, चाहे वह रूसा हो या कोई अन्य, बिना तैयारी के अडॉप्ट करने की बात करते हैं । हम उसमें च्वायस बेसड कंबीनेशन रखने की बात कहते हैं। लेकिन हम वहां से कहां पहुंच रहे हैं और शिक्षा को हम कहां तक आगे ले पाए हैं, यह देखने की बात है। स्वातंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक भी हमारे पास शिक्षा की कोई कारगर नीति नहीं है। हमने शिक्षा को HRD यानी ह्यूमन रिसार्स डवलपमैंट कर दिया जिसमें से ह्यूमन शब्द गायब हो गया और केवल रिसोर्स डवलपमैंट हो गया। रिसार्स डवलपमैंट से जो टीचर बनकर आएगा या अन्य व्यक्ति आएगा वह रिसोर्स की ही भांति टैक्निकली काम करेगा और एज़ ए मिशनरी काम नहीं कर पाएगा। शिक्षा का क्षेत्र एक मिशन है। किसी को शिक्षा देना या लेना एक मिशनरी काम है। इसको पूरे मिशन के रूप में जो व्यक्ति लेगा, उसका विकास भी उसी ढंग से हुआ होगा। ऐसा करने से ही हम शिक्षा को सुधार सकते है।

आज चाहे हम स्कूलों में बसें दे दें या दूसरी सुविधाएं दे दें, सब सुविधाओं के बावजूद भी बच्चों की संख्या कम हो रही है। यह क्यों हो रही है? हम बच्चों को स्कूलों में अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे है। अध्यापक अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे स्कूल में 5 क्लासिज हैं। अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा तो बाकी बच्चे रह जाएंगे। मैं जो थोड़ा-बहुत पढ़ा रहा हूं, वही पढ़ाता रहूं। केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि जितने भी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं, वह जानते हैं कि वह ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। इसलिए हम उन स्कूलों को उस स्तर तक कैसे उठा सकते हैं ताकि हम सोच सकें कि हम अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में भेज कर उसे वहां शिक्षा ग्रहण करवा सकें। अगर हम सब लोग भी ऐसा सोचेंगे तो अध्यापक भी अपने बच्चे वहां पढ़ाएंगे और दूसरे लोग भी पढ़ाएंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री विजय अग्निहोत्री : सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

जहां तक इस संकल्प की बात है, मैंने कहा कि शिक्षा एक बहुत व्यापक विषय है। शिक्षा क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका ढंग क्या है,

जारी ...श्री गर्ग जी

09/03/2017/1540/RG/AG/1
श्री विजय अग्निहोत्री----क्रमागत

उसको इंपार्ट करने वाले लोग कौन हैं, उनकी डवलपमेंट कैसी है, उनका नजरिया कैसा है इत्यादि-इत्यादि। ये सारी चीजें हैं और यह बहुत लंबा विषय है। इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि शिक्षा को सुधारना है, तो उसमें राजनीति नहीं बल्कि एक मिशन के साथ चलना पड़ेगा, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, उसमें वोट पॉलिटिक्स को बंद करना पड़ेगा, राजनीति के हिसाब से संस्थान खोलने बंद करने पड़ेंगे और उसमें जो हमारी कमी है, उनको दूर करना पड़ेगा। हम एक बार यदि सोच लें कि हमने वोट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इससे ऊपर उठकर बात करनी है, तो करेंगे। इसके लिए हमें जहां स्कूल बंद करने पड़ें, क्लब करने पड़ें या और सुविधाएं बच्चों को देनी पड़ें, तो उन विषयों के बारे में सोचते हुए और यदि हम पब्लिक स्कूल के साथ कम्पीट करना चाहते हैं, तो थोड़ी सोच बदलनी चाहिए और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उन सारे विषयों को इसमें लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने रवीन्द्रनाथ टैगोर जी से चर्चा शुरू की थी, उनके पास 16 बच्चे आए थे और वे बच्चे आए थे जो कहीं पर भी पास नहीं हो रहे थे। उन्होंने बगीचे में ही स्कूल शुरू किया था, उनके पास भवन भी नहीं था। जब एक बुजुर्ग देखने आए कि मेरा पोता उनके स्कूल में पढ़ता है, मैं उसको देखकर आऊं, तो उन्होंने देखा कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी आंखें बंद करके एक कुर्सी पर बैठे हैं, पता नहीं सोए हुए हैं। चार बच्चे उनके सामने बैठे हैं और 12 बच्चे कोई लीची के पेड़ पर और कोई आम के पेड़ पर चढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप तो सो रहे हैं। इस पर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि मैं सो नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। उन्होंने पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं चार

बच्चे तो यहां बैठे हैं, लेकिन बाकी तो पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं चार बच्चों के बारे में सोच रहा हूं जिनको को यह प्रकृति की दी हुई चीजें भी आकर्षित नहीं कर पा रही हैं उनका मैं क्या करुंगा? बाकी बच्चों को तो मैं ठीक कर लूंगा। यानि सोच बदलने के साथ उन्होंने शिक्षा को चलाया और शान्ति निकेतन की स्थापना की। आज पब्लिक स्कूल यहां तक पहुंच गए हैं कि जो भी अच्छा बच्चा होता है वह उस तरफ जाता है और सरकारी स्कूल की तरफ नहीं आता। तो इस सारी चीज को ठीक करने के लिए माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

09/03/2017/1540/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने जो यह संकल्प चर्चा हेतु माननीय सदन में लाया है वह बहुत अच्छा संकल्प है और इससे इस सदन का ध्यान जो हमारी शिक्षा प्रणाली है विशेषकर जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है, उसकी ओर इन्होंने दिलाने की कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल प्रदेश बना था, तो मुश्किल से 60-70 स्कूल पूरे हिमाचल प्रदेश में थे। अधिकांश बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। जिनके माता-पिता सरकारी मुलाजिम थे वे शायद शिमला, डलहौजी या दूसरी जगहों पर निकटतम स्थानों पर अपने बच्चों को भेजते थे। मगर आज वह स्थिति नहीं है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देश के राज्यों में हमारा प्रदेश सबसे अग्रणी है। आज हजारों की तादाद में स्कूल हैं प्राईमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल और 117 डिग्री कॉलेज आज हिमाचल प्रदेश में हैं। यह भी ठीक है कि इनके साथ-साथ कुछ पब्लिक स्कूल कहलाने वाले स्कूल भी जो पब्लिक नहीं हैं, प्राईवेट स्कूल हैं, मगर उनको पब्लिक स्कूल कहा जाता है। वे भी काम कर रहे हैं। इसमें भी कई बहुत प्राचीन स्कूल हैं। जैसे बिशप कॉटन स्कूल, शिमला, सनावर स्कूल सनावर में है, डलहौजी में एक बहुत पुराना मिशनरी स्कूल है, सेंट बीड्ज स्कूल और कॉलेज दोनों हैं और यह लड़कियों का कॉलेज है जो आज से सौ साल पहले खुला था। तो इस प्रकार के गिने-चुने स्कूल थे।

एम.एस. द्वारा जारी

09/03/2017/1545/MS/AS/1

मुख्य मंत्री जारी----

शिक्षा का पहला प्रश्न यह था कि शिक्षा का प्रसार किया जाए ताकि लोगों को पढ़ने का मौका मिले। मैं समझता हूं कि जितना प्रसार शिक्षा का होना चाहिए था, वह हो चुका है। हो सकता है कि कहीं-न-कहीं किसी की खास कारण से स्कूल की मांग हो, मगर मैं समझता हूं अब नये स्कूल खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी लोग नये स्कूल खोलने की मांग करते हैं। प्राइमरी स्कूल नहीं बल्कि मिडल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की मांग करते हैं। पहले जगह-जगह पर स्कूल खोले गए बल्कि नजदीक-से-नजदीक खोले गए और वह इसलिए क्योंकि उस वक्त यातायात की कमी थी। सड़कें नहीं थी, सड़कों का विस्तार नहीं था और पुल भी नहीं थे। एक गांव नदी के इस ओर था और दूसरा गांव नदी के उस ओर था। पुल न होने की वजह से बच्चे उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। अब पुल बन गया है तो एक स्कूल से भी काम चल सकता है। इसी तरह से कई कारण थे। इसके अलावा, ग्लेशियर की वजह से भी कई बार एक ही गांव दो तरफ को बंट जाता था और ग्लेशियर की वजह से बच्चे एक ही गांव के होने के बावजूद एक-दूसरे से सम्पर्क नहीं कर सकते थे और एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे। आज वहां पर सड़कें बन गई हैं। जैसे-जैसे सड़कों का विस्तार हुआ है वैसे-वैसे अब अधिक स्कूलों की आवश्यकता कम होती जा रही है। इसके बारे में सरकार को मालूम है और जितने स्कूल खुले हैं उनको कम रेशनेलाइज करेंगे। खासकर प्राथमिक स्कूल जो हमने इस नजरिये से खोले कि चाहे एक या दो ही बच्चे हैं लेकिन उनका घर यदि स्कूल से बहुत दूर है तो वहां स्कूल खोल दिया जाए। स्कूल और घर के बीच में नदी है, नाला है, पहाड़ है या ग्लेशियर है इस लिहाज से ज्यादा स्कूल खोले गए। अब जबकि उन जगहों पर पुल बन चुके हैं, मोटरेबल रोड्ज बन चुके हैं इसलिए अब उनको रेशनेलाइजेशन करने का समय आ गया है। उनकी हम रेशनेलाइजेशन करेंगे जिससे बच्चों की पढ़ाई में भी हर्ज़ न हो और ऐसे

स्कूल जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको बन्द करने का सरकार सोच रही है। क्योंकि अब हम पहली स्टेज से दूसरी या तीसरी स्टेज पर पहुंच गए हैं।

09/03/2017/1545/MS/AS/2

जहां तक अध्यापकों का सवाल है। हिमाचल प्रदेश के जो अध्यापक हैं चाहे प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल या कॉलेजिज के हैं they are one of the highest paid employees today in India जहां तक वेतन का सवाल है और ट्रेंड भी हैं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सबकुछ होते हुए भी जहां तक पब्लिक स्कूल की आलोचना करते हैं उसमें कोई ज्यादा वजन नहीं है। प्राइमरी स्कूलों की बात मैं मानता हूं कि उनकी रि-ग्रुपिंग होनी चाहिए और जो टीचर्ज हैं, अगर दो-तीन स्कूल इकट्ठे कर दिए जाएं तो सारे टीचर्ज एक ही स्कूल में आकर ज्यादा कारगर काम कर सकते हैं। इसको हम मानते हैं। मैंने शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया है कि रि-ग्रुपिंग के बारे में वे सोचे। जहां नजदीक स्कूल हैं उनको इकट्ठे कर दें क्योंकि अब वे हालात नहीं हैं जैसे पहले थे। पहले क्योंकि आबादी बिखरी हुई थी और एक-दूसरे से क्षेत्र जुड़े हुए नहीं थे। बीच में नदी-नाले थे इसलिए आना-जाना मुश्किल था। इस वास्ते हर गांव और हर क्षेत्र के अंदर स्कूल खोलना पड़ा।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

09.03.2017/1550/जेके/एएस/1

मुख्य मंत्रीः-----जारी------

जहां तक यह कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट स्कूल में जो टीचर्ज़ हैं they are one of the best paid employees of the Government. They are drawing high salaries. मैं कई स्कूलों को जानता हूं। हमीरपुर में जब मैं पहले दौरे पर गया, मैंने देखा कि वहां पर जगह-जगह पर

स्कूल है। मिडल स्कूल, हाई स्कूल जितना वहां इलाके का क्षेत्रफल है, वहां कम्पैक्ट पॉपुलेशन है। जितने स्कूल वहां पर हैं उतने किसी और जिले में नहीं होंगे। वहां पर विद्यार्थियों की तादाद भी बहुत है। मैंने कई प्राईमरी स्कूल देखे, मिडल स्कूल देखे जहां पर ढाई से तीन सौ तक बच्चे थे। हाई स्कूलों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, बाद में यह व्यवस्था आई। पहले हाई स्कूल ही होते थे। हाई स्कूल में 300-400 बच्चे होते थे। जब मैं अब दौरा करके देखता हूं उन स्कूलों के अन्दर जहां पहले चार सौ, तीन सौ या डेढ़ सौ बच्चे थे, उसके अनुपात से वहां पर टीचर्ज की भर्ती हुई। उस समय जो स्टूडैंट्स होते थे उनकी तादाद के मुताबिक टीचर्ज की भर्ती होती थी। आज उसी स्कूल के अन्दर 15, 20 या 30 बच्चे हैं और स्टाफ वही है, जो स्टाफ पहले मंजूर हुआ था। मैंने तो सिर्फ हमीरपुर का नाम लिया क्योंकि वहां मैं खुद गया था मगर ऐसी और भी जगह हैं जहां पर ऐसा है। वहां पहले ज्यादा तादाद में बच्चे थे, अब क्योंकि ज्यादा स्कूल सरकार के खुले हैं उसकी वजह से कुछ स्कूल आपके घर के नजदीक चले गए हैं । उसके बाद तथाकथित पब्लिक स्कूल so called public schools but they are not public schools they are private schools खुले हैं। यह स्टेटस सिम्बल बन गया है कि मेरा बच्चा कहां पढ़ता है? पब्लिक स्कूल में पढ़ता है तो समझो कि परिवार का स्टेटस ऊपर हो गया। हालांकि सरकारी स्कूलों में the teachers are very well paid उनके मुकाबले में वैल ट्रेंड। उनके मुकाबले में जो प्राईवेट स्कूल है, उनमें हायर क्लासिज को छोड़ कर, जो लोअर क्लासिज़ हैं, नर्सरी है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है और तीसरी क्लास है, उनमें प्राईवेट स्कूलों में अधिकतर प्लस टू के बच्चे पढ़ा रहे हैं। और वे कोई ट्रेंड ग्रेजुएट नहीं है। बहुत कम स्कूल होंगे जिसके अन्दर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्ज होंगे। न वे नैट क्वालिफाईड हैं, न सैट

09.03.2017/1550/जेके/एएस/2

क्वालिफाईड हैं। बच्चों को अच्छी व मंहगी वर्दी पहनाएंगे, टाई लगा देंगे, फ्रॉक पहना देंगे, Good Morning, Madam; Good Evening, Madam, ऐसी कुछ अंग्रेजी भाषा सिखा देंगे। जरूरी नहीं है कि उनकी शिक्षा सरकारी स्कूलों से बेहतर हो। मगर वे टिप-टॉप रहते हैं। इस तरह से यह स्टेटस सिम्बल हो गया है। अगर किसी का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है तो वह गर्व से कहता है कि मेरा बच्चा प्राईवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वह अपना सोशल स्टेटस बना रहा है। चाहे वहां पर टीचर्ज सरकारी स्कूल के टीचर्ज से कम क्वालिफाईड हो। इस तरह से कैसे बात बन सकती है। सभी इसी किस्म के नहीं है क्योंकि प्राईवेट स्कूलों में भी जो हमारे ग्रामीण परिवेश में खुले हैं, कुछ बहुत अच्छे स्कूल हैं। some schools are very good मगर वे 100 स्कूलों में एक-दो स्कूल होंगे। हर गली में, हर मुहल्ले में इस किस्म के स्कूल खुले हैं they are nothing but business ventures.

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

09.03.2017/1555/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

जो पैसा कमाने के लिए ही स्कूल खोले गए हैं, वे किसी ऊंचे आदर्श को लेकर नहीं खोले गए हैं तो मैं कहना चाहता हूं to condemn Government schools wholesale without having a balanced view is wrong. गवर्नमैंट के सामने पहले यह प्रश्न था कि हम कैसे दूर-दराज के इलाकों तक भी पहुंचे। We expanded the education system so that we reach even the furthest nook and corner of the State. Now, second stage has come of consolidation and we are going to pass through the period of consolidation/regrouping of school. जैसे-जैसे कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, आने-जाने के साधन बढ़ रहे हैं, लोग अब साइकिल, बस, मोटर-साइकिल पर आ सकते हैं, अपनी गाड़ियों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आ सकते हैं तो उसकी वजह से इन स्कूलों को रिग्रुप

करने की आवश्यकता है। वह किया जायेगा। मगर अभी भी चंद मैदानी इलाकों को छोड़कर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां फासले बहुत दूर-दूर हैं। आबादी बिखरी हुई है। पहाड़ी क्षेत्र है। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां मैदानी इलाके में और कुछ जहां पर टैरेन ठीक है वहां तो सड़कें बनी हैं मगर जहां पर पत्थर/चट्टानों को काट कर सड़कें बनानी होती हैं हालांकि वहां भी बन रही हैं मगर वे उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहीं क्योंकि अभी उतने संसाधन नहीं हैं। बहुत जल्दी एक वक्त आयेगा जब हम सारे गांव-गांव में और हर पंचायत के अंदर मोटरेबल रोड पहुंचायेंगे। हर गांव के अंदर मोटरेबल रोड पहुंचेगी। बसें, गाड़ियां चलेंगी, उस वक्त कोई भी विद्यार्थी अपने घर से 8-10 किलोमीटर तक रोड का सफ़र गाड़ी के द्वारा स्कूल जाने के लिए और वापिस आने के लिए कर सकता है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि को भी ध्यान में रखना है। Expansion was required to spread education in every nook and corner. By that time the road network was very negligible. मगर जैसे-जैसे हमारा रोड नेटवर्क बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे रिग्रुपिंग के लिए एक रास्ता खुल रहा है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। जहां तक टीचर्ज़ की बात है। हमने इसी कार्यकाल में हज़ारों नये टीचर्ज़ भर्ती किये हैं। हर साल दो, ढाई या तीन हजार टीचर्ज़ भर्ती होते हैं। मगर एक बात है कि जितने भर्ती करते हैं लगभग इतने ही टीचर या उससे थोड़े कम

09.03.2017/1555/SS-DC/2

टीचर, लगभग 50 परसैंट या 40 परसैंट रिटायर भी हो जाते हैं। यह एक निरंतर सिलसिला है। प्राइवेट स्कूल में तो लोग चलते रहते हैं। रिटायरमैंट का प्रश्न नहीं है। कई गवर्नमैंट के टीचर रिटायरमैंट के बाद पब्लिक स्कूलों में जाकर नौकरी हासिल कर रहे हैं। परन्तु गवर्नमैंट में एक रिटायरमैंट की उम्र निर्धारित होती है उस वक्त वे रिटायर हो जाते हैं। अभी मैंने शिक्षा विभाग को कहा है कि वे इतने टीचर भर्ती करें कि जो लोग रिटायर भी होंगे उनको भी ध्यान में रखा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि आज केवल इतने ही टीचर्ज़ की ज़रूरत है बल्कि यह भी ध्यान रखा जाए कि कितने टीचर रिटायर होने वाले हैं। उसको भी ध्यान में रखकर भर्ती की जाए ताकि टीचर्ज़ की कमी महसूस न हो। इस वर्ष में

भी हज़ारों नये टीचर्ज़ रिक्रूट किये जायेंगे। कुछ पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा हैं। कुछ स्टाफ सिलैक्शन बोर्ड के द्वारा हैं और वन टाइम कंसैशन देकर हम बैच-वाइज टीचर का भी जगह-जगह पर हर जिले के अंदर इम्तिहान लेकर वहीं उसका रिजल्ट निकालेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2017/1600/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री जारी-----

इस बात का ध्यान रखा जाए कि आने वाले दो-तीन साल के अंदर भी जो अध्यापकों की कमी है, वह पूरी की जाए । इसके अतिरिक्त जो एनुअल भर्ती है वह तो होती ही रहेगी। मगर एक दफ़ा हमको बड़े पैमाने पर भर्ती करनी पड़ेगी ताकि टीचरों की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सरकारी स्कूलों में ज्यादा टिप-टॉप नहीं होता मगर ऐजुकेशन बैटर होती है। आज शिक्षा का स्तर उत्तम है। So we have much better qualified staff. प्राईवेट स्कूलों में क्या है? कितने स्कूलों में बी.एङ हैं? कितने प्राईवेट स्कूलों में हाइली क्वालिफाइड टीचर्ज़ हैं? कोई बारहवीं तक पढ़ा है और कोई सिर्फ बी.ए. है। इस तरह के शिक्षक वहां होते हैं। हां, कुछ पब्लिक स्कूल हैं जो कि स्टैंडर्ड मेंटेंन करते हैं लेकिन वे मुट्ठी भर स्कूल है। हर गली में, हर मुहल्ले में जो स्कूल खुले हैं they are nothing more than business concerns. उनका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना नहीं है बल्कि शिक्षा के द्वारा पैसा कमाना है । उनके द्वारा शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। उनके ऊपर भी नज़र रखने की जरूरत है। बेशक निजी स्कूल खोलें मगर उनमें ट्रेंड शिक्षक रखें । उच्च स्तर की शिक्षा बच्चों को दें। टिप-टॉप होने से आदमी विद्वान नहीं बनता, विद्वता अच्छे गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। स्टैंडर्ड टीचिंग के द्वारा प्राप्त होती है। बहुत सी बातें जो मैं कहना चाहता था, वह आशा कुमारी जी ने, जगत सिंह जी और दूसरे माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उन्होंने कह दी। ऐसा लगता है that everything is wrong with the

education system in Government sector, this is wrong. यह गलत नोशन है, गलत किस्म की धारणा फैलाई जा रही है। आज हमारे गवर्नमैंट स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे युनिवर्सिटीज़ के अंदर टॉपर्ज़ हैं। बड़े-बड़े इंस्टिट्यूशन्ज़ में पढ़ रहे हैं। एम.बी.बी.एस. हैं। हिमाचल में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों में भी काम कर रहे हैं। They are qualifying Public Service Commission's examinations of the State and of other states also. इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि don't decry the education system. There are some short comings which we have to remove. मैंने आपको बताया है कि क्यों बड़ी तादाद में स्कूल खोले गए। क्योंकि

09.03.2017/1600/केएस/डीसी/2

पहले यातायात की सुविधा नहीं थी। अब यातायात में सुधार हुआ है तो उसी अनुपात में स्कूलों का युक्तिकरण आवश्यक हो गया है, जो कि किया जाएगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करुंगा कि चर्चा हो गई है और आपका जो कन्सर्न है, I share that concern. हमें कमियों को दूर करना है। अतः आप अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

अध्यक्षः क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेंगें?

09.03.2017/1600/केएस/डीसी/3

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, बड़े विस्तार से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हमारी शंकाएं थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया है। इस प्रस्ताव को लाने में मेरा बेसिक कन्सर्न प्राईमरी ऐजुकेशन स्ट्रक्चर का था। I think that is a wonderful decision taken by yourself, परन्तु यह भी समयबद्ध होना चाहिए। अगर आप इसको समयबद्ध करें तो शिक्षा में जल्दी सुधार होगा। मैंने दो-तीन और बातें करनी थी, क्लैरिफिकेशन लेनी है। एक तो मुझे नर्सरी की बात करनी थी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.3.2017/1605/av/AG/1

श्री इन्द्र सिंह------- जारी

अगर हम सरकारी स्कूलों में नर्सरी क्लासिज शुरू करें तो बड़ा अच्छा होगा। जो बच्चा एक बार प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास में चला जाता है वह हटकर वापिस नहीं आता। यह एक महत्वपूर्ण इशु है और आप इस पर विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरे, बहुत सारे स्कूल नॉर्म्ज के बिना खुले हुए हैं। जिस तरह से सरकार ने नॉर्म्ज में दो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के बीच कम-से-कम तीन किलोमीटर की दूरी निश्चित की है अब एक ही छोटे से टाऊन में 5-5, 6-6 स्कूल खूल गये हैं जिससे मशरूमिंग सी हो गई है, इनके लिए भी नॉर्म्ज होने चाहिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल नॉर्म्ज के बिना खुले हैं मेरा ख्याल उन पर नकेल कसने की जरुरत है। मैं श्रीमती आशा कुमारी जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने यहां पर अध्यापकों के राजनीतिकरण की बात उठाई। सर, जो ऐनुअल फंक्शन हाते हैं that is nothing but political gambling. मेरा आपसे यह सुझाव भी रहेगा कि ऐनुअल फंक्शन में कोई नेता, मंत्री या दूसरा पोलिटिकल लीडर न जाएं। Let them arrange under their own arrangements. आप इस पर गौर करें। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि अगर आप इन बातों पर क्लैरिफिकेशन देगे तो मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कर्नल इन्द्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छी भावना से अपना सुझाव रखा है He is concerned about the functioning of not all but some of the primary schools. I agree they call for improvement. और इन्होंने कहा कि नर्सरी क्लासिज भी होनी चाहिए तो I will give sincere thought to this matter.

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार है?

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं उससे संतुष्ट हूं और अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस लिया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

संकल्प वापिस हुआ।

9.3.2017/1605/av/AG/2

अब श्री महेश्वर सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से नियम-101 के अंतर्गत मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों से प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिलवाया जाए और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु नीति निर्धारित की जाए।"

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि ''यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों से प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिलवाया जाए और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु नीति निर्धारित की जाए।"

इस पर बोलने के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि सभी सदस्य संक्षेप में बोलेंगे क्योंकि इसके बाद एक और प्रस्ताव है तथा बोलने वालों की संख्या चार है। अब मैं श्री महेश्वर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना विषय उठाएं।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा वक्त था जब केवलमात्र दो या तीन नेशनल हाई वेज होते थे। बीच में कुछ वृद्धि हुई और जब गडकरी जी जो हमारे भूतल एवं परिवहन केंद्रीय मंत्री हैं, वे सुंदर नगर आए तो केंद्र सरकार की कृपा से आज यह संख्या 61 हो गई।

श्री वर्मा द्वारा जारी

09/03/2017/1610/टी0सी0वी0/ए0जी0/1
श्री महेश्वर सिंह--- जारी

ये संख्या न केवल 61 हुई, बल्कि 7,000 से ऊपर धनराशि का भी प्रावधान किया। -(व्यवधान)- किश्तों में ही आएगा, एकदम तो नहीं आयेगा, लेकिन प्रावधान तो हुआ है।

मुख्य मंत्रीः जिन सड़कों, नेशनल हाईवेज़ के लिए भारत सरकार ने कोशिश की है, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी उनकी डी0पी0आरज0 बननी हैं और डी0पी0आरज0 के लिए जो पैसा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत होता है, वह अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बारे में अब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनके जो एक्सपर्टस हैं, उसको एक्सैस करेंगे, वे भी उनके द्वारा ही स्वीकृत होते हैं। इसमें इसलिए देर हुई है कि घोषणाओं और उनको अमलीजामा पहनाने में बीच का समय बर्बाद हो गया।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, जो धनराशि आयेगी, डिपार्टमैंटल चार्ज़िज के रूप में हिमाचल लोक निर्माण विभाग को भी उसमें लगभग 9 प्रतिशत् पैसा मिलता रहेगा। ऐसा इसमें प्रावधान है। ये मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो सरकार में बैठे अधिकारी जानेंगे। एक समय था, जब हम फोरलेन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधान मंत्री थे, उनकी एक सोच जो कि 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के रूप में आई है, उसकी बदौलत इन पहाड़ों /कंद्रारों में जगह-जगह सड़कों का निर्माण हो रहा है और कई जगह तक सड़कों का निर्माण पूर्ण भी

हो चुका है। ये उनकी ही उस व़क्त सोच थी, जब माननीय धनीराम शांडिल, श्री सुरेश भारद्वाज और हम सब लोग लोक सभा में हुआ करते थे, उस समय इस फोरलेन की कल्पना की बात की गई थी, तो हम सोचते थे कि कभी हिमाचल में ऐसा अवसर आएगा। आज निश्चित रूप से वह समय आया है, अब फोरलेन का निर्माण भी आरम्भ हुआ है और एक-दो का तो काम भी शुरू हो गया है। महोदय, जो भू-संरक्षण अधिनियम है, उसमें एक परिवर्तन लाकर, 2013 में संशोधन लाये गये और एक नया एक्ट, 2013 में आया, जिसको सर्वानुमति से वर्तमान प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सबसे राय करके, बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन अंततोगत्वा उसको पारित करने में सफल हुए। मुझे याद है, जब यह एक्ट

09/03/2017/1610/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

विचाराधीन था, तो कांग्रेस की ओर से बड़े जोरशोर से मांग आई थी कि किसानों को जो मुआवज़ा मिलना चाहिए, वह 10 गुणा मिलना चाहिए और राष्ट्रपति से उस समय ये बात उठाई गई थी। विभिन्न प्रांतों के मुख्य मंत्री भी उस प्रतिनिधि मण्डल में थे। मुझे ये जानकारी तो नहीं है कि मान्यवर हमारे मुख्य मंत्री (वीरभद्र सिंह) भी थे या नहीं थे। परन्तु ये बात निश्चित है, ये मांग उठाई गई थी कि किसानों को मुआवज़ा 10 गुणा मिलना चाहिए, लेकिन खेद का विषय है कि आज 10 गुणा तो छोड़ दीजिए, फैक्टर-॥ तक भी यहां पर लागू नहीं हो पाया है। महोदय, इस संदर्भ में लोगों को आज एक संघर्ष समिति का गठन करना पड़ा है, क्योंकि आज जिस प्रकार से उस एक्ट में प्रावधान हैं, उसके अंतर्गत उनको राहत कार्य में कोई भी मद्द नहीं मिल रही है और न उनको कोई रिलीफ़ मिल रहा है। इसलिए लोगों ने एक संघर्ष समिति का गठन किया है, जो ब्रिगेडियर कुशाल जी के नेतृत्व में किया गया है और वे कई बार सरकार से भी मिले और सदन के भीतर और बाहर भी ये बातें बार-बार उठती रही हैं। इसी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह निजी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। महोदय मैंने 2 सितम्बर, 2016 को व्यक्तिगत रूप में जाकर केन्द्र मंत्री जी से भेंट भी की थी और उनका ध्यान कुछ बिंदुओं की ओर आकर्षित किया था।

श्रीमती एन0एस0 .... द्वारा जारी।

09/03/2017/1615/ एन0एस0/ए0एस0 /1

श्री महेश्वर सिंह ----- जारी

मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने उस पत्र को हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को भेजा और इन्होंने उसको आगे भेजा। यह पत्र नेशनल हाइवे ऑथोरिटी को गया और यहां के अधिकारियों को भी उसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। मैंने 30-10-2016 को एक विस्तृत पत्र कर्नल योगेश, प्रोजैक्ट डायरैक्टर (एन0एच0ए0आई0) को भी दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चार-पांच बिन्दुओं को इस मान्य सदन के विचारार्थ रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फैक्टर-1 की नोटिफिकेशन 01 अप्रैल, 2015 को कर दी लेकिन मैं फैक्टर-2 की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह सत्यता है कि कुछ लोगों ने फैक्टर-2 को लागू करने के लिए मुम्बई हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मुम्बई हाईकोर्ट ने एक डायरैक्शन दी कि सभी प्रान्तीय सरकारें इस फैक्टर-2 को लागू करें। प्रान्तीय सरकार का अर्थ हम लोग तो प्रान्त लेते हैं। कुछ लोग इसमें डिसप्यूट करते हैं कि प्रोवीन्शियल गवर्नमैंट का मतलब भारत सरकार है। इसके बाद केंद्र का जो ग्रामीण विकास मन्त्रालय है उसने 18 दिसम्बर, 2015 को सभी प्रान्तों को इस प्रकार की डायरैक्शन दी और उससे अवगत करवाया कि यह नोटिफिकेशन हो गई है और बाकी प्रान्त भी इसका अनुसरण करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें कि हाईकोर्ट का क्या निर्णय है और केन्द्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से कौन-सी इस प्रकार की डायरैक्शन आई थी कि आप (सरकार) इसका अनुसरण करें। जहां तक फैक्टर-2 की बात है, अनेकों बार इसके लिए संघर्ष समिति ने सरकार के पास गुहार भी लगाई है और सरकार बार-बार इस बात को मानती भी रही है लेकिन आज तक भी यह फैक्टर-2 लागू नहीं हो सका है। मैं सभी माननीय सदस्यों को स्मरण करवाना चाहूंगा कि गत मानसून सत्र के आखिरी दिन 27-

08-2016 को एक तारांकित प्रश्न संख्या : 3465 माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी द्वारा पूछा गया था और उस पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोट भी करना चाहूंगा क्योंकि यह हमारे सदन के रिकार्ड में भी है। यह प्रो0 प्रेम

09/03/2017/1615/ एन0एस0/ए0एस0 /2

कुमार धूमल जी ने भी पूछा था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि भारत सरकार जो लैंड एक्वायर कर रही है और पैसा देती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप भारत सरकार को लिखेंगे कि जो भूमि आपके लिए हम एक्वायर करेंगे उसमें फैक्टर-2 लागू किया जाए, वह पैसा हमें दिया जाए तथा उस पैसे को हम किसानों को पासओन करेंगे। मुख्य मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है, "अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पहले कह दी है और माननीय प्रो0 धूमल जी भी वही दोहरा रहे हैं। देखिए, जमीन भारत सरकार ने खरीदनी है और पैसा भारत सरकार से आएगा। यहां पर जो भारत सरकार के लिए ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उसमें मैं अगर उदारचित होकर फैक्टर-2 लागू करूंगा "I have no objection, I will well come it." यह सदन के रिकार्ड पर कहा गया है। फिर मैं नहीं समझता कि इसको रिकोमैंड करने में क्या आपत्ति है? क्योंकि पैसा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की जेब से नहीं जाएगा, यह तो केंद्र सरकार ने देना है फिर विलम्ब किस बात का। मुख्य मंत्री जी के ध्यान में जब भी इस बात को लाया जाता है,

श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

09.03.2017/1620/RKS/AS-1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

चाहे कोई डेप्यूटेशन आता है, चाहे कोई रेप्रीज़ेन्टेशन होती है, हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मैं इस पर अवश्य विचार करुंगा। अभी दो दिन पूर्व माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने एक कॉलिंग अटैंशन का प्रस्ताव यहां रखा था। उन्होंने भी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछा था। उसमें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। प्रश्न सिर्फ एक रह जाता है कि कब विचार करोगे? जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद विचार करोगे या समय रहते विचार किया जाएगा। जब लोगों को मुआवज़ा मिल जाएगा, सड़क का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद कब विचार होगा? अभी समय है, इस पर विचार किया जाए। जिन बिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं, जो भारत सरकार के करने की बात थी, वह हो चुकी है। जो एक्ट में प्रावधान है यदि उनका अनुसरण करेंगे तो ये जितने भी बिंदू हैं वे जनहित में हैं। जैसे डिमार्केशन का सवाल है। अधिग्रहण के बाद डिमार्केशन बड़ी आवश्यक है। केवल यह कह देना की अमुक किसान की 4 बीघा ज़मीन लगती है, यह काफी नहीं है। उसको बताना होगा, उसकी तसल्ली करवानी होगी, कहां से जाएगा, किधर से रास्ता है, कौन-कौन सा एरिया लगेगा, क्या मकान भी जा रहा है, फलदार वृक्ष कितने हैं। जब तक डिमार्केशन नहीं करते तब तक किसान कैसे उस पैसे को लेगा? यह काम किसी और का नहीं है। यह काम हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों का है। यह काम तो आपने जो डेप्यूटेशन पर लैंड एक्विज़िशन ऑफिसर्ज भेजे हैं, उनका है। यह काम राजस्व विभाग का है। कहीं चुना नहीं लग रहा है। झगड़े पड़े हैं और दूसरी तरफ ठेकेदार आ गए हैं। नेशनल हाईवे फोरलेन का काम लगा हुआ है। बिना डिमार्केशन के कहीं-कहीं जबरदस्ती मकान भी उखाड़े जा रहे हैं। बगीचे भी कट रहे हैं। किसानों के ऊपर केस भी बन रहे हैं और वे संघर्ष करके उनको खदेड़ भी रहे हैं। दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। इसके उपरान्त दिनांक 06.03.2017 को माननीय मुख्य मंत्री जी को डेप्यूटेशन फिर मंडी सर्किट हाउस में मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री अनिल शर्मा जी को भी कहना चाहूंगा कि ये भी उस समय वहां उपस्थित थे । वहां पर माननीय मुख्य मंत्री

जी ने फिर आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इस बात पर विचार होगा। दूसरा, अधिगृहीत भूमि पर मुआवज़ा देने का मापदण्ड। जो वर्ष 2013 का एक्ट है उसके सैक्शन- 26 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो प्रिवेलिंग मार्किट रेट होगा उसके अनुसार ही मुआवज़े का रेट तय होगा। लेकिन यह खेद का विषय है कि मुआवज़ा मार्किट रेट के आधार पर नहीं मिलता है। इसलिए सारे किसान संघर्षरत हैं। इस विषय को लेकर 6 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंडी में आश्वासन दिया कि यह बात सही है। वहां लोक निर्माण विभाग व जिला के अधिकारी भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जो रोड़ साइट का मार्किट रेट है उसके मुताबिक मिलना चाहिए। मैं इसके लिए निर्देश देता हूं और क्लैक्टर इसको लिखकर भेज दें। लेकिन परिणाम शून्य रहा। जो लेटैस्ट ट्रांजैक्शन्ज़ हुई हैं उनके मुताबिक रेट कौन बताएगा। जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश हैं सड़क के साथ मार्किट रेट क्या है? यह कौन बताएगा? असैस कौन करवाएगा? उसका जोड़ कौन करेगा? यह हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी ही बताएंगे। इसको बताने के लिए कोई केन्द्र से नहीं आएगा। फिर इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? जहां तक अर्जित भूमि पर फलदार पौधों और मकान की असैसमैंट है, इसमें जो मकान की असैसमैंट है वह इन्हीं नियमों के अंतर्गत हो रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको भी यह बात जानकर ताज्जुब होगा कि एक सेब के पौधे की जो असैसमैंट हुई है,

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

09.03.2017/1625/SLS-DC-1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

जो फलदार वृक्ष है, उसकी केवल-और-केवल 2700 रुपये असैसमैंट है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने जब 6 तारीख की मीटिंग में यह बात सुनी, इन्होंने कहा कि यह कैसी कीमत है, इसको री-असैस करो। आखिर री-असैसमैंट कौन करेगा? हार्टिकल्चर विभाग। विभाग मैडम के पास है। विभाग सरकार के अंतर्गत है। फिर यह असैसमैंट क्यों नहीं हो रही है और क्यों इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है? महोदय, जो यह मार्किट रेट की बात है, मैं इसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। हाट पंचायत जिला कुल्लू में पड़ती है। वर्ष 2013 में मार्किट रेट 3.80 लाख रुपये था। उसके बाद इसको रिवाइज नहीं किया गया। लेकिन खेद का विषय है कि जो कंपनसेशन मिल रहा है वह 1.40 लाख रुपये प्रति बिश्वा असैस किया गया है जबकि लोगों ने वहां उससे महंगी ज़मीन खरीदी है। रामशिला कानूनगो सर्कल भी कुल्लू में पड़ता है। इसका आधा भाग मनाली निर्वाचन क्षेत्र में भी है। वर्ष 2013-14 और 2015 के बाद इसके रेट रिवाइज नहीं हुए जिसके कारण कोई मार्किट रेट असैस नहीं हुआ। लेकिन जो कंपनसेशन दी जा रही है वह रामशिला से बासिंग साईड में 13000 रुपये प्रति बिश्वा है। बंदरोल में यह 5500 रुपये बिश्वा है जबकि लोगों ने 2.50 लाख से 3.00 लाख रुपये में स्वयं प्रति बिश्वा ज़मीन खरीदी है और मकान बनाए हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? यहां न्याय कौन दिलाएगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें।

इसमें चौथा बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह है लैंड एक्युजीशन एंड रिहैबलिटेशन अथारिटी का बनाना। इसको आपने बनाना है। इसको LARA कहा जाता है। लैंड एक्युजीशन एक्ट 2013 के अंतर्गत प्रावधान है कि रीहैबलिटेशन और री-सैटलमैंट को लोगों का एक संवैधानिक अधिकार माना गया है। विशेषकर वीकर सैक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फाईनैंशियल पैकेज के लिए सैक्शन 3-सी में प्रावधान है कि इनके साथ मीटिंग्ज की जाएगी और इनकी री-हैबलिटेशन का पूरा

09.03.2017/1625/SLS-DC-2

प्रबंध किया जाएगा। क्या इसका अनुसरण हो रहा है या कोई पूछ रहा है? क्या कोई कमेटी गठित की गई है? शून्य। कोई नहीं है। अंधाधुंध काम चला है। जो बेचारे गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं या वीकर सैक्शन के लोग हैं, वह इंतजार कर रहे हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा।

महोदय, एक और बात कहना चाहूंगा। यह एरिया चाहे मण्डी जिला में पड़ता है चाहे कुल्लू में, यहां सब बैठे हैं। नगवांई, झीड़ी और पनारसा जो मण्डी में पड़ता है इसमें 50 से लेकर 70 प्रतिशत तक दलित वर्ग के लोग हैं। उसके आगे हमारी जितनी भी पंचायतें हैं, चाहे राईट बैंक में या लैफ्ट बैंक में, रामशिला तक और सारा खराल एरिया भी, वहां भी यही अनुपात है। इस सारा मामले में जिया पंचायत में एक ऐसा गांव है जिसे फेटाबन कहते हैं, वह पूरा दलितों का है और वह शत्-प्रतिशत् उजड़ रहा है। वह जगह-जगह गुहार लगा रहे हैं। अब आज अगर ये उजड़ गए और इनको री-हैबलिटेशन में कहीं जगह न मिली तो ये कहां जाएंगे। ये भूमिहीन और गृहहीन हो जाएंगे। इनकी आय का मुख्य साधन ऑफ सीजन वैजिटेबल का उत्पादन है। वह इस उपज को कहां करेंगे? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे। फिर लैंड एक्युजीशन ऑफिसर की बात है जो छोटी-सी बात है। रखने तो यह नेशनल हाईवे अथारिटी ने हैं और उन्होंने रखे भी हैं, लेकिन उनके ऑफिस कहां हैं? कुल्लू वालों को पण्डोह जाना पड़ता है जबकि मण्डी वालों को बिलासपुर जाना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर यहां से इसके लिए निर्देश हो जाएं तो नेशनल हाईवे अथारिटी के डायरैक्टर को इसका अनुसरण करना होगा। एक ऑफिस तो कुल्लू में होना चाहिए और पण्डोह में ऑफिस का कोई औचित्य नहीं है।

जारी ...श्री गर्ग जी

09/03/2017/1630/RG/DC/1
श्री महेश्वर सिंह----क्रमागत

केन्द्रीय स्थान कुल्लू पड़ता है। हम कहां पंडोह दौड़ेंगे? पंडोह में जो एक बी.बी.एम.बी. की कॉलोनी है उसमें एक एल.ए.ओ. बैठता है। वहां उसके बैठने का कोई मतलब नहीं है। अगर कुल्लू में आते हैं या फिर शाड़ाबाई कॉलोनी है जहां प्रोजैक्ट के कई मकान खाली पड़े हैं उसमें उसको शिफ्ट किया जाए, तो किराया भी नहीं लगेगा और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त मण्डी के लोग, गुटकर वगेरह सारे लोग कहां जाते हैं वे बिलासपुर जाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के डायरैक्टर का अपना कार्यालय गुटकर में है उसी कार्यालय में यदि एल.ए.ओ. बैठ जाता है, तो उससे लोगों को एक सुविधा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा।--(घण्टी)---मैं समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी काफी लोग इस पर बोलने वाले हैं दूसरा संकल्प रह जाएगा।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। सबने 20-20 मिनट लिए हैं और मुझे तो अभी 10 मिनट ही हुए हैं।

अध्यक्ष : नहीं, आप चाहे 60 मिनट लीजिए फिर अगला संकल्प नहीं लिया जाएगा।

श्री महेश्वर सिंह : मैं लास्ट प्वाइंट रख रहा हूं और पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करुंगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैंने वर्ष 2015 में यहां बजट सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाई थी। जो नेशनल हाइवे अथॉरिटी का सर्वेक्षण हुआ है, यहां पर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय बैठे हैं जिनके पास यह विभाग है, मैंने इनको भी पत्र लिखा था और यहां भी सदन में सत्र में भाग लेते हुए मांग पर जब बोल रहे थे, उसमें मैंने सुझाव दिया था कि जो नगवाई से आगे से लेकर सर्वेक्षण है, तो 14 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो भून्तर पुल के जिया से लेकर केवल पांच किलोमीटर है जो रामशिला तक है। वह सारा स्लाइडिंग एरिया है और वहां थोड़ी वाइडनिंग भी संभव नहीं है। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि जब रामशिला से आगे दोनों तरफ टू-लेन का प्रावधान है, तो यहां भी टू-लेन क्यों नहीं करते, इस 14 किलोमीटर में क्या लाभ हो जाएगा? इस पर मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि it is good suggestion.

09/03/2017/1630/RG/DC/2

मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला भी अभी तक सरकार के विचाराधीन है, केन्द्र में भी। क्योंकि इसमें जो कृषि विज्ञान केन्द्र है, वहां 80 बीघा जमीन है उसके बीचो-बीच सर्वे है। अगर फोर-लेन बन गया, तो फिर हमारे पास कोई ऐसी जमीन नहीं रहेगी। अगर कुल्लू में या मण्डी के क्षेत्र में कोई ऐग्रीकल्चर कॉलेज भी बनाना हो या कोई और भी इन्स्टीटियुट सड़क के किनारे बनाना हो, तो इतनी जगह सड़क के किनारे नहीं मिलेगी। अगर दो लेन, दोनों तरफ जाता है, तो यह जगह भी बच जाएगी और जैसा मैंने कहा कि दलित समुदाय की जो इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी आबादी है वे भी कम-से-कम बेघर या भूमिहीन नहीं होंगे और कुछ-न-कुछ जमीन बच जाएगी। इसलिए इस पर भी विचार किया जाए। यही बात मुझे यहां रखनी थी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी बात को रखने का अवसर दिया। मैं आसन और सदन का भी धन्यवाद करते हुए इस उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से सरकार जागेगी और न्याय प्रदान करेगी, हस्तक्षेप करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

09/03/2017/1630/RG/DC/3

अध्यक्ष : अब श्री रिखी राम कौंडल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री महेश्वर सिंह जी ने जो इस सदन में संकल्प रखा कि ''यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों से प्रभावित लोगों की अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर निर्मित मकान व लगाए गए फल-पौधों इत्यादि का मूल्यांकन कर उचित मुआवजा दिलवाया जाए और विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु नीति निर्धारित की जाए।" मैं इस पर बोलने के लिए शामिल हुआ हूं। हिमाचल प्रदेश में 2002.69 किलोमीटर नेशनल हाइवे है जिसमें सिंगल लेन 795.573 किलोमीटर, इन्टरमीडियेट लेन 295.125 किलोमीटर और डबल लेन 911.992 किलोमीटर है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विस्थापितों का प्रश्न है। मैं अपने जिला बिलासपुर की थोड़ी बात करना चाहूंगा। पहले भाखड़ा बांध बना, बिलासपुर के लोग विस्थापित हुए, उसके बाद कोल बांध बना, बिलासपुर के लोग विस्थापित हुए और अब जो फोर लेन का काम चला है जिसमें नैना देवी चुनाव क्षेत्र, मेरा चुनाव क्षेत्र और श्री बम्बर ठाकुर जी जो सदर चुनाव क्षेत्र के विधायक हैं, हम तीनों सदस्यों का चुनाव क्षेत्र प्रभावित है। आज वहां यह स्थिति है कि जो कम्पनी वहां काम कर रही है वह अपने मनमाने ढंग से मुआवजा दे रही है। हमारे लोगों को मुआवजा कम दिया जिसके लिए बिलासपुर में संघर्ष समिति बनी।

एम.एस. द्वारा जारी

09/03/2017/1635/MS/ag/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी----

आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपका एक बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने नियम 62 के तहत जब माननीय श्री रणधीर शर्मा जी ने एक संकल्प रखा और यहां चर्चा दी, उसमें आपने एक महत्वपूर्ण निर्णय इस सदन के अंदर दिया। आपने घोषणा की और आश्वासन दिया कि जिलाधीश के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी कि जहां-जहां फोरलेन के काम में विस्थापितों को कोई विघ्न आएगा, उसको मौके पर दूर किया जाए। आज मैं अपने चुनाव क्षेत्र की स्थिति के बारे में आपसे एक बात कहना चाहता हूं। फोरलेन के फैक्टर वन और टू के बारे में महेश्वर सिंह जी ने चर्चा कर दी है, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में स्थिति यह है कि जहां-जहां फोरलेन का काम लगा हुआ है वहां ब्लास्टिंग के साथ जमीन में दरारें आ गई हैं और मकान गिर गए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक मकान तो बिल्कुल ही गिर गया है। उनको फोरलेन के अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि हम तीन महीने के अंदर इस मकान को बनाकर दे देंगे। आज डेढ़ साल का समय हो गया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे सड़कों के किनारे जितने हैंडपम्प लगे थे, वे सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। इसी तरह से पीने-के-पानी की जितनी भी पाइप लाइनें थी, वे भी सारी तोड़ दी गई हैं। विभाग ने उनको ऐस्टीमेट भी बनाकर दिया कि इनको रिस्टोर करने के लिए पैसा दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना

चाहूंगा कि उनको डायरैक्शन दी जाए कि लोक निर्माण विभाग ने जो नुकसान बताया है, उसके जो तय किए हुए नॉर्म्ज के हिसाब से ऐस्टीमेट्स दिए हैं उन ऐस्टीमेट्स के मुताबिक उनको पैसा दिया जाए और हमारे इन तीनों चुनाव क्षेत्रों में जहां मकानों में दरारें आ रही हैं उसके लिए भी कुछ प्रबंध किया जाए। इसके अलावा ब्लास्टिंग ऐसे क्षेत्रों में न की जाए जहां मकानों को ज्यादा खतरा हो।

दूसरी बात, पानी की भी गम्भीर समस्या हमारे इन तीनों चुनाव क्षेत्रों में आ रही है इसके समाधान के लिए फोरलेन ऑथोरिटी को

09/03/2017/1635/MS/ag/2

डायरैक्शन्ज दी जाए ताकि वे हमें पैसा दें और पानी की समस्या समाप्त हो। यहां सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की मंत्री बैठी हुई हैं। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि जो-जो भी आपके विभाग ने इनसे पैसे की डिमाण्ड की है आप इसका रिव्यु कीजिए। आज हमारे तीनों चुनाव क्षेत्रों के लोग पानी के बिना मुश्किल में हैं। जो हमारे चुनाव क्षेत्र में पानी के स्त्रोत थे वे सारे सूख गए हैं। उनको रिस्टोर किया जाए। इतना ही मुझे कहना है। मैं फैक्टर टू के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार मान रही है कि फैक्टर-टू के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। मुझे मालूम है कि यह इस प्रदेश के अंदर क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। अगर स्टेट हाइवे की जगह आप एक्वायर करेंगे और अगर नेशनल हाइवे के लिए आप फैक्टर-टू दे देंगे तो स्टेट हाइवे के लिए भी आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आप इस चीज को डिले कर रहे हैं ताकि नेशनल हाइवे का फैक्टर-टू न लागू किया जाए जबकि यह आपके भले के लिए हैं। यह पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा और सारा पैसा केन्द्र सरकार देगी। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन है कि इस पर गौर किया जाए। आपने बार-बार इस सदन में आश्वासन दिया है कि इस पर हम सोच-विचार करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो फोरलेन में प्रभावित लोग हैं उनको मुआवजा फैक्टर-टू के हिसाब से दिया। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

09/03/2017/1635/MS/ag/3

अध्यक्षः अब चर्चा में श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, अभी जिस संकल्प पर चर्चा हो रही है मैं भी उस पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, अभी हिमाचल प्रदेश में लगभग 61 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और तीन फोन लेन बनने प्रस्तावित हैं। जो मई, 2013 को भूमि अधिग्रहण बिल पारित हुआ है, उस बिल का पहला प्रयोग यदि कहीं पर हो रहा है तो वह नागचला से मनाली के मध्य में बनने वाले फोर लेन में हो रहा है। उसमें मैं लम्बी बात न करते हुए, मेरा केवलमात्र इतना कहना है

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

09.03.2017/1640/जेके/एजी/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः-----**जारी**------

कि जो भूमि अधिग्रहण बिल वर्ष 2013 का बना है उसमें जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उन का ठीक प्रकार से पालन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष बजट सत्र में इसी विषय पर चर्चा आई थी। उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यहां से हमारे बड़े अधिकारी जाएंगे और मण्डी में जा करके सबकी मीटिंग करेंगे और 2 अप्रैल को मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में कहा गया था कि पुनर्वास पर पारदर्शिता से चर्चा की जाएगी। फिर एक फार्मूला निकाला था कि आपसी सहमति के आधार पर और सब डिविजन के अनुसार जा करके नैगोसिएशन कमेटियां बनेंगी। जब 11 मई को मनाली, 12 मई को कुल्लू उप-मण्डल में यह चर्चा होनी थी तो उससे पहले 4-5 मई को लैंड एक्युजिशन ऑफिसर ने थ्री-जी के आक्षेपों की सुनवाई रखी और उस सुनवाई के कारण जो नैगोसिएशन के नाते काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, बात रही फैक्टर-2 को लागू करने की। मुम्बई हाई कोर्ट का फैसला, भारत सरकार की नोटिफिकेशन, लेकिन प्रदेश की सरकार उस दिशा में चल नहीं रही है। यह भी कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के बाद जो हमारा सर्कल रेट है, मार्केट रेट के हिसाब से रिवाईज होना चाहिए वह भी किसी भी मण्डी, कुल्लू के कलैक्टर ने नहीं किए। इसलिए इसमें जितने भी प्रावधान किए गए उन सब प्रावधानों पर लागू करने के लिए सरकार विचार करें। अध्यक्ष महोदय, अधिक न कहता हुआ मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

9.03.2017/1640/जेके/एजी/2

अध्यक्षः अब श्री बम्बर ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। डॉ राजीव बिन्दल जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं कि समय समाप्त होने से पहले मेरा एक संकल्प है अगर उसको आप इन्ट्रोड्यूस करवा देंगे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन मैं बार-बार एक घंटे से बोल रहा हूं कि संक्षेप में बोलिए। आप सभी बोलना चाह रहे हैं और अभी इस तरफ से भी बोलना है। अभी समय खत्म होने जा रहा है तो फिर मैं अलाऊ नहीं करूंगा। आपकी ओर से भी बोलने वाले हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर से भी हो गया है।

अध्यक्षः आपकी ओर से भी बोलने वाले हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर से अब कोई बोलने वाले नहीं है।

अध्यक्षः आपकी ओर से भी बोलने वाले हैं। अब श्री बम्बर ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय सड़कों के बारे में और फोरलेन से सम्बन्धित माननीय महेश्वर सिंह जी ने उठाया है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय महेश्वर सिंह जी ने राष्ट्रीय उच्च मार्गों से प्रभावित लोगों की जमीन का जो अधिग्रहण हुआ और जो मकान, फल-पौधे इत्यादि उसमें उजड़ रहे हैं उनके मूल्याकंन के बारे में इन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मुझे भी आपने बोलने का मौका दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

09.03.2017/1640/जेके/एजी/3

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए माननीय पूर्व प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंह जी का, यू0पी0ए0 गवर्नमैंट का जिन्होंने हमें हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए फोरलेन दिया। हम धन्यवादी हैं ,

09.03.2017/1645/SS-AS/1

श्री बम्बर ठाकुर क्रमागतः

माननीय मुख्य मंत्री, वीरभद्र सिंह जी के कि आपके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए 1818 करोड़ रुपये का कीरतपुर से नेरचौंक के लिए फोरलेन मंजूर हुआ। इसका कार्य भी चला और यह भी सही है कि जब कार्य चलता है तो कुछ नुकसान भी होता है और जब नुकसान हो रहा है तो उसका मुआवजा भी सरकारें देती हैं। मुआवजे के ऊपर जो मार्किट रेट है उसको फिक्स किया गया और उसके मुताबिक कीरतपुर से नेरचौंक तक लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। जिस जगह पर जो मार्किट रेट था, उस जगह पर लोगों को वैसा रेट मिला। लेकिन जहां पर लोग संतुष्ट नहीं थे वहां पर लोग डिवीज़नल कमिश्नर, मण्डी के पास अपील में गए हैं और वहां से ठीक फैसला आयेगा इसका हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि एक तरफ हमारे मुख्य मंत्री,

वीरभद्र सिंह जी जब केन्द्र में मंत्री थे तो हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए 1818 करोड़ रुपये मंजूर करके लाए, इसका शिलान्यास भी हुआ और काम भी चला लेकिन दूसरी तरफ एक चाईना गवर्नमैंट की मदद से एक एन0जी0ओ0 बिलासपुर के अंदर चलती है, जिनका मकसद है कि यह फोरलेन मनाली और रोहतांग तक न पहुंचे। उन्होंने एक संघर्ष समिति बना करके कहा कि इतने पौधे उखड़ गए, यह डम्पिंग हो गई, ऐसा हो गया। उस एन0जी0ओ0 को, जो जुखाला (बिलासपुर) के अंदर लोग बैठे हैं, चाईना गवर्नमैंट फंडिंग कर रही है। चाईना गवर्नमैंट नहीं चाहती कि रोहतांग के दर्रे तक हमारी यह फोरलेन पहुंचे ताकि हमारी मिलिट्री फोर्सिज़ वहां नज़दीक न जाएं। इसलिए उन्होंने कुछ लड़के पकड़े और उनसे इस काम में बाधा पहुंचाने के लिए एन0जी0टी0 का सहारा लिया। एन0जी0टी0, दिल्ली से वे खारिज हो गए। उसके बाद फिर इस काम को रोकने के लिए जगह-जगह छोटी-छोटी संघर्ष समितियां बनाईं। संघर्ष समिति बनाएं तो किसान बनाएं, जिनकी जमीन जा रही है और जिनके फल-पौधे जा रहे हैं। लेकिन संघर्ष समिति बना रहे हैं जुखाला के आदमी, जिनका फोरलेन से कोई लेना-देना नहीं है। फोरलेन जा रही है कीरतपुर से जगातखाना, बिलासपुर, फिर रिखी राम कौंडल जी के एरिया से होती हुई डैहर,

09.03.2017/1645/SS-AS/2

फिर सोहन लाल जी के एरिया से गुजरती हुई नेरचौंक पहुंचेगी। लेकिन संघर्ष समिति बना रहे हैं जुखाला के आदमी। एन0जी0टी0 में जा रहे हैं जुखाला के आदमी, जिनका फोरलेन से कोई लेना-देना नहीं है। फायदा लोगों को होगा। लेकिन वे चंद बदमाश आदमी हिमाचल प्रदेश के विकास में चाईना गवर्नमैंट के लोगों की मदद लेकर इस विकास के काम को रोकना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्य श्री रणधीर जी ने प्रश्न रखा कि फोरलेन के काम से दरारें आ गईं। ब्लास्टिंग से दरारें आ रही हैं। यह बात सही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां-जहां ब्लास्टिंग हुई वहां पर कुछ किसानों का नुकसान हुआ है। लेकिन यह भी सही है कि एन0एच0ए0आई0 और पी0डब्ल्यू0डी0 के अधिकारियों ने उनको नियम के मुताबिक मुआवजा दिया है और डंगे लगाए हैं। जमीन को

संरक्षित किया है, जहां-जहां काम हो रहा है, वहां संरक्षित भी कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी मकसद सिर्फ इतना हो, जितना कि कौंडल जी ने कहा कि दरारें आ रही हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वह बात सही है। लेकिन इसके साथ क्या है? इसके साथ यह है कि बिलासपुर के कुछ नेता उन्होंने वहां पर ठेके लिये हैं या ठेके लेना चाह रहे हैं, अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

09.03.2017/1650/केएस/एएस/1

श्री बम्बर ठाकुर जारी----

ऐसा वहां पर कोई नेता नहीं है जिनकी वहां पर दस-दस, बीस-बीस गाड़ियां नहीं लगी है। करोड़ों रुपयों के ठेके वहां पर लिए हैं और उन ठेकेदारों की पेमैंट के चक्र में इस प्रकार के क्वैश्चन होते हैं । जब वहां पर कोई काम नहीं मिलता है तो फोर लेन अधिकारियों के ऊपर कोई न कोई शिकंजा कस दो। एक दुधारू पशु की तरह फोर लेन को समझा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये यहां पर इसकी रिपोर्ट मंगवा लें। एक नेता को 14 करोड़ रु0 का ठेका है, एक को 7 करोड़ रु0 का ठेका है और एक आदमी की 20 कारें, जीपें वहां पर लगी है, वे नेता कौन हैं? दरारें आ रही है तो उसका मुआवज़ा लोगों को मिलना चाहिए, यह बात सही है लेकिन दरारों की आड़ में, किसानों की आड़ में यदि कोई नेता फोर लेन के अधिकारियों को धमकाए, डी.सी., एडिशनल एस.पी. या एस.डी.एम. को जा कर धमकाए, फोर लेन के अधिकारियों को कहते हैं कि हमारी पेमैंट दो नहीं तो हम विधान सभा के अंदर क्वैश्चन लगाएंगें, सड़कों पर उतरेंगे। यह बात गलत है। आज किसानों को अगर कोई परेशानी हो रही है, तो उसके बारे में आवाज़ उठनी चाहिए । आपने उठाई, सही बात है। मैं आपके ऊपर यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वहां पर आपका कोई ठेकेदार है लेकिन मैं भूतपूर्व सांसद की बात कर रहा हूं, प्रैज़ैंट लोगों की

बात कर रहा हूं। मुझे वहां पर बदनाम किया। खड्डों में अपनी गाड़ियां ठोक दी, ट्रैक्टर ठोक दिए और जब वहां पर पुलिस वाले कोई ट्रक पकड़ते थे तो कहा जाता था कि यह तो बम्बर ठाकुर का ट्रक है। मुझे पिछले विधान सभा सत्र के दौरान यहां पर फोन आया कि गाड़ियां जा रही है, छः-छः ट्रक जा रहे हैं। मुझे कहा गया कि थानेदार कह रहा है कि यह ट्रक एम.एल.ए. का है। मैंने कहा कि मेरा कोई ट्रक नहीं है और इन सभी को थाने ले जाओ। जब थाने ले कर गए तब असलियत का पता चला।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वहां पर इस प्रकार की कोई अफरा-तफरी नहीं है। अफरा-तफरी फैलाने वाले वे लोग हैं जो फोर लेन को दुधारू पशु

09.03.2017/1650/केएस/एएस/2

समझ कर दुह रहे हैं। असलियत बात यह है और इस बात की चाहे इन्क्वायरी करवा ली जाए। मैं यहां पर नहीं कहना चाहता था लेकिन मुझे जब यहां पर प्रस्ताव रखा, असलियत मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं। कि आपने इन्क्वायरी के आदेश दिए हैं कि डी.सी. की अध्यक्षता में रिपोर्टिंग हो कि किस-किस के मकानों में दरारें आई है, उनको मुआवज़ा मिलना चाहिए, स्पॉट पर फैसला होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप प्रैक्टिल लीडर हैं और आपने यह फैसला किया इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत धन्यवादी है लेकिन साथ-साथ इस सदन में यह रिपोर्ट भी आ जाए कि कौन-कौन नेता, कौन-कौन एम.एल.ए., वहां का कौन-कौन लीडर फोरलेन के काम को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बाधित करवा रहा है, कौन नेता वहां पर इस प्रकार की हड़तालें करवा रहा है? वह चाहे अपना हो या पराया हो। सदन के सामने भी और प्रदेश की जनता के सामने भी उनका असली चेहरा आना चाहिए, यह मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा। दुख इस बात का है कि जो लोग वहां पर करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, वे विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं। वे हड़तालें करवा रहे हैं। डम्पिंग साईट को ले कर एन.जी.टी. में जा रहे हैं । एक फौजी आदमी जिसको पन्द्रह सौ, दो हजार रुपये पैंशन मिलती है, चार-चार, पांच-पांच सौ रुपये के रंगीन फोटो लगा कर दिल्ली में एन.जी.टी.

को दे रहे हैं। दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये का वकील हायर करके हिमाचल प्रदेश के विकास को प्रभावित करना चाहते हैं। ये लोग नंगे होने चाहिए। इनकी तस्वीर हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने आनी चाहिए ताकि मालूम पड़े कि कौन आदमी हिमाचल प्रदेश के विकास को रोक रहा है। हमें कहते हैं कि आपने फोर लेन को लूट लिया। मैं कहना चाहता हूं कि हां, फोर लेन को हम लूट रहे हैं परन्तु कैसे लूट रहे हैं, हम फोर लेन वालों से क्या ले रहे हैं?जितने भी बिलासपुर के नौजवान हैं, मुझे अध्यक्ष महोदय, इस बात पर गर्व है कि जितने भी वहां पर हमारे बेरोज़गार नौजवान है, जो दसवीं या प्लस टू पढ़ा है, आई.एल.एफ.एस. कम्पनी ने सारे लोगों की हमसे, बिलासपुर के तमाम नेताओं से लिस्ट मांगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

9.3.2017/1655/av/dc/1

श्री बम्बर ठाकुर------- जारी

(--व्यवधान--) आप (श्री रिखी राम कौंडल) भी दो। मेरी बात पूरी कम्पलीट होने दो, आप भी लिस्ट दो। उन्होंने कहा कि जितने बेरोजगार लड़के हैं उनको हम फिटर, वैल्डर और इलैक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज हमें खुशी इस बात की है कि आज हमारे बिलासपुर के गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग करा दी है तथा उसके साथ-साथ प्लेसमैंट भी दे रहे हैं। इस बात को नहीं कहते मगर यह कहते हैं कि बम्बर ठाकुर ने फोर लेन वाले लूट लिए। हम सही काम कर रहे हैं और सी0एस0आर0 का पैसा सही जगह पर लगवा रहे हैं। हम उनके धन्यवादी हैं और राजा साहब, आपके धन्यवादी हैं। उन्होंने बिलासपुर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे अपने माता-पिता की आंखों का आपरेशन नहीं करवा सकते हम सी0एस0आर0 के माध्यम से उनसे जगह-जगह कैम्प लगवा रहे हैं। हरलोग में कैम्प लगा करके, कन्दरौर में कैम्प लगा करके तथा बसों में भरकर पालमपुर ले जाकर उनकी आंखों के आपरेशन करवाए। मरिंडा अस्पताल में जाकर

के (---व्यवधान---) मैं यह संकल्प की बात कर रहा हूं। मैं फोर लेन की बात कर रहा हूं और आप फोर लेन के कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। जो लोग फोर लेन के काम को प्रभावित कर रहे हैं मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज बिलासपुर के तमाम बुजुर्गों की आंखों के मोतिया बिन्द का आपरेशन, जिनके बच्चे अपने माता-पिता की आंखों का आपरेशन करवाना चाहते हैं उनका आपरेशन करवाने के लिए हमने फोर लेन के लोगों को कहा। हमने फोर लेन के लोगों को मजबूर किया और उसकी वजह से आज हमारे बुजुर्गों की आंखों के आपरेशन मरिंडा अस्पताल जाकर हो रहे हैं। (---व्यवधान---)

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प गरीब किसानों / बागवानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिलाने के लिए लाया गया है। माननीय सदस्य, श्री बम्बर ठाकुर जी मुआवजा दिलाने के हक में है या अगेंस्ट है? इनका सारा

9.3.2017/1655/av/dc/2

भाषण इस प्रस्ताव के अगेंस्ट है क्योंकि ये वहां पर ठेकेदारी करते हैं। मुआवजा माननीय सदस्य ने नहीं देना है और न राज्य सरकार ने देना है, मुआवजा तो केंद्र सरकार ने देना है। ये यहां पर इस प्रकार का भाषण क्यों दे रहे हैं?

श्री बम्बर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सड़कों को बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है और ये लोग सड़कों को रोकने का (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : एक मिनट। बैठिए जरा। बैठ जाइए। एक मिनट बैठ जाइए। (---व्यवधान---) टाइम हो गया है। अब पांच बज गये हैं और अब कोई रिकार्डिंग नहीं होगी।

अब इस मान्य सदन की बैठक कल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017 के 11.00 बजे (पूर्वाह्न) तक स्थगित की जाती है।

सुंदर सिंह वर्मा,
सचिव।

शिमला - 171004
दिनांक : 9.3.2017